MOTION

Urging upon the Government to modify the Action Taken Report on the Justice Nanavati Commission of Inquiry and calls upon the Government to take action against the persons indicated by the aforesaid Commission

श्री राजनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, नानावती कमीशन की रिपोर्ट और ए॰टी॰आर॰ पर चर्चा प्रारंभ किए जाने के नियम 168 के तहत मैं मोशन मूव करता हूं:

"That this House urges upon the Government to modify the Action Taken Report and calls upon the Prime Minister to take immediate action against persons indicted by the Commission."

श्रीमन्, जिस विषय पर मैं चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं, वह कोई सामान्य विषय नहीं है। हम सभी जानते हैं कि आज़ाद भारत में, भारत की राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार की बर्बरता हुई है और केशधारियों के ऊपर हमले हुए हैं, मैं समझता हूं कि आज़ाद भारत की यह अपने में एक मिसाल है। यह कोई राजनीति का भी विषय नहीं है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सचमुच इस सरकार की विश्वसनीयता का प्रश्न है...(व्यवधान)...

श्री सभापति: शांति से सुनिए। गुजरात पर भी बातें हो जाएंगी।

श्री राजनाथ सिंह: गुजरात की रिपोर्ट आएगी, तो उस पर चर्चा कर लेंगे।...(व्यवधान)... यह संसदीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता का एक प्रश्न है, इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि यह विषय, जिस पर चर्चा करने के लिए हम खड़े हुए हैं, निश्चित रूप से ही बहुत गंभीर है। जब दिल्ली में हुई इस बर्बरता पर हम नज़र डालते हैं, तो हम देखते हैं कि या तो 1739 में नादिरशाह के द्वारा दिल्ली में इस प्रकार की बर्बरता की गई थी, अथवा उसके बाद, 1984 में इस प्रकार की बर्बरता और इस प्रकार का नरसंहार, भारत की राजधानी दिल्ली में देखने को मिला है। नानावती कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें कोई दो मत नहीं कि जो रिपोर्ट आई है, वह 21 वर्ष के बाद आई है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक बात मैं आपको बता हूं कि आपकी पार्टी को 42 मिनट का टाइम दिया गया है। अगर और माननीय सदस्य बोलना चाहें, तो उनके लिए टाइम छोड़ दीजिएगा।

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन् जो उस समय पैदा नहीं हुए होंगे या जो बाद में हुए, वे आज युवा हो चुके हैं, और जो उस समय युवा हो चुके थे, आज वे वृद्धा अवस्था की दहलीज पर खड़े हुए हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार होता है तो श्रीमन् निश्चित रूप से वह चिंता का विषय होता

है, निंदा का विषय होता है। लेकिन किसी ऐसे समुदाय के साथ, किसी ऐसे वर्ग के साथ यदि कोई अत्याचार हो, जुल्म हो जिस समुदाय का भारत के स्वाभिमान की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान हो, जिसने भारत की आजादी में बलिदान दिया हो, जिसका भारत को आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान हो, तो निश्चित रूप से यह विषय केवल निंदा का विषय ही नहीं होता है, बल्कि यह विषय राष्ट्रीय शर्म का विषय बन जाता है। हम सभी जानते हैं कि सिख समुदाय ने आजादी की लड़ाई में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है और मुगलों के शासन काल से लेकर आज तक जब-जब भी राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न हम देशवासियों के सामने आया होगा तो उसमें अहम भूमिका निर्वाह इस सिख समुदाय ने किया है। 31 अक्तूबर को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई। मैं यह कहना चाहूंगा कि केवल कांग्रेस के लोगों का ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के लोगों को, चाहे कोई किसी जाति मजहब का क्यों न रहा हो, चाहे कोई किसी राजनीतिक पार्टी का क्यों न रहा हो, सबको पीड़ा पहुंची थी और सबका दिल दहला था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार नरसंहार का सिलसिला केवल भारत की राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के अधिकांश राज्यों के प्रमुख केन्द्रों पर प्रारम्भ हुआ। उसकी जितनी भी निन्दा की जाए, कम है। श्रीमन् नानावती कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद अब यह जाहिर हो चुका है कि इस प्रकार के कातिलाने हमले को, इस प्रकार के नरसंहार को किसने प्रोत्साहित करने का काम किया? यदि मैं यह कहूं कि सचमुच आजाद भारत के इतिहास में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मैसेकर यदि पहली बार कभी हुआ है तो 1984 में हुआ है।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: बोलने दीजिए, बोलने दीजिए।...**(व्यवधान)**...आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा।...**(व्यवधान)**...

श्री राजनाथ सिंह: रिपोर्ट आ जाएगी, उस पर चर्चा कर लेंगे, इसमें परेशान होने की बात नहीं है।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: चलिए-चलिए, ठीक है।

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन् मैं यह भी कह रहा था कि ...**(व्यवधान)**... यह सरकार अल्पसंख्यकों की हिमायती बनती है और बार-बार दावा करती है, अल्पसंख्यकों का हिमायती बनने का और उनका आलम्बरदार बनने का। यह सरकार यह भी कहती है कि अल्पसंख्यकों को इस देश में सुरक्षा यदि कोई भी सरकार दे सकती है तो वह कांग्रेस की सरकार दे सकती है। क्योंकि यह सरकार सैक्युलर पार्टी की है, यानी यह कांग्रेस सबसे बड़ी सैक्युलर पार्टी है। लेकिन मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हमने आजाद भारत में जो कुछ भी देखा है, उस आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि सचमुच आज इस हिन्दुस्तान की यदि सबसे बड़ी* यदि कोई पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी है। ...**(व्यवधान)**... मैं तो सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा 1916 की, जो लखनऊ में कांग्रेस का

*Expunged as ordered by the Chair.

अधिवेशन हुआ था...(**व्यवधान**)... उसमें पृथक निर्वाचक क्षेत्र की बात को यदि स्वीकार किया था, तो कांग्रस के अधिवेशन में कांग्रेस के ही लोगों ने किया था। घटनाएं तो मैं कई बता सकता हूं, लेकिन मैं यहां उनकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उड़ीसा में ग्राह्म स्टेन की हत्या होती है, तो निश्चित रूप से वह निन्दा का विषय है। उसकी जितनी भी निन्दा की जाए, कम है तब आपका चेहरा तमतमा उठता है। जब मैं देखता हूं कि बेस्ट बेकरी का कांड होता है तो उसकी निन्दा की जानी चाहिए, उसके कारण यदि गुस्सा पैदा होता है, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है। उसके कारण चेहरा तमतमा जाता है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यही सदन है, जिस प्रकार का कातिलाना हमला इस हिन्दुस्तान में केशधारियों के ऊपर हुआ, जिस प्रकार से ग्राह्म स्टेन की हत्या के बाद आपका गाल लाल हुआ था, आपका चेहरा तमतमाया था, जिस प्रकार से बेस्ट बेकरी कांड के बाद आपका चेहरा तमतमा उठा था, आपके चेहरे के गाल का रंग लाल हो उठा था, तो केशधारियों की हत्या के बाद, उस प्रकार की लालिमा आपके चेहरे पर देखने को नहीं मिली, उस प्रकार का गुस्सा आपके चेहरे पर देखने को नहीं मिला। कैसे यह दावा किया जाये कि आप अल्पसंख्यकों के हितेषी है, उनके आलम्बरदार हैं, उनको सुरक्षा देने वाले है।?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मानवता की रक्षा करने की आप कोशिश करते होंगे, पर किस सीमा तक कर पाते हैं, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन करनी चाहिए, इसमें दो मत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि विज्ञान का एक नियम है। उसकी मैं यहां पर चर्चा करना चाहता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे हम हिन्दी में ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आधार पर हम यह कहते हैं कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती। यानी होल यूनिवर्स जब एग्जिस्टेंस में आया होगा जब यह सृष्टि अस्तित्व में आई होगी, उस समय जितनी ऊर्जा रही होगी, जितनी एनर्जी रही होगी, आज भी किसी-न-किसी रूप में उतनी ही ऊर्जा, उतनी ही एनर्जी विद्यमान है। विज्ञान के इस नियम से यह बात सिद्ध हो जाती है कि निश्चित रूप से इस सृष्टि में न कुछ घटता है, न कुछ बढ़ता है, न कुछ पैदा होता है, न नष्ट होता है। यदि न कुछ घटता है, न कुछ बढ़ता है, तो प्रश्न यह उठता है कि क्या घटता है, क्या बढ़ता है? प्रधानमंत्री जी, इस दृष्टि से यदि कुछ घटता है, बढ़ता है, तो मानवता और दानवता ही घटती और बढ़ती है। जब मानवता बढ़ जाती है, तो पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे विश्व में अमन-चैन का माहौल बन जाता है, लेकिन जब मानवता घट जाती है, दानवता बढ़ जाती है, तो किस प्रकार के हालात पैदा होते हैं, इसकी सहज ही कल्पना कर सकते हैं। यदि इसकी आप मिसाल देखें, तो दिल्ली में वह मिसाल देखी जा सकती है। ...(**व्यवधान**)... दिल्ली हो, कानपुर हो, रांची हो, धनबाद हो, डाल्टेनगंज हो, केवल इन स्थानों पर सामान्य व्यापारी, सामान्य केशधारियों की हत्या नहीं की गई ऐसे केशधारी, जो अपनी जान हथेली पर लेकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने का काम करते हैं, श्रीमन् ऐसे

38 सिख फौजियों की भी हत्या की गई। उन्हें पकड़ कर आग लगा दी गई। श्रीमन् मैं यहां पर किन-किन घटनाओं की चर्चा करूं।

जहां तक सजा का सवाल है, यह किसी से छिपा नहीं है, सजा तो किसी को नहीं हो पाई, बल्कि पुरस्कृत होते रहे । कल एक सज्जन को त्याग-पत्र भी देना पड़ा है। क्यों इस प्रकार का पुरस्कार दिया जा रहा है? मैं आगे आपसे पूछूंगा कि उनके बारे में भविष्य में आपने किस प्रकार से पुरस्कृत करने के लिए सोचा है?

प्रधानमंत्री जी, मैं समझता हूं कि यदि आपने नानावती कमीशन की रिपोर्ट प्राप्त होते ही कार्रवाई की होती अथवा कुछ रिएक्ट किया होता, कुछ कमेंट किया होता, तब तो बात समझ में आती कि वास्तव में जो कुछ भी 1984 में हुआ है, उसे लेकर आपके मन में भी दर्द है, पीड़ा है, लेकिन आपके द्वारा कुछ नहीं किया गया। जो एक्शन टेकन रिपोर्ट आई है, उस एक्शन टेकन रिपोर्ट में जिस तरीके से कल्प्रिट्स को बचाने की कोशिश की गई है, वह भी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन कल आपने एक सज्जन से त्याग-पत्र लिया और जिस सज्जन से आपने त्याग-पत्र लिया, जिस मंत्री से आपने त्याग-पत्र लिया, उन्होंने सीधे आपको त्याग-पत्र नहीं दिया, त्याग-पत्र दिया तो कांग्रेस की अध्यक्ष, सोनिया जी को त्याग-पत्र दिया। आज हिन्दुस्तान के लोग यह कहते हैं। ... **(व्यवधान)**... प्रधानमंत्री जी, मंत्री तो आपने नोमिनेट किया था, तो त्याग-पत्र देने के लिए कांग्रेस की अध्यक्ष महोदया के पास क्यों चले गए, यह बात समझ में नहीं आती है। इसलिए कभी-कभी हिन्दुस्तान के लोग यह कहते हैं कि पहली बार आजाद भारत में ऐसा हुआ है कि एक नया पद सृजित हुआ है, क्रिएट हुआ है - वह सुपर प्राइम मिनिस्टर का पद क्रिएट हुआ है। ... **(व्यवधान)**... वह मंत्री जिसे आपने नोमिनेट किया था, उसने आपको त्यागपत्र देना उचित नहीं समझा ...**(व्यवधान)**... और मैं समझता हूं कि आपको पब्लिक सेंटिमेंट्स को देखते हुए ही इस प्रकार का फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। ...**(व्यवधान)**...

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Sir, I am on a point of order.

MR. CHAIRMAN: What is your point or order?

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, Smt. Sonia Gandhi is not a Member of this House. He has made an allegation against her that she is the super-Prime Minister. It is an insult to the Prime Minister as well as to the House. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: आप बोलिए, शुरू कीजिए।

श्री राजनाथ सिंह: मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। श्रीमन्, मैंने किसी का नाम नहीं लिया

है। श्रीमन्, 1984 में जब यह कांड हुआ था, उस के बाद तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी का स्टेटमेंट आया था कि, जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। श्रीमन्, इस का क्या मतलब होता है कि बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है क्या इस सच्चाई को सारी दुनियां नहीं जानती कि जब धरती हिलती है तो बड़े-बड़े वृक्ष धाराशायी हो जाते हैं ...**(व्यवधान)**... श्रीमन् यदि धरती हिलती है तो क्यों हिलती है? क्योंकि धरती के अंदर का compulsion इतना अधिक हो जाता है कि ऊपरी लेयर उस को बर्दाशत नहीं कर पाती और पूरी धरती हिलने लगती है। श्रीमन् क्यों ऐसे हालात पैदा हुए, यह भी विचार का विषय है? श्रीमन्, इस स्टेटमेंट का मैंने इसलिए उल्लेख किया कि बेकाबू हालात को नियंत्रित करने के लिए जिस प्रकार की प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए थी, उस समय वह प्रभावी कार्यवाही तत्कालीन केन्द्र की सरकार अथवा यहां की सरकार द्वारा नहीं की गयी।

अब जुडिसियल कमीशन बना। श्रीमन्, यह घटना 31 अक्टूबर, 1984 की है और जुडिसियल कमीशन बन रहा है अप्रैल, 85 में यानी 6 महीने के बाद। ...**(व्यवधान)**... यानी इतने बड़े हादसे, इतने बड़े नर-संहार को जितनी गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए था, उस समय की सरकार ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया। आप ने 6 महीने के बाद कमीशन बनाने की जेहमत उठायी। श्रीमन्, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यह 84 का जो कार्नेज थ, उस समय की सरकार की संवेदन-शून्यता और उस की अकर्मण्यता का ही यह परिणाम रहा। जस्टिस रंगनाथ कमीशन बैठाया गया, मैं यहां पर उस की चर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने देहली एडमिनिस्ट्रेशन को इस के लिए जिम्मेदार ठहराया है और विशेष रूप से लेफ्टीनेंट गवर्नर का नाम लिया है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि दिल्ली की कानून और व्यवस्था का प्रश्न सीधे केन्द्र सरकार से, सीधे होम मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लेफ्टीनेंट गवर्नर तो बीच में एक माध्यम है। इस में कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन आज वह लेफ्टीनेंट गवर्नर क्या बोल रहा है? लेफ्टीनेंट गवर्नर का यह कहना है:

'I know I will again be made a spacegoat to shield the higherups.'

Mr. Gavai claimed that the carnage was not on account of any errors on his part, but rather because of the Rajiv Gandhi Government at the Centre deliberately delayed calling in the Army when the mass killing began on November 1, 1984.

यह उस समय का लेफ्टीनेंट गवर्नर बोल रहा है। उन का यह भी कहना है कि

"When Rajiv Gandhi called him on November 2, 1984, he told him, Gavaiji, you are a heart patient and you should now take rest."

और उस बेचारे ने रिजाइन किया, त्यागपत्र दिया और चले गए ऐसे क्राइसिस के पीरियड में यह बात कहने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्या केवल इसलिए कि उस समय के लेफ्टीनेंट गवर्नर

मिस्टर गवई बार-बार यह कह रहे थे कि मिलिटरी भेजिए और मिलिटरी नहीं भेजी जा रही थी। यही उन का अपराध था। ...**(व्यवधान)**... श्रीमन् सभी जानते हैं कि दिल्ली की कानून और व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण गृह विभाग का होता है। और उन्होंने यह भी कहा है कि मुझे उस समय कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था। उस समय कुछ सांसद थे, कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता थे, वे जो कुछ कहा करते थे, उस समय के प्रधान मंत्री जी वही किया करते थे। वे सब सारे-के-सारे लोग हमारे खिलाफ थे, इस की भी चर्चा उन्होंने की है और उन्होंने कहा है कि मैंने तो तत्कालीन होम मिनिस्टर श्री नरसिंह राव से मिलने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मिले। तीन दिन वह कहां थे, इस का पता नहीं चल रहा है और जिस शब्द का प्रयोग ...**(व्यवधान)**... मैं उस का प्रयोग नहीं करना चाहता। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: बोलने दीजिए, सोज साहब ...**(व्यवधान)**... आप चुप रहिए, वह अकेले बहुत है।

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन्, जांच किस तरीके की हुई ...**(व्यवधान)**... नानावती कमीशन बराबर रंगनाथ कमीशन के रिकॉर्ड मांगते रह गए, लेकिन गृह मंत्रालय के द्वारा रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट अथवा जो कुछ भी फैक्ट्स-फैक्चुअल्स थे, वह नानावती कमीशन को उपलब्ध नहीं कराए गए। अब किसी पर लगाते समय 'probable' अथवा 'very probable' शब्द का प्रयोग यदि नानावती कमीशन न करे तो वह क्या करे, यह मजबूरी है। मैं यहां पर नानावती कमीशन की रिपोर्ट के पेज 13-14 पर जो कहा गया है, उसका उल्लेख करना चाहूंगा:

> "Three hundred eighty-three affidavits they have submitted to Commission to show that some Sikhs had distributed sweets on coming to know about...." *(Interruptions)*. I am sorry, Sir.
>
> "Though the full record of Justice Mishra Commission did not become available to the Commission, it was decided to proceed with the inquiry as it became clear from the affidavit filed on behalf of the concerned authority that in spite of their efforts, the remaining record was not available."

ऐसे हालात में यदि वह सीधे-सीधे point out करना चाहें कि इन्होंने फलां-फलां अपराध किए, तब तो ये कह देते कि ये सचमुच में अपराधी थे और कमीशन जब कभी-भी कोई रिपोर्ट देता है तो सीधे-सीधे किसी को अपराधी नहीं कह सकता। वह कुछ संभावनाओं के आधार पर ही अपनी रिकमेंडेशन देता है। श्रीमन्, यदि उसका अपराध जस्टिफाई होता है, तय होता है तो वह अदालन में तय होता है। आपने इन मंत्री जी से त्याग-पत्र ले लिया है, लेकिन त्याग-पत्र लेना ही पर्याप्त नहीं है। उनको प्रॉसिक्यूट किया जाना चाहिए, सरकार के द्वारा उन्हें सजा दिलाने की भरपूर

कोशिश की जानी चाहिए। श्रीमन्, इस कमीशन की रिपोर्ट में आया है कि उस समय लोग पकड़े जाते थे और छोड़ दिए जाते थे। कमीशन की रिपोर्ट में यह भी आया है कि कांग्रेस आई के कुछ नेताओं के दबाव में जो लोग पकड़े जाते थे, वे छोड़ दिए जाते थे। मैं इस समय झारखंड के एक जनपद पलामू की चर्चा करना चाहूंगा। डाल्टेनगंज में अरविंद कुमार नाम के एक एस॰पी॰ हुआ करते थे। जब उन्होंने उग्र भीड़ पर अपने रिवॉल्वर से फायरिंग की तो दूसरे ही दिन वहां से उनका ट्रांसफर कर दिया गया। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपके 20 मिनट हो गए हैं। समय का ध्यान रखिए।

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन् जो भी हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं कि उस समय की राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आई के लोगों की शह पर हुआ है। उस समय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हुआ करते थे। लगता है कि जैसे उनकी भी एक असहाय की स्थिति थी। एक से एक दिग्गज लोग उस समय उनसे मिले और उन्होंने उनके सामने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, मैं मिलने वालों के नाम की चर्चा करना चाहूंगा–लेफ्टिनेंट जेनरल जे॰एस॰ अरोड़ा, एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह, ब्रिगेडियर सुखजीत सिंह, ये सारे लोग उनसे मिले। उस समय तत्कालीन प्रेसिडेंट महोदय, ज्ञानी जैल सिंह जी ने यह कहा कि "I am not in contact with the Home Minister, Shri P.V. Narsimha Rao. I suggest you to talk to him". और साथ ही यह भी कहा कि "I did not have the power to intervene." इतने असहाय हो गए थे। सभापति महोदय, मुझे लगता है कि हमारे आज के प्रधानमंत्री जी भी सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन वे भी असहाय की स्थिति में हैं और लाचार हैं। अब एक्शन टेकन रिपोर्ट में चाहे वह श्री जगदीश टाईटलर हो, चाहे श्री सज्जन कुमार, चाहे मि॰ भगत हो, इन सारे लोगों के बारे में श्रीमन् मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने उनका त्यागपत्र ले लिया है, ठीक है, यह स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो कमीशन की रिपोर्ट में हैं मैं इसका उल्लेख कर सकता हूं कि सचमुच किस प्रकार से इस दंगे को, इस नरसंहार को भड़काने में उनका योगदान रहा है, लेकिन मैं यहां उसकी चर्चा करना बहुत आवश्यक नहीं समझता हूं। श्रीमन् मि॰ सज्जन कुमार जो आज भी मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके बारे में कमीशन यह लिखता है कि "The Commission recommends examination of only those cases where the witnesses had made acquisitions against Shri Sajjan Kumar." ए॰ टी॰ आर॰ कहती है कि "FIR in Sultan Puri Police Station registered against unknown persons. Kumar not named as an accused. मैं यहां पर कमीशन की रिपोर्ट का उल्लेख करना चाहूंगा। सज्जन कुमार जी वहां पर मौजूद थे। श्रीमन्, इसमें ए और बी में रह रहे व्यक्तियों के शपथ–पत्रों से पता चलता है कि दिनांक 1–11–84 को सुबह 8 से 9 बजे के बीच लगभग 500–600 व्यक्तियों की भीड़ डीपी पार्क के निकट इकट्ठा हुई और

स्थानीय कांग्रेस--आई सांसद श्री सज्जन कुमार ने उन्हें संबोधित किया जिन्होंने उसे यहां तक कहकर उकसाया कि सरदारों ने हमारी इंदिरा मां को मारा है। अब सरदारों को मारो, लूटो और आग लगा दो। भीड़ नारे लगा रही थी-खून का बदला खून होगा, सरदारों को जान से मारो।

श्री सभापति: आपका टाइम खत्म हो रहा है।

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन्, आज वे सांसद लोकसभा में बैठे हुए हैं। क्या आप उनसे त्यागपत्र की मांग नहीं कर सकते? आप उनको पार्टी से एक्सपेल नहीं कर सकते? क्या हो रहा है यह हिंदुस्तान में? ...**(व्यवधान)**... हल्केपन से मत लीजिए। जो कुछ भी आपने किया है, हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी। सारी चीजें उजागर हो चुकी हैं। ...**(व्यवधान)**

श्रीमन् उस मोब को लीड कर रहा था एस॰एच॰ओ॰, अधिकारियों को कहा जाता था कि इसे लेकर जाओ। ...**(व्यवधान)**... यदि कोई ईमानदार अधिकारी कुछ आपराधियों को गिरफ्तार करता था, तो थाने में जाकर ये सांसद और कांग्रेस के नेता उन्हें बचाने की कोशिश करते थे।

श्री सभापति: आपका टाइम खत्म हो रहा है। आप समाप्त करें।

श्री राजनाथ सिंह: सर, कमल नाथ जी के बारे में भी चर्चा हुई है कमल नाथ जी भी वहां पर गए थे। उनका क्या है, मैं बहुत विस्तार में जाकर इसका उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वे वहां पर मौजूद थे। इसमें है- उसके बाद भीड़ अधिक हो गई और उस समय उस भीड़ में कांग्रेस के नेता श्री कमल नाथ और श्री वसंत साठे दिखाई दिए। वहां पूरी भीड़ से वे बात कर रहे थे। गुरुद्वारे के ऊपर हमला किया जा रहा था। अब इसको आपको देखना है, प्रधानमंत्री जी। इससे अधिक मैं यह कहना चाहूंगा कि आपके एक वरिष्ठ मंत्री हैं, राम विलास पासवान जी, उन्होंने भी कहा है। किस प्रकार का चित्रण आंखों के सामने गढ़ा गया है, उसका भी संज्ञान आपको लेना है।

श्रीमन्, धर्मदास शास्त्री जी, पता नहीं कहां चले गए। आज मैं एक अखबार में पढ़ रहा था। उनको इस बात का गिला है कि मेरे ऊपर नानावती कमीशन ने उंगली उठाई है, उसके बाद भी कोई कांग्रेस का नेता मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रहा है। इस बात की उनको शिकायत है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? उनके बारे में कमीशन ने भी रिकमंड किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका समय हो रहा है।

श्री राजनाथ सिंह: समाप्त कर रहा हूं, श्रीमन्। अब इसमें है — 'not named as an accused in the FIR'. The FIR says, "The Government will look into the matter." यह गवर्नमेंट कब देखेगी? पांच-छह महीने तो रिपोर्ट आए हुए हो गए हैं। कब तक गवर्नमेंट इसको देखेगी? भगत साहब के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि यह जग-जाहिर

है कि भगत जी का उसमें हाथ था। कमीशन ने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए यह कहा है कि हम इस केस को परस्यू नहीं करना चाहेंगे। सब मिलाजुला कर मैं यही कहना चाहूंगा कि संसदीय लोकतंत्र से इस देश की जनता का विश्वास न उठ जाए, सरकारों पर से जनता का विश्वास न उठ जाए, राजनैतिक पार्टियों से तो धीरे-धीरे उसका विश्वास उठ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की ये चीजें हो रही हैं।

श्रीमन्, कुछ लोगों के बारे में आपने एक्शन-टेकेन रिपोर्ट में कहा है कि वे रिटायर हो चुके हैं, इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसमें मैं आपसे यह मांग करता हूं कि भले ही वे रिटायर हो चुके हैं, मगर अगर वे जिंदा हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्हें दंडित कराए जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। उनके गले को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कंपनसेशन समान रूप से पूरे देश भर में , जहां जहां इस प्रकार के हादसे हुए, वहां पर दिया जाना चाहिए, उनके पुनर्वास रिहैब्लिटेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। जितने भी अपराधी हैं, आज उनका कद कितना भी बड़ा हो, सारे अपराधियों को प्रोसीक्यूट कराए जाने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन जो भी होना चाहिए वह टाइम-बाउंड होना चाहिए, क्योंकि 21 साल का समय इसमें गुजर चुका है।

श्री सभापति: ठीक है, अब आप खत्म करें।

श्री राजनाथ सिंह: ए.टी.आर. को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जांच को सिर्फ दिल्ली तक सीमित न रखिए। प्रधानमंत्री जी, हिन्दुस्तान मे जहां-जहां इस प्रकार का नरसंहार हुआ है, वहां-वहां पर आप इसकी जांच कराइए तथा जो राहत आज भी दी जा सकती है, उनको वह राहत दीजिए।

श्रीमन्, अंतिम बात यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस आई के जिन भी नेताओं का इस रिपोर्ट में नाम है, भविष्य में कभी उनको पुरस्कृत मत करिएगा, कांग्रेस आई के सदस्य के रूप में जब तक आप प्रधान मंत्री रहिए, कम से कम तब तक आप इन्हें मत स्वीकार करिए। यही अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

The question was proposed.

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI ASHWANI KUMAR (Punjab): Sir, I rise to take part in a debate whose genesis we trace back to a colossal national tragedy that struck this country on 31st October, 1984. Sir, a serving Prime Minister, mother

of the nation and leader of millions of Indians, fell victim to the assassins' bullets. What followed was indeed a national tragedy of the greatest magnitude. It would remain for long a wound that struck at the core of our national conscience. It is in that context, Sir, that we discuss this Report, the 9th in a series of reports that sought to heal the wounds of the nation and bring to justice those guilty of the crimes against humanity. It would, therefore, be my endeavour not to make this debate into a partisan debate but to draw attention of this august House and, through this august House, of the nation, to the facts that we must consider and to the challenges that we face in the future.

Sir, 31st October, 1984 was akin to that moment in history when as someone said, centres cease to hold and nations are called upon to find their feet, their space, and to reassert their ethos and their conscience. A violent mob in Delhi and in some other parts of the country reacted in the manner that it did. Totally indefensible! No one in his right mind can directly or indirectly defend the gruesome acts that followed the assassination of late Shrimati Indira Gandhi. We then, Sir, sought about devising mechanisms to heal the wounds and to apply balm to those who were affected and to ensure that such incidents would not recur. And in that series. Sir, the Nanavati Report came up with certain recommendations. The substance of the Report on the political side decisively and unambiguously exonerates the top leadership of the Congress Party which for 21 long years has been victim of an insidious and an orchestrated campaign of calumny and viciousness. That lie stands nailed. The Commission did point a finger at a few individuals, and made ten recommendations in all. Nine recommendations, Sir, were accepted in toto, as indicated in the ATR. There was a difference of opinion with respect to action against one individual. That also, Sir, has since been accepted and the resignation of the Minister must finally put a lid on that aspect as well. After the Prime Minister's statement in the Lok Sabha yesterday. Sir, this nation cannot be in doubt as to the resolve of the Government; as to the commitment of the Congress Party to effectuate full and complete reparation in the form of restitution, compensation, rehabilitation, and succour to all those who were affected. The Prime Minister and the Home Minister have in their respective statements assured the nation, through their address in the Lok Sabha that all possible steps required to be taken to correct the aberrations in the delivery system of justice and to ensure full and total responsiveness of administration, if such events were to recur should leave none in doubt as to the commitment

and resolve of this Government and of the Congress Party. But, Sir, there is a much wider element in this debate. I have heard, as I always do, with great attention what Raj Nath Singhji had to say. I was disappointed, Sir. I had thought that this debate would not be used to score political points. The tragedy was too great, the agony is indescribable in words and it would need a lot of wisdom, sagacity, generosity and commitment to ensure that such aberrations do not wound the conscience of the nation yet again. But, what do we find, Sir? In stark defiance of the conclusions of the Report, which has nailed the lie against the Congress Party, it was again asserted that the Congress was responsible for the carnage. Here is a party which asked one of its Ministers to go, even though we are convinced that in law there is no case of culpability against him, and yet this Party and the Government is being called to account by those whose hands are sullied in the blood of thousands of people in Gujarat. Sir, I can understand a political party seeking to make a political point. But these are issues of political morality; these are issues that confront the ethos of a nation; all that the nation stands for and the values of the Republic. I should have thought that the level of debate would be raised so that in our collective wisdom we can give a direction to the people and take direction from the felt sensitivities of the people.

Sir, I would like to congratulate the Prime Minister and the Government for being responsive to the felt perceptions and sensitivities of the people. The Prime Minister said in so many words that the sentiments of the people of India would be respected. Ultimately, Sir, it is perception that promotes reality to meaning and in that vein and in that spirit, we have abided by the sentiments of this House and the sentiments of the people of India. We are not obvious of the fact that the wounds of 1984 still fester in the hearts of people. I come from Punjab, Sir, and I know what 1984 riots meant and what the assassination of Shrimati Indira Gandhi meant to the multitude of the people of India. I implore, particularly my esteemed friends of the Akali Dal not to discuss this grave and critical issue in an idiom that would incite passions. It has taken a lot of blood and many years of turmoil to get our country back on its feet. In seeking to score political points, let us not derail the process of reconciliation, that is now finding firm ground in the conscience of this nation. Sir, this debate is important. it is important because, in my belief, it would cement the

foundations of democracy. I am gratified and grateful to you, Mr. Chairman, Sir, for having permitted this debate, because through this debate, we ought to focus on the injustices and the tragedies that struck our nation only to ensure that such tragedies do not recur and in that spirit, Sir, I rise only to make a point that man's inclination for injustice makes democracy necessary. And man's capacity for justice makes democracy possible. And, therefore, Sir, in exercising our democratic rights today in this House of expressing ourselves, the purpose should not be to fix liability where none can be fixed and which, in fact, has been denied by the successive Commissions, but to tell the nation that the entire political spectrum in this country speaks in one voice to ensure that these instances would not recur. That, Sir, should be the focus of this debate, and it is in that spirit, on behalf of my party that I rise to take part in this debate.

Sir, justice is the final measure of power. I make bold to state that we need to ensure that justice is not only done, but is seen to be done. And in that context the Prime Minister has stated that every single suggestion and recommendation made by Justice Nanavati towards securing of justice to those who are aggrieved shall be taken.

I would only like to conclude by adding that we, in this country are not committed to rough, ready and roughshod justice. We have a Constitution, we have an established procedure of law through which culpability and guilt is to be fixed. In our anxiety to demonstrate our resolve to bring ability to justice, let nothing be done that is outside the ambit of law, that does not measure up to the Constitutional requirements so that nation should not accuse us compromising one value of the Republic in order to subserve the other. We are capable of; it is within our genius, Sir, to reconcile the two imperatives to ensure justice according to law. That is the burden of my intervention, and that is what I recommend to this august House. Thank you very much.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity. I think, the issue that we are discussing today under rule 170 of the Rules of Procedure, has a changed context after the debate that took place in the other House. I think, it is also apparent in the submissions of the two hon. Members who have spoken now, that the sting is gone. Therefore, I think, we need to premise this debate on a different footing altogether. It is precisely because of this

feeling, I think, the discussion under rule 170 is singularly inappropriate to have the debate in the manner that we should. I think, the basic issue here is now can we use this opportunity to device more inclusiveness, by all sections of the House, a response or preparedness of the Indian society which essentially has a composite or plural culture, how you prepare the Indian society so that we can avoid the monumental human tragedy that really overtook the nation in those fateful days of 1984. I think that should have been the particular context of the debate here in Rajya Sabha today. Therefore, Sir, with all due regards to our friends of the Opposition, I think, Rule 170 is singularly an inappropriate mechanism to do that because this is not a time for acrimony. I think there are issue on which all of us have to look at ourselves, introspect and try and see how we can avoid that eventuality. I say this, Sir, with a great sense of regret and great emotion because, Sir, I think, collectively all of us have displayed the singular failure of the Indian nation to deal with the gory incidents of 1984 in the sense that 21 years on and after having nine Commissions, we have failed in delivering justice. Sir, the maturity of our democracy perhaps lies more in the fact that if something untoward happens to the nation, how that can be dealt with in a mature manner and to create that ground and to prepare the nation for such eventualities where recurrence of such events do not take place. I think delivery of justice, a sense of fairness collectively by the nation is the major strength that a mature democracy has to display. I think, therefore, while we analyse what is there in the Nanavati Commission Report, what are the omissions and commissions of the Government, more than that perhaps concentrating on how not to repeat such mistakes is very important because there is a great saying that those who tend to forget history are condemned to repeat it. I think that approach in this debate would be much more contemporary and much more relevant. Therefore, Sir, I again reiterate my point that Rule 170 is not the appropriate mechanism to discuss this subject today after what we had in the other House. Sir, I would like to say that what is the issue that we have to discuss. Sir, you know, how this Commission was formed. Unfortunately, we did not have the advantage of your great position in the Chair at the point of time. The then hon. Chairman, Krishan Kantji used to sit in that Chair. I think many of us here were present on that fateful day which triggered the process, which led to the formation of the Nanavati Commission. I think from that very day, at least, it was clear to me that it was not intended to really deliver justice to those people who have been

victims and the circumstances made it apparent that the Nanavati Commission was not intended to bring to book the guilty or to deliver justice to those who are still knocking at the doors of law of justice. Therefore, we are not really surprised with what the Nanavati Commission has produced because it was not intended to produce that background on the basis of which successful prosecution can take place. That is very apparent. I think we were well into the Zero Hour, the Chair had already ordered the laying of the papers, in those circumstances, I have never seen a Government act like that. Therefore, we see the terms of reference and we see the results of the Nanavati Commission. I will not strain this House with details from the Report because, I think, most of us have read. But it has lived up to the expectations of those who created the Nanavati Commission. Therefore, Sir, we reject major part of the Nanavati Commission Report because it has not only not taken forward some of the recommendations of the past; it has actually turned the clock back. Therefore, Sir, what we feel is that the Government has taken certain steps in cleaning some of the air about implementing the recommendations of the Nanavati Commission Report. I think, surely, a couple of things which should also be mentioned, and, I think, it was so eloquently said by the hon. Prime Minister, yesterday, that it is not only about the nitti-gritty legal issues, you see, this is not a debate for lawyers and putting across legal arguments in a fine language, we are talking in terms of healing an entire nation, a very important community which has played a glorious role in the history of our freedom struggle and thereafter, in the building up of New India. It is a question of deliberate healing touch to them. Therefore, names have to be taken of those who have been indicted. The Minister has resigned but precisely in what manner the Government would like to deal with the case of Mr. Jagdish Tytler, the erstwhile Minister. It will have to be spelt out by the hon. Home Minister. How to deal with the issue of Mr. Sajjan Kumar who is the Member of the other House? I think, there is no wrong. This will be the strength of the Government, that the Government is equal to none in dealing with the immediate issue of overcoming the challenge and the failure that we have suffered in the past of not being able to deliver justice from that constructive point because, Sir, the issue here is: why did it happen? I accept, even if I accept and I have no hesitation to accept, the Commission has said that some sections of the Congress Party were involved. But is it possible if we accept that the organised nature of the violence was just spontaneous? If we accept that, then, we

will also have to accept the theory of action and rection propounded by Newton and most infamously repeated by some of the Members in some other context. I think, therefore, as a modern nation, as a plural democracy, we cannot accept that logic that these were spontaneous reactions, there was an element of organisation. I am not going into partisan debate. But the issue is, how to really uproot from the very ground, that processes which led to such organised response, howsoever, a tragic event maybe. That is a challenge and I think, therefore, the question is what will be our position, *vis-a-vis* the politics on communism, *vis-a-vis* the politics of hate, *vis-a-vis* the politics of division. As a nation, as a Government, as a modern State, what will be our resistance of evolving and fine tuning our democratic institutions so that there can be a real secularism, strengthening and re-inforcing the very fabric of our national unit. I think, that is the context where there is a possibility. If possible who talk of pseudo secularism believe in secularism, if those people who talk of uniting India, at least, for the purpose, if they join in, then, I think, there can be an inclusive debate and there can be a meaningful suggestion and all those can be taken together, because, ultimately, Sir, we are a mature democracy. Sir, I think the hon. Prime Minister, the other day had released this seminal work by Prof. Amartya Sen, 'Argumentative Indians'. What is the strength of our democracy? Strength of our democracy is dialogue and we in India from the ancient times have that tradition of how we in the new context can re-invent ourselves. Where we don't say where we will say, "गर्व से कहो हम हिन्दू हैं, फ़ख्र से कहो हम मुसलमान हैं।" All these issues have an immediate socio-economic and cultural context. How do we, as a modern nation, unitedly, as a polity, face that challenge? I think that is the heart of the debate today after what had happened. I think, it is very, very important to deal with culprits who had committed this kind of gory crimes. I think, the Government should tell us how they would deal with the cases which were dropped and how the Government is going to, actually, rebuilding those cases. We know, at times of such tragedies, people have a fear to go to police stations, particularly if the perpetrators of the crime are mighty and powerful. We have to ensure and reassure the people who have been victimised that we get information and it is very important that not only we are fair but also appear to be fair. This is very important. Next, the question of Gujarat is coming. I am not saying this really to score a political point. This very question will come up. The Supreme Court has made some

observations about the Naroda patia case. How to deal with this? If we deal with the Nanavati Commission and its aftermath in a partisan manner, can we deal with what happened in Gujarat in a fair manner? If we cannot do that, can we stand up, as a modern nation, as a great democracy in South Asia? These are very important questions. Sir, we are a multi-religious society. We are a multi-ethnic society. Our unity is in our diversity. How to deal with this in a globalised context? New issues are coming up. The question of identity has come up. Yesterday, the hon. Prime Minister, while replying to the very important questions, said about the kind of role that India is expected to play in the comity of nations. This is very, very important. I would, therefore, like to hear from the hon. Prime Minister beyond what he had stated in the other House in terms of how we can really trigger up our process for that kind of a roadmap which India embark upon and people all over the world will assimilate from us. Thank you.

12.00 Noon

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, बात तो बहुत पुरानी छिड़ी है और नानावती कमीशन की रिपोर्ट, जो छः महीने से सरकार की फाइल में पड़ी थी, बीस-इक्कीस साल पुरानी घटना को, फिर से कुरेद रही है। सबसे पहले तो जो लोग, जितने हज़ार मरे हों, मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनकी एक फेहरिस्त तैयार करनी चाहिए, ताकि अपने वाली पीढ़ी को या कोई भी सरकार चलाता हो या व्यवस्था करता हो—आपके लोग भी हो सकते हैं, इधर के लोग भी हो सकते हैं – तो कहीं बड़ा सा monument लगाकर, नाम लिखकर यह टंग देना चाहिए कि यह गलती एक बार हम लोगों से हो गई थी और आने वाले लोग ऐसी भूल न करें।

महोदय, ये घटनाएं किसी क़ौम को बरबाद करने के लिए भी काफी होती हैं और किसी क़ौम को सुधारने के लिए भी काफी होती हैं। ज्यूडीशियल इनक्वायरी के बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैं लड़कपन में, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तभी जजीय इनक्वायरी में फंस गया था। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, एक जगह पुलिस ने लड़कों पर गोली चलाई, हमको भी साठ-सत्तर डंडे मारे। पांच लड़के मर गए। सुचेता जी मुख्य मंत्री थी, उन्होंने वर्किंग जज को इनक्वायरी के लिए appoint कर दिया और बहुत दिनों तक इनक्वायरी के बाद, जिन लोगों ने हमको पीटा था, बच्चों पर गोली चलाई थी, टीयर गैस छोड़ी थी, सैकड़ों घायल थे, उनमें से किसी को भी सज़ा नहीं हुई। और हम लोगों पर सैशन कोर्ट में मुकदमा चलने लगा। यह मेरे लड़कपन तक की पीड़ा है। इसलिए जब कभी मैं इस तरह की इन्क्वायरी की बात सुनता हूं तो मान लेता हूं कि लीपा पोती होने जा रही है। जो असली मुजरिम हैं तो वे बचेंगे ही, मैं यह मानकर चलता हूं। जब छोटे-छोटे अपराधी कत्ल

कर देते हैं, मुख्यमंत्री के यहां, दूसरी जगह और पुलिस के बड़े अफसरों के यहां, तो सी॰आई॰डी॰ जांच की बहुत सिफारिश करवाते हैं। सी॰आई॰डी॰ जांच के मायने है कि दो साल के लिये केस खलास, सी॰आई॰डी॰ जांच कर रही है, और अब वे न गिरफ्तार होंगे और न कार्रवाई होगी। यदि वैसे ही किसी मामले को टालना हो तो कोई कमीशन बैठा दिया जाता है। जितने कमीशन बैठते हैं, कभी भी किसी से कोई इंसाफ नहीं हुआ है। यह नानावती कमीशन तो शायद आप लोगों ने गुजरात के मामले में भी बैठाया है। आप कह रहे हैं कि यह मुलज़िमों को छोड़ दिया करता है तो आपको खुश होना चाहिए कि अब गुजरात के मुल्जिमों को भी छोड़ दिया जाएगा। इसलिए विपक्ष को खुश होना चाहिए था। वहां मुल्जिम और लोग हैं। मैं नहीं जानता कि नानावती साहब कैसे जज हैं। लेकिन सर, जज भी तो इंसान ही होता है, उसकी भी तो कमजोरियां होती हैं। जिन जज साहब का नाम लिया जा रहा था, कि वे कमीशन में थे, और उन्होंने इन्क्वायरी की थी, वे इस हाउस के मैम्बर बन चुके हैं। क्या कोई ऐसा नियम बनाया जा सकता है कि जो कोई भी आदमी ज्युडिशियल सिस्टम में काम करता है, रिटायरमेंट के बाद उसको बख्शीश नहीं दी जाएगी? ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता। यदि ऐसा नियम नहीं बनेगा तो कमीशन से इंसाफ कैसे होगा? मैं जानबूझकर इंसाफ शबद का इस्तेमाल कर रहा हूं। कोई में इंसाफ नहीं हुआ करता है, यदि विधि मंत्री जी बैठे हुए हैं। वहां केवल डिसिजन हुआ करता है। डिसिजन और इंसाफ में फर्क है , निर्णय...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: न्याय।

श्री जनेश्वर मिश्र: और इंसाफ इन दोनों में फर्क है, यह याद रखिएगा। निर्णय तो हो सकता है। वह एक प्रोसीडिंग है, चलेगी और किसी न किसी के पक्ष में फैसला होगा। लेकिन जिसको न्याय कहते हैं, वह तो बहुत कम मिला करता है। जब तक बख्शीश की प्रथा रहेगी, तब तक जो सरकार रहेगी, वह फायदे में रहेगी और जिस किसी पार्टी की सरकार रहेगी, वह फायदे में रहेगी, क्योंकि जज भी आदमी ही होता है। वह किसी पत्थर का कोई भगवान नहीं होता है कि उसको हम अपने मन के मुताबिक पूजते रहें। इसलिए जब कभी भी इस तरह के कमीशन बनते हैं तो हम यह जरूर चाहेंगे कि यह तय किया जाए कि उन लोगों को राज्य सभा और अन्य जगहों में नियुक्तियां जैसा बख्शीशें न दी जाएं। हमेशा-हमेशा के लिए एक पक्का नियम बना लेना चाहिए। मेरी यह बात सख्त जरूर है, मैं नहीं चाहता कि मैं एक वर्ग के खिलाफ इस तरह की कड़ी बात बोलूं। लेकिन मैं जानता हूं कि यह समाज इस तरह की प्रथाओं से क्या तजुर्बा झेल रहा है। सभापति महोदय, सिख एक समुदाय है और शायद हमारे देश का सबसे कीमती समुदाय है। अगर वह गेंहू पैदा न करे तो आधा देश भूखा मर जायेगा। यह इतना कीमती समुदाय है। शुरू के दिनों में, सरहद पर हिमालय की तरफ से जो हमले होते थे तो इन सभी के परिवार से एक आदमी सिख बनाया जाता था। जिस तरह से उन सभी ने जलियां वाले बाग में जान दी है, उनकी कुर्बानी बेमिसाल है। नानावती साहब की रिपोर्ट के बाद आज वे सड़क पर अपना सीना पीट-पीटकर चिल्ला रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। यह सच है कि वर्तमान सरकार ने उनके आंसू पोंछने के लिए एक मिनिस्टर का इस्तीफा दिलवा दिया

है। यह आंसू पोंछना कहलाता है लेकिन इतनी बड़ी लड़ाकू कौम, मेहनती कौम, कुर्बानी देने वाली कौम के साथ जो व्यवहार हुआ था, सब इंदिरा जी पर गोली चलाने वाले लोग नहीं थे। जो गोली चलाने वाले लोग थे, उनके साथ चाहे जो सलूक करें, उनके हाथ-पैर काटकर फैंक दीजिए, उनकी बोटी-बोटी कर दीजिए, लेकिन जो बेचारे रेल में चल रहे हैं, उनका क्या कसूर है? ये तो दिल्ली की घटनाएं हैं। रामविलास पासवान ने अपने एफिडेविट में कहा कि मुलायम सिंह के सामने लोग सरेआम जलाए जा रहे थे। कानपुर और बोकारो की घटना तो जज साहब के सामने आई ही नहीं। चौधरी हरमोहन सिंह जी हमारे एक नेता थे, वे राज्य सभा के मैम्बर थे, वे सरदारों को बचाने के लिए आगे-आगे चल रहे थे। ऐसा लगता था कि उनका घर फूँक दिया जाएगा। यह हमें अच्छी तरह लगता है कि रिपोर्ट में कहीं ऐसी बात आई नहीं, बहुत सी बातें अनकही रह जाती हैं। हम नहीं चाहते कि उन बातों को फिर से दोहराया जाए और कुरेदा जाए, लेकिन इतना तो हम चाहेंगे कि क्या हम लोग दोनों सदनों में कभी संकल्प नहीं ले सकते कि ऐसी घटनाएँ न हुआ करें। 20-25 साल के बाद कोई बात होती है तो यह दर्द केवल इसलिए आया है कि सरदार एक कौम है और वह टिकी हुई कौम है। जब हम लोग पढ़ते थे, जब हम लोग विद्यार्थी थे, हम लोगों के लिए इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, भार्गव कमेटी की रिपोर्ट, जब तक रिपोर्ट आई, हम लोग यूनिवर्सिटी छोड़ चुके थे। वातावरण बदल जाता है। 21 साल के बाद मुल्क का सामाजिक और सियासी वातावरण बदल चुका है। पता नहीं कितनी सरकारें आईं, कितनी गईं। आज जो लोग बैठे हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी में छोटे-छोटे बच्चे रहे होंगे। उन लोगों से उसका हिसाब तो नहीं लिया जा सकता, न आरोप लगाया जा सकता है। लेकिन हमने कानपुर में देखा था कि एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में लोग चलते थे लूटपाट करने और मारने, दूसरी तरफ आरएसएस के नेतृत्व में भी चलते थे। लगता था कि मिला-जुला चल रहा है...(**व्यवधान**)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश): यह तो बिल्कुल गलत बात है, इसे एक्सपंज किया जाए। ...(**व्यवधान**)...

श्री जनेश्वर मिश्र: यह दोनों तरफ से होता था। इसकी भी जाँच हो जानी चाहिए ...(**व्यवधान**)... केवल चौधरी हरमोहन सिंह ने बचाया था। बाद में राष्ट्रपति महोदय ने उन्हें शौर्य चक्र दिया था ...(**व्यवधान**)...

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश): मिश्र जी, हम सब लोग वहाँ थे। हमने स्वयं बचाया है। ..(**व्यवधान**)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: बहुत गलत बात कही जा रही है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल): जो आरोप आज तक सिखों ने नहीं लगाया, जो आरोप आज तक किसी ने नहीं लगाया, किसी कमीशन ने नहीं लगाया, वह जनेश्वर मिश्र जी यहाँ बैठ कर

लगा रहे हैं ...(**व्यवधान**)...आपको आरएसएस का आब्सेशन है ...(**व्यवधान**)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ...(**व्यवधान**)... नानावती कमीशन रिपोर्ट की तो नहीं है ...(**व्यवधान**)... कोई इसके बारे में ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छे वक्ता हैं, ...(**व्यवधान**)... जिसे चाहेंगे गाली देकर निकल जाएँगे ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... आपकी बात हो गई ...(**व्यवधान**)...आपने कह दिया...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: कुछ लोगों को भ्रम है कि ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: बैठिए, बैठिए। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, आपने प्रोटेस्ट कर लिया, ठीक है ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए, आप बैठिए ...(**व्यवधान**)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सर अगर किसी ने देखा था ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप क्या चाहते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप समझते क्या हैं अपने आपको? आप समझते हैं कि बहुत बड़े वक्ता हैं, जो चाहेंगे, बोल कर निकल जाएँगे ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आपने प्रोटेस्ट कर लिया ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... आपने प्रोटेस्ट कर लिया ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, you get this expunged. ...(*Interruptions*)... Please expunge whatever she has said. ...(*Interruptions*)... It is not only an insult to Shri Janeshwar Mishraji, it is an insult to the House. ...(*Interruptions*)... Please expunge it. ...(*Interruptions*)... She is challenging a leader like Shri Janeshwar Mishraji. इनको चैलेंज कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: * कह रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बोल चुके ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: कुछ भी बोल कर चले जाएंगे... **(व्यवधान)...**

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठ जाइए...**(व्यवधान)**...बैठ जाइए...**(व्यवधान)**...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष देखा गया है कि आरएसएस के लोग वहाँ

*Expunged as ordered by the Chair.

थे। इसकी पहले उन्होंने कोई सूचना दी थी। जिस किसी ने देखा हो, उसने कहीं रिपोर्ट कराई थी, यह तो एक विचित्र बात है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: बस खत्म कीजिए ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सरदार खुशवंत सिंह जी, जो एक राइटर हैं, ने अपने आर्टिकल में लिखा कि मैंने यह देखा कि ...(**व्यवधान**)... आरएसएस का समर्थन नहीं रहा...(**व्यवधान**)

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: What is this happening? Sir, how long will you allow this?...(*Interruptions*)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदय, दिल्ली में अगर सिखों को बचाया तो आर०आर०एस० ने बचाया। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं इस को देख लूंगा, आप बैठ जाइए। उन्हें खत्म करने दीजिए।

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: जो चाहेंगे कहेंगे। He thinks he can get away with anything and everything. He won't ....(*Interruptions*)

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ (Jammu & Kashmir): Sir, I am on a point of order. She has said वह * बोल रहे हैं। सुषमा जी ने कहा है वह * बोल रहे हैं। * is unparliamentary.

श्री सभापति: माननीय सदस्य बैठिए। मैं समझता हूं कि * शब्द का प्रयोग किया गया है, वह मैं हटा दूंगा। आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य बैठ जाइए।

SHRI JANARDHANA POOJARY: She has said. It is true...(*Interruptions*)..

श्री सभापति: कोई अन-पार्लियामेंटरी वर्ड होगा, तो मैं कार्यवाही से हटा दूंगा। माननीय सदस्य बैठ जाईए।

श्री नीलोत्पल बसु: सर एक मिनट। सर, क्योंकि यह शिकायत आयी है कि जनेश्वर जी * बोल रहे हैं।

श्री सभापति: यह मैं देख लूंगा और हटा दूंगा। ...(**व्यवधान**)... मैं कह रहा हूं * शब्द बोला है। मैं हटा दूंगा।

श्री नीलोत्पल बसु: सर, आप से अनुमति मांग रहा हूं, एक बात हाउस के संज्ञान में लाने के

*Expunged as ordered by the Chair.

लिए कि कमीशन ने भी एक जगह observe किया है कि कांग्रेस के लोकल लीडर्स के साथ दूसरे ऑर्गनाइजेशंस भी थे This is very necessary to ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप बैठ जाइए। मैं इस को देखूंगा, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... चलिए, बोलिए।

SHRI VIKRAM VERMA (Madhya Pradesh): It was the Communist Party..(*Interruptions*).. They were Communists....(*Interruptions*)..

श्रीमती सुषमा स्वराज: वामपंथी थे ...(**व्यवधान**)... वह दूसरे संगठन आप थे।

श्री नीलोत्पल बसु: वह सरकार की जांच में आ जाएगा।

श्री जनेश्वर मिश्र: महोदय, मुझे इस बात का दुख है कि मेरी किसी बात से, मेरे उन मित्रों को जो वाकयी मेरे मित्र हैं निजी तौर पर थोड़ी सी चोट लगी है और मैं इस के लिए अपना दुख व्यक्त करता हूं।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री जनेश्वर मिश्र: मैं कभी भी किसी को चोट पहुंचाने के लिए, अपनी जवानी के दिनों में जरूर बोला करता था, अब तो बहुत ढीला-ढाला बोलता हूं। ...(**व्यवधान**)... अब अगर कोई गुस्से में आकर मुझे * भी कहता है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: नहीं-नहीं, * नहीं कहा है। मैंने वह शब्द हटा दिया है।

श्री जनेश्वर मिश्र: उस को आप देख लीजिए।

श्री सभापति: हां, मैं देख लूंगा। आप आगे चलिए।

श्री जनेश्वर मिश्र: अगर इस तरह के शब्द का इस्तेमाल चलने लगेगा तो थोड़ा हमें भी सहूलियत हो जाएगी। हम भी इस का इस्तेमाल किसी के लिए कर लेंगे।

श्री सभापति: जवानी के दिन गए, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने के दिन गए।

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, यह सवाल कांग्रेस और आर॰एस॰एस॰ का, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट का नहीं है। यह सवाल पूरे देश का है और संपूर्ण मानवता का है। माननीय सदस्यों ने उस की तरफ इशारा किया है। इस समय जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, उनको यह देखना पड़ेगा कि कुछ मुल्जिम जिन की तरफ इशारा हो गया, पूरे-का-पूरा नहीं, मैं ने कह दिया लीपा-पोती होती है कमीशन में, लेकिन कुछ मुल्जिम जो जरा भी शक के दायरे में दिखायी दे रहे हैं, उन में से कोई

*Expunged as ordered by the Chair.

बचने न पाए। यह गारंटी प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी को विशेष रूप से देनी पड़ेगी। यह सच है कि यह आप के लिए कड़वा काम है क्योंकि वह आप के घर के लोग हैं, लेकिन यह भी तो कड़वा काम है प्रधान मंत्री जी कि आप सरदार हैं और सरदारों पर ज्यादती हुई है। उस ज्यादती के लिए औरतें, बच्चे सीना पीट रहे हैं। उनकी आंख से बहते हुए आंसू भविष्य में न बहने पाएं, इस के लिए आप को इंतजाम करना पड़ेगा। उस में अगर आप ने कोताही की तो परेशानी होगी। सभापति जी, एक माननीय सदस्य से हम ने कहा कि प्रधान मंत्री जी तो आप की बिरादरी के हैं, क्यों हम लोगों को तंग कर रहे हो, बहस कर रहे हो। उस ने कहा कि मोना सरदार है। हम नहीं जानते कि मोना सरदार कौन कहलाता है, लेकिन उन्होंने हम से ऐसा कहा। हम चाहेंगे यह सरदार का सवाल नहीं, सिख का सवाल नहीं बल्कि इंसान का सवाल है। इस सवाल पर यदि कहीं भी कोताही की गई तो हिन्दुस्तान दुनिया के देशों के सामने एक शर्मिंदा मुल्क की तरह सिर झुकाए हुए चलेगा। यह मौका आ गया है कि हम अपने को सुधारें और आनेवाली सरकारों के लिए भी एक चेतावनी दे दें कि इस तरह की दरिंदगी नहीं की जाएगी।

सभापति महोदय, मुझे अच्छी तरह से याद है कि नई-नई सरकारें बन रही थीं, उस समय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सरकार केरल में, त्रावणकोर-कोचीन में बनी थी। एक गोलीकांड हो गया। हमारे नेता डा॰ लोहिया जी जेल में थे। वहाँ के चीफ मिनिस्टर पट्टमतानु पिल्लई को उन्होंने तार भेजा कि ज्युडिश्लि इन्क्वायरी करवाओ और इस्तीफा दो। हमारी पार्टी के लोगों ने कहा कि इस्तीफा और ज्युडिशियल इन्क्वायरी, दोनों कैसे? उन्होंने कहा कि इंसानी रिश्ते और पुलिस की गोली के बीच में हमेशा-हमेशा के लिए फैसला करो कि जब कभी भी इस तरह की गोली चलेगी या किसी की जान जाएगी तो जो सबसे बड़ी कुर्सी पर होगा, वह इस्तीफा देगा और तब जांच होगी। जाँच के बाद वह बरी हो गया या छूट गया, यह अलग बात है। यह बात तो हम लोगों की फेल हो गई। पार्टी में हम लोग हार गए। उस समय हमारी पार्टी में बड़े-बड़े नेता लोहिया जी के खिलाफ भिड़ गए ...(**समय की घंटी**)... कि दोनों कैसे चलेगा?

इस प्रकार इंसानी रिश्ते को तय करने के मौके कभी-कभी आया करते हैं। हम चाहेंगे कि माननीय प्रधान मंत्री जी इसमें पहल करें और एक बार इंसान-इंसान के बीच में यह तय हो जाए कि बेगुनाह इंसान अब उनके हाथों नहीं मारा जाएगा, जिनके हाथ में हथियार हैं। आपकी पुलिस का कोई बड़ा रोल तो नहीं था, लेकिन उस समय पुलिस केवल ढ़ीली थी। पुलिस कुछ भी करने को तैयार नहीं थी। अकर्मण्य की तरह न तो वह मदद कर रही थी और न ही मारने वालों को रोक रही थी। इतना ही कसूर था। रिपोर्ट में यही है। लेकिन, पुलिस विभाग के उन अधिकारियों को अब आप सजा भी क्या देंगे? उनमें से बहुत-से मर चुके होंगे। यह एक बहुत ही भयानक स्थिति है। इस पर बहुत कुछ नहीं हो सकता। केवल जो लोग जिन्दा हैं और उस समय के दोषी हैं, उन लोगों पर मुकदमा चलाकर, उनको जेल भेजा जा सकता है। गृह मंत्री जी की कलम में कितनी ताकत है, मैं नहीं

जानता। मैं जानता हूँ कि रिपोर्ट कोई फैसला नहीं दिया करती है, लेकिन रिपोर्ट जो इशारा करती है, उस पर एक्जिक्यूटिव कार्रवाई करती है और उस पर मुकदमा चलता है। मैं चाहूँगा कि उन पर मुकदमा चलाया जाए ताकि भविष्य में ऐसा न होने पाए और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जहाँ-जहाँ पर जितने लोग मारे गए, चाहे दिल्ली में या चाहे चंडीगढ़ में या कहीं, उनका नाम लिखकर एक पिलर पर टांग दिया जाए कि यह घटना हुई थी, यह हादसा हुआ था और हम देश के लोग यह व्रत लेते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना दुहराई नहीं जाएगी। धन्यवाद।

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): Mr. Chairman, Sir, today, we are discussing an important issue. Shrimati Indira Gandhi was a popular leader of our country. When she was assassinated, there was a mass genocide in which more than three thousand Sikhs were killed. The situation went out of control. The then Government failed to to control the situation. After that, several Commissions were appointed to just console the people, but the outcome was nil. Sir, the victims were not rendered justice. The last Commission, headed by Justice G.T. Nanavati, pointed out the lapses and dereliction of duty of the law enforcing authority.

(Mr. Deputy Chairman in the Chair*)*

Sir, the Commission criticised the Police about its inaction when the crime was perpetrated. The Police remained a passive spectator, and did not provide protection to the public. Timely action against those who indulged in riots would have saved many lives. Sir, this is a crime against minorities. Sir, the Congress Party always says that it is committed to protect minorities and their welfare in the country. But the 1984 incidents indicate clearly that the Congress Party goes against the interests of the minorities. The minorities were not safe during the regime of the Congress Party. The Nanavati Commission observed that the riots against Sikhs in 1984 were an organized crime, done in a systematic manner. The Delhi Police were not only negligent about protecting the Sikhs, but also instigated the attacks.

When Shrimati Indira Gandhi was assassinated on 31st October 1984, the situation was really horrible. The Commission says that by 2.00 P.M. on that day, angry crowds started pulling out Sikh passengers from buses, manhandling them; this was followed by massacres. It was a nightmare, not only for the Sikhs, but for the civilised society as well. Most killings took place on the 1st and 2nd of November, 1984. Big mobs, armed with weapons, attacked the houses of Sikhs; male members were assaulted mercilessly and many of them were burnt alive or cut into pieces. Many

bodies were removed in vehicles and were thrown into the Yamuna river. Vehicles of Sikhs were damaged and burnt. Many shops and business establishments of the Sikhs were looted and burnt.

According to the Ahuja Committee, 2733 Sikhs were killed in Delhi alone between 31st October and 7th November, 1984. But the Sikhs claim that more than 3000 persons were killed. About 2557 affidavits were received. The Commission says that the Government of the day had a hand in it. When Shri P.V. Narasimha Rao was approached, he stated that he would be looking into the matter. But that was all. No action was taken against the culprits. The then President of India, Shri Zail Singh, was also helpless and the Government of the day did not trust him. Many commissions were appointed, but the outcome is, justice denied. No adequate compensation was paid to the families of the victims. The Action Taken Report on this incident is an eyewash. All culprits were exonerated of the crimes.

Sir, it is indicated in the report of the Commission that some leaders of the Congress Party had taken part in the incident directly and some of them indirectly in the killings. Hence, I demand that strong action must be taken against the culprits who were responsible for the incident directly or indirectly.

Sir, it is an irony and shame on the entire nation that even after twenty-one years of the incident, not even a single person has been convicted; forget about conviction, not even a single person was chargesheeted while the mob killed more than 3000 people.

The Nanavati Commission observed that there was a probable hand of Congress people who are presently Ministers and MPs. In spite of this indiction and crystal-clear recommendation that there is enough evidence to prosecute these people, the present Government is shying away from taking action and prosecuting the persons responsible for the deadly riots.

Sir, the Government should not sit idle anymore. It should lauch prosecution immediately. It is high time the guilty were booked. In addition to launching an effective and immediate prosecution, the Government should announce a special package for those families who had lost their entire family and property. The Government should consider providing

employment to at least one memebr of the family if that family has lost all the earning male members and if it has no other sufficient means of livelihood.

Sir, yesterday, the Union Minister, Shri Jagdish Tytler, resigned; also, the Prime Minister has given an assurance yesterday of reopening all the cases and initiating action against the culprits. I welcome the assurance of the Prime Minister. But the way in which the ATR has been prepared and cleared raises some doubts in the minds of the people whether this Government would implement the assurance of the Prime Minister in letter and spirit. The apprehension of the people has to be cleared by the Government. It is your responsibility to prove your *bona fide* in maintaining your word and implement the assurance fully. Sir, the Government should not allow the real culprits to go scot-free. This is my demand. Thank you.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Thank you, Sir. Even after 21 years of this event, still people are in streets crying for justice. The Nanavati Commission, which has enquired into the 1984 massacre, has received more than 2557 affidavits. The earlier Commissions have also received affidavits 669 affidavits by Justice Ranganatha Mishra Commission, 415 affidavits by Jain Commission. Sir, the people who were minors at that time, have become major now. It should be the prime duty of the Government to see that compensation is paid to orphans and widows, and victims are rehabilitated. This should be the prime duty of the Government. Healing the wounds with our articulation, sweet words and some apologies by some leaders will not serve the purpose. We should not dilute the Report of the Nanavati Commission. Sir, the political parties should have introspection. Whenever there is an unfortunate incident in the country, taking undue advantage of this unfortunate event, the Congress Party indulges in victimisation. They attack their opponents. My party was also a victim of such an event. When Shri Rajiv Gandhi was assassinated in Sriperumbudur, my entire party cadre in Andhra Pradesh was under threat. The properties of my leaders, Shri N.T. Ramarao, were attacked and many party workers were killed, which has forced Shri N.T. Ramarao to go on fast-unto-death to protect our party cadres. Political parties should preach good things to the cadre. Take the 1984 massacre or post-Rajiv Gandhi assassination, the Congress, as a party, itself was involved in such * .. ..*(Interruptions)*..

*Expunged as ordered by the Chair.

PROF. P.J. KURIAN (Kerala) : It is not correct. ..(*Interruptions*)..

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu): It is a matter of fact. ..(*Interruptions*)..

PROF. P.J. KURIAN: He should withdraw this. ..(*Interruptions*)..

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Why should I withdraw? I stand by it. ..(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kurian, please sit down. ..(*Interruptions*).. Let him complete. ..(*Interruptions*)..

PROF. P.J. KURIAN: How can you say that? He should withdraw this ..(*Interruptions*)..

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, I stand by it. ..(*Interruptions*).. I stand by it. ..(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will look into it. ..(*Interruptions*).. If there is anything objectionable, I will look into it. ..(*Interruptions*).. Mr. Kurian, please. ..(*Interruptions*).. When you speak, you can answer this. ..(*Interruptions*)..

PROF. P.J. KURIAN: Who is he to say that? ..(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ..(*Interruptions*).. Please sit down. ..(*Interruptions*)..

DR. ALLADI P. RAJKUMAR (Andhra Pradesh): It is a fact. ..(*Interruptions*).. Do you understand that? ..(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Rajkumar, I have not called you. ..(*Interruptions*).. Dr. Rajkumar, I have not called you. ..(*Interruptions*)..

PROF. P.J. KURIAN: This is not the way. ..(*Interruptions*).. This is not the way. ..(*Interruptions*).. It is not a fact. ..(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If it is not a fact, you refute it when you speake, but not now. ..(*Interruptions*)..

SHRI V. NARAYANASAMY: He is misleading the House. ..(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, please sit down. ..(*Interruptions*).. If there is anything objectionable or unparliamentary, I will look into it and delete it. ..(*Interruptions*)..

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, my humble request to you is that please inquire with your colleagues from Andhra Pradesh.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Reddy, please confine yourself to the Nanavati Commission Report. ..(*Interruptions*). Don't digress ..(*Interruptions*).. Mr. Rajkumar, he is speaking. You need not interfere. He can defend himself. ..(*Interruptions*)..

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, this is a fact.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why should you do it? He will do it.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, for the fact, I will support him.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, sit down, Mr. Rajkumar.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, when people are freely expressing their points which are outside the purview of Nanavati Commission's Report, referring to Gujarat and many other things, is it not my responsibility. ..(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are taking your own time. Mr. Reddy, as you have only seven minutes, kindly conclude now.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, please delete the time of this interruption. ..(*Interruptions*).. There is a reason for my submission. Sir, whenever an unfortunate incident takes place, it is the duty of political parties to restrain their party workers from indulging in any illegal activities, violence, destroying the properties of opponent parties. Taking undue advantage of that unfortunate incident, they had attacked my party workers; they had attacked properties of my party leaders. It is not a fact that NTR went on fast-unto-death? He sat at the Tank Bund in Hyderabad? (*Time-bell*) Sir, this is the reality. The Congress Party's name is mentioned, time and again, in the Nanavati Commission's Report. In many volumes, it has been clearly stated that the Congress, as a party, was involved in this whole incident. The Congress Party had organised ...(*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. S.S. Ahluwalia...(*Interruptions*).

SHRI JANARDHANA POOJARY; Don't mislead the House ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN; Please, conclude. ...(*Interruptions*)... I can't help if you are raising ...(*Interruptions*)...

SHRI V. HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh): How can he say this?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Hanumantha Rao, please sit down...*(Interruptions)*... Mr. Narayanasamy, please sit down .. *(Interruptions)*. In between, you are wasting the time of the House. This is not interruption; this is only wasting the time of the House.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: I would have completed by this time. I will confine myself to the subject. I wanted to take an example of such a massacre.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is over. You were concluding. Please, conclude now.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, I just want to place a few suggestions and demands.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already concluded. You are just again going back.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, if you delete the time of this interuption, I have spoken only for two minutes. I request that not only the Congress Party but also other political parties should have some introspection. They should rise above party politics and see that their cadres are restrained from indulging in such activities. As I said, it is not a blame-game. Taking undue advantage of some unfortunate incident like death of a senior leader takes place has always been the tradition in the country. They take advantage during elections.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, conclude. I have called the next speaker. Please, conclude. Your party's time is over. Please, conclude.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: You take out the interruption time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Even if I take out interruption time, you have already taken the allotted time.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, the feelings of Sikhs in this country, who are great patriots of the nation, should be understood by the Government; and there should be a clear action programme regarding rehabilitation, compensation and the persons who are actually involved in the case should be prosecuted and the prosecution should be done in a time-bound manner. In the case of Indira Gandhi assassination,

the accused was tried; in the case of Rajiv Gandhi assassination, the accused was tried, whereas in the case of poor victims who were in houses and shops, who were murdered—more than 3000 Sikhs were murdered including youngsters and children—no action has been taken. Look at the plight of orphans and widows. All this should be kept in mind while...(*Time-belleings*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ahluwaliaji.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: I will just conclude. I welcome the gesture on the part of the Prime Minister. Yesterday, he spoke in the other House. I appreciate the sentiments expressed by him. But, let there is a concrete action. Dropping a Minister will not serve the purpose. There should be a legal action against the people who are directly involved in this case. That is my contention.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri S.S. Ahluwalia. You have 14 minutes.

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया (झारखंड): उपसभापति महोदय, बहुत दिनों बाद उनके बारे में हम सदन में चर्चा कर रहे हैं। 31 अक्तूबर से लेकर 7 नवम्बर तक जिनकी उम्र दुधमुंहे बच्चों की थी आज वे 21 वर्ष के हैं और नौजवान तो तब कोई बचा नहीं था। जो विधवाएं हुई, उन दुधमुहें बच्चों को, अनाथ बच्चों को पालने में उनको क्या कष्ट हुआ, उसका विश्लेषण करने की जरुरत नहीं है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रखी हैं। मैं अपनी लम्बी बात नहीं करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि त्रिलोकपुरी और सुलतानपुरी की बात तो मैं तब करुं जब और जगहें सुरक्षित हों। हमारी जहां पार्लियामेंट है, जहां नॉर्थ ब्लॉक है, महोदय, यह नॉर्थ ब्लॉक गुरु तेगबहादुर के संस्कार स्थान गुरुद्वारा रकाबगंज की जमीन पर बना हुआ है। जब अंग्रजों को रायसीना हिल बनाना था और राष्ट्रपति भवन के बगल में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक बनाना था, तो उन्हें जमीन की जरुरत थी। तब गुरुद्वारा से जमीन लेकर उन्होंने नॉर्थ ब्लॉक बनाया था और इसके निस्पत लाहौर में जमीन दी गई। महोदय, जिस गुरुद्वारा रकाबगंज के चारों तरफ, और जो प्रतीक है उस हिन्द की चादर गुरु तेगबहादुर की शहादत का जो जनेऊ, तिलक और बोदी का राखा और उस गुरु तेगबहादुर के उस स्थान के चारों तरफ, एक तरफ नॉर्थ एवेन्यू है, प्रेजीडेंट हाऊस है, नॉर्थ ब्लॉक व साउथ ब्लॉक है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट है, महोदय, इस पार्लियामेंट के नजदीक और नॉर्थ ब्लॉक है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के तहत, जब गुरुद्वारे पर हमला हुआ तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। गुरुद्वारा रकाबगंज पर जो हमला हुआ, उसकी अगुवाई कोई और नहीं हमारे आज के केबिनेट मंत्री कमल नाथ जी कर रहे थे। ...(**व्यवधान**)... कमल नाथ जी कर रहे थे और वे ...(**व्यवधान**)... मैं पढ़कर सुनाऊंगा ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): किसी का नाम नहीं ले सकते। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप नाम नहीं लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: महोदय, यह नानावती कमीशन कह रहा है। रिपोर्ट के पेज नम्बर-15 पर, पुलिस थाना संसद मार्ग, जहां दो घटनाएं अंकित हुई हैं। मैं यह हिन्दी की किताब पढ़ रहा हूं, उसमें देख लें। एक घटना घटी गुरुद्वारा रकाबगंज में एक तारीख को और दूसरी घटना राम विलास पासवान जी के घर में जो आपके काबिना मंत्री हैं...(**व्यवधान**)... मैं पढ़कर बता दूंगा। सुरेश जी, आप जानते हैं कि मैं हर चीज का जवाब दूंगा।

श्री उपसभापति: मगर यह भी ख्याल रखिए कि आपके पास 14 मिनट हैं।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: 14 मिनट में तो मैं अपनी बात नहीं कह सकता।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: ये प्रत्यक्षदर्शी हैं इसलिए उनको पूरी बात कहने के लिए मौका दिया जाए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: चेयरमैन साहब ने टाइम एलौट किया हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: एक वृद्ध सिख जो गुरुद्वारा परिसर के भीतर थे भीड़ के करीब गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भीड़ को शांत करने की कोशिश की और इस बात के लिए मनाने की कोशिश की कि वे गुरुद्वारा पर हमला न करें। फिर वृद्ध सिख को गुरुद्वारा परिसर के बाहर घसीट लिया गया और बुरी तरह पीटा गया और जब वह गिर गए तो भीड़ में से एक व्यक्ति ने उन पर सफेद पॉवडर फैंक दिया, जिसकी वजह से उनका शरीर जलना शुरु हो गया। उनका बेटा अपने पिता की हालत देखकर उनको बचाने के लिए गुरुद्वारा परिसर के बाहर आ गया और उस स्थान की तरफ दौड़ा, भीड़ ने उसे पकड़ लिया और उसे पीटा और उसी तरह से आग लगा दी। उसके बाद और कुछ श्रृद्धालुओं की मदद से इन दोनों व्यक्तियों को गुरुद्वारे के भीतर लाया, वे अभी तक जीवित थे। उसने और अन्य लोगों ने पुलिस से अनुरोध किया कि व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया जाये, किन्तु उन्होंने कोई सहायता देने से मना कर दिया। वृद्ध व्यक्ति का कुछ देर बाद देहान्त हो गया, सिख युवक की भी करीब तीन-चार घंटे बाद मृत्यु हो गयी, क्योंकि उसे कोई डाक्टरी सहायता मुहैया नहीं करा सकी। इस गवाह ने यह भी बताया कि उसके बाद भी गुरुद्वारे पर हमला होता रहा। पटाखों को बंदूक की गोलियां समझकर भीड़ गुरुद्वारे के बाहर आ गई है, जब भीड़ ने दोबारा गुरुद्वारे के अंदर आने की कोशिश की, तब एक व्यक्ति ने जो गुरुद्वारे के अंदर था, अपनी लाइसेंस प्राप्त बंदूक से भीड़ को डराने के लिए हवा में गोलियां फायर कीं। उसके बाद भीड़ अधिक हो गयी और उस समय की भीड़ में कांग्रेस के नेता कमल नाथ और वसंत साठे दिखाई दिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister wants to intervene.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Sir, the hon. Member is reading from an affidavit file and I am reading from ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: No, no, I will read out that also. ...*(Interruptions)*... I will read out that also...*(Interruptions)*

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: What is the decision given in this, Sir? ...*(Interruptions)*...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, मैं पढ़ रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... don't come to the conclusion. I will read out that also. ...*(Interruptions)*...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I will not be given time to reply to each of these points. ...*(Interruptions)*... misleading information to the House. That is why I am intervening ...*(Interruptions)*... Sir, this is on page 141 ...*(Interruptions)* ..

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी: उपसभापति जी, यह तो उनका अधिकार है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: देखिये, मिनिस्टर इंटरवीन कर सकते हैं। .. (**व्यवधान**)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (Bihar): Sir, how can the Minister ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: देखिये। ...(**व्यवधान**)... Please sit down. ...(**व्यवधान**)... मिस्टर अहलुवालिया जी, आप जो रेफर कर रहे हैं, मैं आपको केवल इतना ही कहूंगा कि आपका समय है, अगर आप पूरा एफिडेविट पढ़ेंगे, तो आपका समय बर्बाद होगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: यह मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...जो वक्त मुकर्रर है, वही आपको मिलेगा। ...(**व्यवधान**)

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी: सर, मुकर्रर के अलावा भी समय मिलना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... आप उनको बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... उनको बोलने से वंचित मत करिये। ...(**व्यवधान**)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, there are ...*(Interruptions)*... If I am expected to reply to these in the time given to me ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I would request the hon. Members to ...*(Interruptions)*...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I will just read out what the ...(*Interruptions*)...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): He is reading from the Report. ...(*Interruptions*)... What is this? How can you object to him? ...(*Interruptions*)...

SHRI N. JOTHI: What action will he take thereafter? ...(*Interruptions*)... I don't think he will take action at all. ...(*Interruptions*)... I don't think he will take action at all. ...(*Interruptions*)...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: He is not allowing him even to read. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, sit down. ...(*Interruptions*)... Please, sit down. ...(*Interruptions*)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सर, यह बहुत गंभीर विषय है। गृह मंत्री जी को तो उनको सुनना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप बैठ जाइये ...(**व्यवधान**)... अब्दुलकलाम जी, ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**)... मैं किसकी बात सुनूं। ...(**व्यवधान**)... यह सीरियस मैटर है, there is no doubt about it. But ...(*Interruptions*)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: माननीय उपसभापति महोदय, ...(**व्यवधान**)...

संसदीय कार्य मंत्री और शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): माननीय उपसभापति जी, गृह मंत्री जी ने खाली एक ही चीज़ बताई कि माननीय ...(**व्यवधान**)... .

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: गृह मंत्री जी को चर्चा का जवाब देने का अधिकार है। ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम नबी आजाद: माननीय सदस्य ने कहा था कि मैं कमीशन की रिपोर्ट पढ़ता हूं। माननीय सदस्य जो पढ़ रहे हैं, वह कमीशन की रिपोर्ट नहीं है, वह शपथ-पत्र पढ़ रहे है। ...(**व्यवधान**)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: गृह मंत्री जी को या प्रधान मंत्री जी को चर्चा का जवाब देने का अधिकार है। ..(**व्यवधान**)... हमें सारी बातों को उठाने ...(**व्यवधान**)... अगर कोई बात उन्हें ...(**व्यवधान**)... तो जवाब दें लेकिन बीच में ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why are you answering, Mr. Rajkumar? *(Interruptions)*

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: अगर कोई चीज Objectionable लग रही है तो आप ...**(व्यवधान)**... यह तो ठीक नहीं है। चर्चा को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

डा॰ अलादी पी॰ राजकुमार: वे रिप्लाई में बोल सकते हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, sit down. *(Interruptions)*

SHRI BALBIR K. PUNJ (Uttar Pradesh): Sir. he has the right to reply, but he has no right to intervene. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That, you should also follow, and they should also follow. *(Interruptions)*. Please , sit down. *(Interruptions)* I remind the hon. Members that the Chair is there to regulate. You don't need to come for everybody's support. If somebody raises an objection, the Chair will look into that objection. If the hon. Member wants to say something, the Chair is there. Why all of you want to defend and get up? *(Interruptions)* Now, Mr. Ahluwalia, the objection *(Interruptions)*.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir. I am reading his objection. Now, I am reading what he...*(Interruptions)*...

SHRI BALBIR K. PUNJ: Sir, *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Punj, this is very bad. I will not allow you. You cannot get up for everything. When I am there to regulate, you need not get up every time. ...*(Interruptions)*... You want to dare the Chair.

श्री एस. एस. अहलुवालिया: उपसभापति महोदय, हमारे ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: अब आपको भी चाहिए कि ...**(व्यवधान)**... The Chair is there to regulate. Please, don't ...*(Interruptions)*...Please, listen to me. The objection is this. *(Interruptions)*

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, I heard that. Now, I am responding to that. साक्ष्य का आकलन, ऐवीडेंस का जो आकलन किया गया-असेसमेंट ऑफ दी ऐवीडेंस। हिन्दी रिपोर्ट में पेज संख्या-107 देखिए। "श्री मुख्तियार सिंह का कथन है कि श्री कमल नाथ भीड़ को उत्तेजित कर रहे थे। तब श्री वसंत साठे और कमल नाथ एक साथ थे।" दूसरा, लास्ट पैराग्राफ में

लिखते हैं—जो कमल नाथ जी को ऐफिडेविट फाइल करने को कहा गया—उसके बारे में नानावती खुद लिखते हैं कि "श्री कमल नाथ द्वारा दाखिल उत्तर अस्पष्ट है" -vague- आगे लिखते हैं कि "पुलिस आयुक्त के वहां पहुंच जाने के बाद उन्होंने वह जगह छोड़ दी थी। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे उनसे मिले थे या नहीं। वे एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता थे और कानून और व्यवस्था की स्थिति के प्रति चिंता महसूस कर रहे थे, इसलिए गुरुद्वारा गए और इसीलिए थोड़ा आश्चर्य प्रतीत होता है कि वहां आए पुलिस अधिकारियों से संपर्क किए बिना ही वे वहां से अचानक चले गए।" क्यों चले गए? वे चिंता प्रकट कर रहे हैं।

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Read the last sentence also.

SHRI S.S. AHLUWALIA: I am reading the last sentence o. Why...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: आप बोलिए।

श्री एस. एस. अहलुवालिया: पेज 108 पर कहते हैं कि "मुख्तियार सिंह और श्री अजीत सिंह ने कमल नाथ के द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में जो कुछ बताया है, वह भीड़ में व्यक्तियों से बात करते समय श्री कमल नाथ के हाव-भाव पर आधारित है"-gesture-वे क्या कह रहे थे* **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It should not be recorded. *(Interruptions)*. I have deleted that. *(Interruptions)*. I have deleted that. *(Interruptions)*. What is this? Whatever objectionable ...*(Interruptions)*... I have deleted that. This is what I am requesting. *(Interruptions)*.

श्री एस. एस. अहलुवालिया: Otherwise also, I will come to that. *(Interruptions)*. आगे क्या लिखते हैं। **...(व्यवधान)...** फिर नानावती जी कहते हैं कि "बेहतर साक्ष्य के अभाव में आयोग के लिए यह कहना संभव नहीं कि उन्होंने भीड़ को किसी तरीके से उत्तेजित किया।" बेहतर साक्ष्य **...(व्यवधान)...** ठीक है। I am coming to that point.

SHRI S.S. AHLUWALIA: I am coming to that point ...*(Interruptions)*... Please have some patience ...*(Interruptions)*... बेहतर साक्ष्य की बात आप करते हैं **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be mindful of your time...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, this is not good ...*(Interruptions)*... Please, Sir ...*(Interruptions)*...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सर, आपसे निवेदन है कि इस डिबेट में आप यह मत कीजिए। **...(व्यवधान)...** मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। **...(व्यवधान)...**

*Not recorded.

श्री उपसभापति: मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लीडर्स भी मैम्बर्स को यह कहिए कि इसमें *(interruptions)*. करके वक्त खराब न करें। ...**(व्यवधान)**... वक्त खराब हो रहा है। ...(व्यवधान)... जोशी जी, आप फिर खड़े हो गए, प्लीज बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस. एस. अहलुवालिया: बेहतर साक्ष्य की बात आप करते हैं। मैं रंगनाथ मिश्र कमीशन रिपोर्ट के पेज नंबर 33 को quote करता हूं।

"There is abundant evidence before the Commission that the police, on the whole, did not behave properly and failed to act as a professional force. Telephone no. 100 which is meant for notifying for police assistance, did not respond at all during that period. The police stations when contacted on telephone, ordinarily did not respond and if there was any response, it was plea of inability to assist. पुलिस ने तो कोई समर्थन नहीं किया। The behaviour of most policemen was shabby in the sense that they allowed people to be killed, houses to be burnt, property to be looted, ladies to be dragged and misbehaved with, in their very presence. Their plea was that they were a few and could not meet the unruly armed mob usually of hundreds or thousands. Some senior officers had taken the stand that the community was in a frenzy and to meet the cruel mob greater strength of force was necessary. Obviously, the police could not expect that their number, this, this..."

आगे रंगनाथ मिश्र जी ने आर. एस. सेठी, जो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, उनसे सवाल किया। R.S. Sethi, the then District Magistrate of Delhi and now Commissioner of Lands, DDA, told the Commission:

"My impression is that the senior police officers were anxious to maintain law and order at any cost. They were, however, not fed with appropriate and timely information by the police officers in the different areas in the field. I am prepared to substantiate this impression of mine by facts. For instance, in Trilokpuri, killings were about 260. The Commissioner of Police in the meeting called by the Lt.-Governor, on the basis of information collected by him, disclosed this figure to be between 20 and 30. Same was the situation in Palam Colony. As against actual deaths of 300, the police statement disclosed deaths of about 30-40 persons. I moved from house to house in Palam Colony along with Mr. Ashok Pradhan who was helping in relief operations. I saw the same situation in Trilokpuri area."

उनसे दूसरा क्वेश्चन किया गया। In answering the question of the Commission as to whether it was a case of positive negligence or one of callousness or inattention, Shri Sethi stated:

"I do not think it is a case of open participation but, to my mind, it seems to be a case where under pressure, they remained away from duty and ceased to be effective with a few exceptions. Some SHOs were very effective and dutiful. About 25 to 30 per cent of these SHOs were found effective. All others remained indifferent and did not come up to the mark."

"The Commission wanted a clarification as to the meaning of 'pressure' and Shri Sethi stated:

"I refer to local political pressure, but in the absence of any positive material, I cannot name the source of pressure. It is, however, a fact that the police remained ineffective as if something had happened to keep them away from their duty."

जब साक्ष्य उपस्थित ही नहीं हुए, केस रजिस्टर ही नहीं हुए, जिसकी बात आप बार-बार कर रहे हैं, चाहे वह कमल नाथ का नाम हो, चाहे सज्जन कुमार का नाम हो, चाहे जगदीश टाइटलर का नाम हो, चाहे धर्मदास शास्त्री का नाम हो, चाहे एच. के.एल. भगत का नाम हो, जब एफ.आई. आर. फाइल ही नहीं हुई,पुलिस ने ऐक्शन लिया ही नहीं, पुलिस ने किसी का नोटिस लिया ही नहीं, तो साक्ष्य कहां से मिलेंगे? और किस साक्ष्य की मांग आप कर रहे हैं? होम मिनिस्ट्री ने, जब नानावती कमीशन बैठाया, तो ये सारे पेपर भी उनको नहीं दिए। किस आधार पर वे रिपोर्ट बनाते उनके सामने जो एफिडेविट आए थे, उसके आधार पर उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। ...**(व्यवधान)**... Mr. Nilotpal Basu, Don't disturb me. I have not disturbed you. ...(*Interruptions*).

श्री नीलोत्पल बसु: यह किस समय हुआ था?

श्री एस. एस. अहलुवालिया: नानावती कमीशन 2000 में हुआ था। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीलोत्पल बसु: आप चार साल ...**(व्यवधान)**...

श्री एस. एस. अहलुवालिया: अरे, भाई यह रिपोर्ट है। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीलोत्पल बसु: 4 साल से सरकार ने क्यों नहीं को-ऑपरेट किया। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस. एस. अहलुवालिया: आप कहते हैं कि केस क्यों नहीं चला। केस कैसे चल सकता है?...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज, प्लीज। ...**(व्यवधान)**... प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। अब अहलुवालिया जी अब आप कन्कलूड कीजिए।

श्री एस. एस. अहलुवालिया: मैं कन्कलूड करता हूं, सर, लोगों को ...**(व्यवधान)**...

श्री मोतिउर रहमान (बिहार): आप लोगों के उपर ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप बैठिए,...**(व्यवधान)**... आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... मोतिउर रहमान जी, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस. एस. अहलुवालिया: सर, अभी यह तो पार्लियामेंट स्ट्रीट के बारे में बताया है, दूसरी जगहों पर जहां दंगे शुरू हुए, जो छोटे-छोटे इलाके थे, जैसे सिकलीगर, जब छोटे-छोटे कारोबार से रोटियां कमाते थे, वहां उन लोगों की किस तरह से नृशंस हत्या की गई। वे सारे लोग एक समुदायिक भवन में जाकर इकट्ठे हो गए। वहां पर पुलिस गई, वहां के नेता गए, उनको समझाकर, बहला-फुसला कर कहा कि तुमको कुछ नहीं होगा, तुम घर चलो। वे उनको वापस घर लाए, मुहल्ले में वापस लाए। उनके पास जो भी अस्त्र-शस्त्र अर्थात् लाठी, डंडा जो भी था, पुलिस ने यह सब अपने पास रख लिया। अगर तुम्हारे पास ये रहेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा। फिर उनको जिंदा जला डाला। ...**(व्यवधान)**... यह नानावती रिपोर्ट कर रही है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप बैठिए, ...**(व्यवधान)**... उनको बोलने दीजिए। बैठिए, प्लीज-प्लीज।

श्री एस. एस. अहलुवालिया: यही नहीं महोदय, शाहजहां पुर, सासापूसा, ...**(व्यवधान)**... डालटन गंज, दिल्ली, देहरादून जहां पर सिखों ने अपनी बंदूक से, अपनी बहू-बेटियों की इज्जत की रक्षा करने के लिए गोलियां चलाई। उनके सब हथियार जब्त कर लिए और उनको गिरफ्तार किया गया। ...**(व्यवधान)**... मैं कांग्रेस में था। ...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): ये क्या बात कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मिस्टर पाणि, प्लीज सिट डाउन।...**(व्यवधान)**... आप बैठिए। अगर आप अहलुवालिया साहब को टाइम नहीं दे सकते तो मैं भी नहीं दे सकता। ...**(व्यवधान)**... आप उनका वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप बैठिए।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: मैं कांग्रेस में ही था और कांग्रेस के अंदर यह लड़ाई लड़कर ...**(व्यवधान)**... इनके जो लोग सैल्फ डिफेंस में थे, ...**(व्यवधान)**... इनको रिहा कराया। ...**(व्यवधान)**...

1.00 P.M.

श्री उपसभापतिः आप बैठिए, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**..

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालियाः मैंने उन 15 परिवारों को रिहा करवाया। ...**(व्यवधान)**... मेरे पूर्व वक्ता श्री राजनाथ सिंह जी डालटन गंज का उल्लेख कर रहे थे।...**(व्यवधान)**... महोदय मैं प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ...**(व्यवधान)**...

PROF. P.J. KURIAN: Sir, after this incident, for how many more years was he in the Congress Party? (*Interruptions*)

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालियाः जब उनके घर पर हमला हुआ तो डा॰ सी॰एस॰ आनन्द ने बंदूक चलाई। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः अहलुवालिया साहब, आपके 24 मिनट थे, लेकिन मैंने आपको 28 मिनट दे दिए है। ...**(व्यवधान)**... There is a limit. I have given you double the time than what was allotted to you. (*Interruptions*)

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालियाः सर मैं कन्कलूड कर रहा हूं। महोदय, सी॰एस॰ आनन्द की बहू को भीड़ जबरन खींचकर ले गई, तो उसका ससुर या पिता क्या करता? वह गोली नहीं चलाता तो क्या करता? उनको गोली चलानी पड़ी। अन्ततः बेचारे को वह इलाका छोड़कर चले जाना पड़ा। ...**(व्यवधान)**... सन् 1955 से मैं अकेला 9 हाई कोर्ट में, उनके लिए न्याय की गुहार करने के लिए केस लड़ रहा हूं। मैं आपको बिहार एफिडेविट पढ़कर सुनाऊं, ...**(व्यवधान)**... जिन्होंने बीस हजार रुपए मरने वालों को दिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः प्लीज, आप बैठिए ...**(व्यवधान)**...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालियाः और कुछ सुनना चाहते हैं, तो बोलिए। अगर बोलवाना चाहते हैं, तो अभी पूरा बोलता हूं ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः बैठिए, आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... आप क्यों बीच में बोल रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालियाः महोदय, आप इसके एफिडेविट में यह कहते है कि कंपेंसेशन देने के लिए पैसा नहीं है, पांच हजार रुपया देकर कहते हैं कि पैसा नहीं है। बोकारो में 88 लोग मारे गए थे, अनडिवाइडेड बिहार में, उस वक्त (***समय की घंटी***) महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः आप अगर एफिडेविट में जाएंगे, तो कंक्लूड कब करेंगे?

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालियाः मैं तो सीधी-सी बात कह रहा हूं। अभी भी आपने सज्जन कुमार को, दिल्ली की यूटी गवर्नमेंट ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How can you ask certain things? *(Interruptions)*....

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने के बाद अभी भी आपको साक्ष्य चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI YASHWANT SINHA (Jharkhand): Sir, I have been sitting quiet. *(Interruptions)*... This is the way the ruling benches behave. *(Interruptions)*... ये हंस रहे है, हजारों सिख मारे गए थे। ...**(व्यवधान)**...

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा (पंजाब): यह हंसने की बात है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... मेहरबानी करके आप बैठिए ...**(व्यवधान)**...

Mr. Pani, please sit down. *(Interruptions)*... You please sit down. (*Interruptions*)... Let there be some seriousness in the debate. (*Interruptions*)... Let there be some seriousness in the debate. (*Interruptions*)... आप भी खामोश रहिए...**(व्यवधान)**... let there be some seriousness in the debate (*Interruptions*)... We are discussing it. He wants to express something. If it is within the parliamentary rules, let him express. Then you can refute it. (*Interruptions*)... Why do you interrupt in-between? (*Interruptions*)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, अगर सदन नहीं सुनना चाहता, हम लोग चार सिख हैं बोलने वाले, अगर आप नहीं सुनना चाहते we will withdraw ourselves. *(Interruptions)*... We will withdraw. (*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I know that. You need not teil me about the 28 minutes. (*Interruptions*)... Please keep quiet. (*Interruptions*)... Please keep quiet. (*Interruptions*)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: You don't want to hear. (*Interruptions*)... You don't want to hear. (*Interruptions*)... People are making a mockery of everything. *(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: आप ये अननेसेसरी बात कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीलोत्पल बसु: सर, इन्होंने अभी बोला, हम चार सिखों को बोलना है। अगर सदन को, मेरे ख्याल से इस डिबेट में ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप कंक्लूड कीजिए ...**(व्यवधान)**... There is no seriousness.

(Interruptions)... आप बैठिए, It looks to me *(Interruptions)*... Please sit down. *(Interruptions)*... I am on my legs. *(Interruptions)*...

श्री नीलोत्पल बसु: मेरा कहना है कि हमें हर मैम्बर को सुनना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Nilotpal Basu, Please sit down. *(Interruptions)*... देखिए, आज मैं फिर अपील करता हूं, मैंने रिक्वेस्ट किया कि the Chair is here to regulate. *(Interruptions)*... Why does each one of you get up? *(Interruptions)*... What is the need? It means you are not serious in debating it. *(Interruptions)*... I, once again, appeal to you, "Don't get up". Mr. Ahluwalia, kindly conclude because there are other speakers also.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, I am concluding. सर, मैंने नानावती रिपोर्ट पर समग्र रूप से विचार किया और मैं पृष्ठ 135 का उल्लेख करना चाहूंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: अब उल्लेख मत कीजिए, वक्त हो गया ...**(व्यवधान)**... Mr. Ahluwalia, please understand. *(Interruptions)*... You please conclude. *(Interruptions)*...It is not I who fixed up the time. *(Interruptions)*... It is the Business Advisory Body which has fixed up the time.

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, आप नहीं बोलने देंगे तो मैं बाहर चला जाता हूं ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have fixed up the time. The Chairman has fixed up the time. We have to adhere to it. *(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, I am concluding. Please give me five minutes. *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. Don't take more than five minutes.

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: रेकार्ड पर उपलबध साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि 31.10.1984 को या तो बैठकें आयोजित की गई अथवा व्यक्तियों से सम्पर्क किया गया। जो हमले संगठित कर सकते थे, उन्हें सिखों को मार डालने, उन के घरों और दुकानों को लूटने के अनुदेश दिए गए। ये हमले त्वरित और पुलिस से ज्यादा डरे बिना किए गए जिससे काफी हद तक यह लगता है कि उन्हें इस बात का विश्वास था कि उन कृत्यों को करते समय अथवा उसके बाद उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। There was assurance from some quarters to those people that there would be no action against you. You do what you like to do. इसी

तरह इन्होंने पेट्रोल डालकर, सफेद पाउडर डालकर टायर बांध-बांधकर लोगों को जला दिया। सर, जस्टिस नानावती ने अपने इसी समग्र विचार के ऊपर पृष्ठ 136 में दूसरी लाइन में लिखा है कि "जो शुरू में आक्रोश के रूप में फूटा था, वह बाद में संगठित नरसंहार बन गया।" सर, genocide, संगठित, massacre और अभी भी हम इस को anti-sikh-riots बोल रहे हैं। यह नानावती कमीशन लिख रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं।

श्री नीलोत्पल बसु: यह तो सरकार की टर्म्स ऑफ रेफरेंस थी।

श्री उपसभापति: प्लीज बैठिए, नीलोत्पल जी।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: जनता के गुस्से का फायदा उठाकर अन्य ताकतें स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए आ गयी थीं। अनेक शपथ पत्रों से इंगित होता है कि कांग्रेस (आई) नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने या तो उन को उकसाया अथवा सिखों पर हमला करने में भीड़ की सहायता की। किंतु प्रभावशाली और साधन-संपन्न लोगों के समर्थन और सहायता के बिना इतनी जल्दी, इतनी बड़ी संख्या में सिखों की हत्याएं नहीं की जा सकती थीं। यह समग्र विचार में हैं। यह मैं एफिडेविट की बात नहीं कर रहा हूं और उस में पार्टी का नाम लिया गया है। महोदय, उस के बाद ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: इस के बाद आप के पास टाइम कहां है?

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: महोदय, इस के बाद तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट में भजन कौर का एक केस था और दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल देव सिंह ने एक जजमेंट दी थी कि 20 हजार का मुआवजा 2 लाख रुपए किया जाए और इंटरेस्ट को जोड़कर साढ़े 3 लाख रुपए हर मृतक के परिवार को दिया जाए। अगर आज वह इंटरेस्ट के साथ जोड़ा जाए तो साढ़े 4 लाख रुपए हो जाता है। ऐसे केसेस 9 हाईकोर्ट में लोग लड़ रहे हैं, किन्तु वे कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैं कहता हूं उस जनता की मांग क्या है, सिखों की मांग क्या है? वे पैसे नहीं मांगते। आप ने सिख को कभी भीख मांगते देखा है? सिख ने कभी हाथ ऐसे नहीं किया, सिख तो यों देता है। सिख ने कभी हाथ पसारा नहीं और आज भी नहीं पसार रहा है, किंतु हाईकोर्ट में आप की सरकारें एफीडेविट फाइल करके कहती हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। केन्द्र सरकार ने क्यों दिया, यू॰टी॰ ने क्यों दिया, इसलिए दिया क्योंकि initially विनीता राय, जो कि यहां पर डायरेक्टर थीं, उन्होंने लिखकर दिया कि दिल्ली में जो दंगे हुए हैं, उस पर खर्चा जो होगा, उसका भुगतान केन्द्र सरकार करेगी। यही बात, अगर आप लिखें कि पूरे भारत में दंगे प्रधान मंत्री की हत्या के बाद हुए थे, पूरे भारत में जो दंगे का मुआवजा दिया जाएगा, उसका भुगतान केन्द्र सरकार करेगी तो जो विधवाएं कानपुर में, इंदौर में, बोकारो में, चास में, जमशेदपुर में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में घूम रही हैं, उन को आश्रय मिलेगा। महोदय, उन के लिए कुछ काम करने की जरूरत

है, उन को फिर से जगाने की जरूरत है और वह इसलिए कि सिख कौम का गौरवशाली इतिहास है। वे उस गुरु गोबिंद सिंह के सिख हैं, जिन्होंने पिता वारा, चार साहिबजादे शहीद हुए, दो साहिबजादे तो 7 साल और 9 साल की उम्र में दीवारों में चुन दिए गए। उन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए वह कुर्बानी दी। और अंत में कहते हैं:

"जो हमको परमेसर उच्चरहि
ते सब नरक कुंड में परहि
मैं हों परम पुरख को दासा
देखन आयो जगत तमासा।।"

उन्होंने अपने आप को भगवान भी नहीं कहलवाया। किंतु हम तो थोड़ा सा मुआवजा देने के लिए भी कह रहे हैं कि हमें सिरोपा मिले, हमें भगवान बनाओ, हमारा फोटो लगाओ, हमारे नाम का जिंदाबाद बुलवाओ, तब हम देंगे।

महोदय, सिखों की सिर्फ यह मांग थी और सिख को सिर्फ सम्मान से जीने का और सिर ऊंचा कर के जीने का हक चाहिए। महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी को सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं,

"सूरा से पहिचानिये जो लड़े दीन के हेत
पुरजा पुरजा कट मरे कबहूं न छाडे खेत।"

वह सूरा कौन है और किस दिन के लिए लड़ना है? यह किसकी गुहार आ रही है? किसकी मांग हो रही है? ये लोग कौन हैं? जो दलित हैं, प्रताड़ित हैं; जिनके घर थे, उजड़ गए; जिनका सुहाग था, उजड़ गया; जिनका सोना था, छीन लिया गया; जिनकी गाड़ियां थीं, जला डाली गईं। आज वे निर्धन परिवार सिर्फ अकाल पुरख के आश्रय में रहकर मांगते हैं। महोदय, मैं पुन: याद दिलाना चाहूंगा कि एक बार ऐसी ही हालत भारत में हुई थी, जब बाबर का हमला हुआ था। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: अब बाबर का उल्लेख करने जा रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: मैं गुरु ग्रंथ साहब से quote करूंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: अहलुवालिया जी, देखिए। ...**(व्यवधान)**... यह ठीक नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't test my patience ...*(Interruptions)*... I am requesting all the Members ...*(Interruptions)*... Fourteen minutes were left, but I have given you more than 40 minutes ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: I am quoting from the Guru Granth Sahib ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now ...*(Interruptions)*...

AN HON. MEMBER: Give him time, Sir...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Just because one hon. Member from your side is speaking, you say, 'you give time' ...*(Interruptions)*... What are you reading out now? ...*(Interruptions)*... This is not fair ...*(Interruptions)*... No; I will call the next Speaker ...*(Interruptions)*...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: अब मैं उसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: क्या यह जरूरी है? ...**(व्यवधान)**...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: यह जरूरी है ...*(Interruptions)*... This is from the Guru Granth Sahib ...*(Interruptions)*... If anybody is quoting from*, can you stop it? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ahluwalia, what are you talking about? ...*(Interruptions)*... This is too much ...*(Interruptions)*... I think the Leader should take note of this ...*(Interruptions)*...

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, kindly expunge it ...*(Interruptions)*...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: क्या गुरु ग्रंथ पर नहीं तड़पते हो? ...**(व्यवधान)**...

SHRIMATI AMBIKA SONI (Punjab): You please look into the record ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJU PARMAR (Gujarat): Sir, please look into the record ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The word* may be expunged ...*(Interruptions)*... Mr. Ahluwalia, don't do this. This is not good ...*(Interruptions)*... यह ठीक नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI S.S. AHLUWALIA: "Having attacked Khuraasaan, Baabar terrified Hindustan. The Creator Himself does not take the blame, but has sent the Mughal as the messenger of death. There was so much slaughter that the people screamed. Didn't you feel compassion, Lord? O Creator Lord, You

*Expunged as ordered by the Chair.

are the Master of all. If some powerful tiger attacks a flock of sheep and kills them, then its master must answer for it. This priceless country has been laid waste and defiled by dogs, and no one pays any attention to the dead. You Yourself unite, and You Yourself separate; I gaze upon Your Glorious Greatness. One may give himself a great name, and revel in the pleasures of the mind, but in the Eyes of the Lord and Master, he is just a worm, for all the com that he eats. Only one who dies to his ego while yet alive, obtains the blessings, O Nanak, by chanting the Lord's name.

श्री उपसभापति: इसका क्या इम्पोर्टेंस रह जाएगा? **...(व्यवधान)...** आप कंक्लूड कीजिए।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: इसके बावजूद भी क्या आप समझते हैं कि 84 के दंगे, कल आपने कहा कि यह राष्ट्रीय शर्म की बात है। राष्ट्रीय शर्म की बात तो है ही। जिस तरह से लोगों को घेर कर मारा गया। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति: आप क्यों बोलते हैं? **...(व्यवधान)...**

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: उसको न्याय दिलाने के लिए। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति: अहलुवालिया जी, आपने ग्रंथ से कोट किया है, उसके बाद फिर क्यों बोल रहे हैं? **...(व्यवधान)...**

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। **...(व्यवधान)...** क्या कन्क्लूडिंग वर्ड भी बोलने नहीं देंगे? **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति: यह कन्क्लूड नहीं है। **...(व्यवधान)...** आप कन्क्लूड कीजिए। **...(व्यवधान)...**

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही मांग करता हूं कि सिखों को या अकलियत को या हरेक हिन्दुस्तानी को, हरेक भारतवासी को अपने जीने का अधिकार मिलना चाहिए। सम्मान से जीने का अधिकार मिलना चाहिए और जो अधिकार वर्ष 1984 में कांग्रेस पार्टी ने लोगों से छीन लिया था, उस अधिकार को वापस दिलाने का काम करें। धन्यवाद, महोदय।

श्री उपसभापति: प्रो॰ राम देव भंडारी।

SHRI NILOTPAL BASU: What about the lunch break, Sir?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No lunch break today. भंडारी जी, आपके 6 मिनट हैं।

प्रो॰ राम देव भंडारी: नहीं, साहब। जब अहलुवालिया जी पर कोई नियंत्रण नहीं था, तो मुझ पर भी आप नियंत्रण न लगाइए। जब उन पर नियंत्रण नहीं लगाया।...**(व्यवधान)**...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सर, भंडारी जी तो 6 मिनट की बात 4 मिनट में कह सकते हैं। इसका उनको अनुभव है।

श्री उपसभापति: जी, वह तो कह सकते हैं। देखिए, repurcussion क्या होगा आगे चलकर?

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, मैंने भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेताओं, राजनाथ जी और अहलुवालिया जी का भाषण सुना है। बहुत अच्छे तरीके से राजनाथ जी ने अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने शुरू में ही कहा कि यह सामान्य विषय नहीं है। उन्होंने चिंता भी व्यक्त की उस घटना पर, उस घटना की निंदा भी की। मुझे लगा कि बहस आज सही दिशा में जा रही है, मगर जैसे-जैसे बहस आगे बढ़ी, उसका राजनीतिकरण होने लगा।

महोदय, 31 अक्टूबर, 1984 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उसको मैंने और पूरे देश ने एक राष्ट्रीय त्रासदी माना। उसके बाद दिल्ली में जो घटना हुई, जो रॉयट हुए, जिनमें भारी जानमाल का नुकसान हुआ, उसको भी हम राष्ट्रीय त्रासदी मानते हैं, देश ने उसे राष्ट्रीय त्रासदी माना। नानावती कमीशन बना, उसने अपनी रिपोर्ट दी, और घटना के 21 साल के बाद आज नानावती रिपोर्ट पर बहस हो रही है, इसके एक्शन-टेकन रिपोर्ट पर बहस हो रही है। यह 21 साल बहुत लंबा समय होता है। इस तरह की जो दुर्घटना होती है, बड़ी दुर्घटना होती है, जिसका प्रभाव पूरे राष्ट्र पर होता है, इस तरह की दुर्घटनाओं की जांच तुरंत होनी चाहिए और जो दोषी हों उनको सजा भी तुरंत मिलनी चाहिए। इससे सरकार के प्रति देश का विश्वास जागता है।

महोदय, इस बीच कई सरकारें आईं, जिसमें एनडीए की भी सरकार थी। वर्ष 2000 में आयोग का गठन हुआ और जब रिपोर्ट आई, तो आज उस पर इस सदन में चर्चा हो रही है। एक्शन-टेकन रिपोर्ट पर सिर्फ चर्चा ही नहीं हो रही है, इसमें एक्शन भी लिया गया है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश के सेंटीमेंट को देखते हुए, देश की भावना को देखते हुए, लोकसभा में चर्चा हुई, उसमें सदस्यों की भावना को देखते हुए अपने एक मंत्री का इस्तीफा भी लिया है।

महोदय, मैं दूसरी दिशा में जाना नहीं चाहता, मगर कभी-कभी बोलते समय ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि दूसरी दिशा में जाना पड़ता है। गुजरात में, मैं नहीं जाना चाहता था, गुजरात में इतना बड़ा दंगा हो गया, एक लाइन बोलना चाहता हूं, हजारों लोग मारे गए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आडवाणी जी ने राष्ट्रीय कलंक और क्या-क्या नहीं कहा उसके बारे में। वैसे उनके विचार बदलते रहते थे। अगर देश के बाहर गए तो दूसरी बात बोलते थे, देश के अंदर दूसरी बात

बोलते थे। हम लोगों ने तत्कालीन मुख्य मंत्री, जो अभी भी मुख्य मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग की थी, उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहां जो इतना बड़ा दंगा हुआ, उस बारे में वहां की सरकार ने क्या कार्रवाई की? मगर, मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक मंत्री का इस्तीफा लिया और उन्होंने वचन दिया है, आश्वासन दिया है कि इस रॉयट् में जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

महोदय, बड़ी-बड़ी त्रासदियां हुई हैं इस देश में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई। एक विशेष विचार से जुड़े लोगों ने उनकी हत्या करवाई।...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य:*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, that will not go on record, as the hon. Member is just sitting on his seat and talking. *(Interruptions)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: यह भी गलत तथ्य है। ...(व्यवधान)...कौन से कमीशन ने यह कहा है कि आर०एस०एस० ने ऐसा किया हैं।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That has not gone on record. *(Interruptions)* वह रिकार्ड से निकाल दिया है मैंने।

प्रो० राम देव भंडारी: महोदय, माननीया सुषमा जी का मैं बहुत आदर करता हूं, मगर आज जब इन्होंने श्री जनेश्वर मिश्र जैसे एक सीनियर, बुजुर्ग लीडर को* कहा तो मुझे लगा कि यह सुषमा जी, वह सुषमा जी नहीं हैं, जिन्हें मैं कल तक जानता था।...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैंने* नहीं कहा। मैंने कहा असत्य है,...(व्यवधान)...

प्रो० राम देव भंडारी: मैंने सुना, वैसे रिकार्ड में नहीं है, वह अलग बात है।

उपसभापति जी, मैं कह रहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद देश में दंगे हुए। बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, उसके बाद पूरे देश में जो स्थिति बनी, वह सब जानते हैं। गोधरा कांड हुआ और फिर गुजरात कांड हुआ। इस तरह से जब पूरे देश में ऐसे कांड होते हैं तो उनको राष्ट्रीय त्रासदी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और जो भी पार्टी पावर में हो, चाहे हम पावर में हों या दूसरे पावर में हों, निश्चित रूप से दोषियों को सजा देनी चाहिए जल्दी देनी चाहिए, अगर देर होती है तो लोगों को लगता है कि शायद जस्टिस नहीं मिलेगा।

मैं अहलुवालिया जी को सुन रहा था, जोशी जी ने कहा था, अभी जोशी जी नहीं हैं, अहलुवालिया जी प्रत्यक्षदर्शी थे। अहलुवालिया जी उस समय कांग्रेस में थे, उसके बाद कांग्रेस के मिनिस्टर भी बने

*Not recorded.

और आज बी॰जे॰पी॰ में बैठे हुए हैं राज्य सभा के मैम्बर बनकर। यह कैसा विचार है, किस प्रकार का विचार है? ये आज बी॰जे॰पी॰ में हैं, कल कहां जाएंगे?...**(व्यवधान)**...ये कृपा कर देंगे, उधर से कृपा नहीं हुई, तो कल इधर भी आकर बैठ सकते हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: आपकी पार्टी में भी हमारे यहां से बहुत से लोग गए हैं।

प्रो॰ राम देव भंडारी: मैं मानता हूं, वे कोशिश कर रहे थे, अपने भाषण में कोशिश कर रहे थे, एक विशेष समुदाय के सेंटिमेंट्स को जगाया जाए। महोदय, सिख इस देश की एक बहादुर कौम है, यह हम सभी मानते हैं। पूरा देश मानता है कि सिख इस देश की एक बहादुर कौम है, हमें नाज़ है सिखों पर, मगर जब इस तरह की दुर्घटना होती है देश में तो देशवासी उसे सिख, मुसलमान, हिन्दु या क्रिश्चिन की समस्या नहीं मानता, एक राष्ट्रीय त्रासदी होती है और हमको इसे उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। वे कह रहे थे कि हम चार सिख बोलने वाले हैं। कल अगर गुजरात पर चर्चा होगी, कोई मुसलमान कहेगा कि हम चार मुसलमान बोलने वाले हैं, कहां ले जा रहे हैं देश को आप? महोदय, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न समुदायों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग यहां हैं, यह बहुत खूबसूरत देश है। अगर इस देश को आप जातियों में, समुदायों में, धर्मों में बांटेंगे तो आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं?...**(व्यवधान)**...

श्री बलबीर के॰ पुंज: जातिवाद में आप बांट रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मिस्टर पुंज, देखिए, मैंने पहले भी आपको रिक्वेस्ट की है। देखिए, डिबेट होने दीजिए।...**(व्यवधान)**...you see, Parliament demands democracy. Whatever he wants to say within the framework of the rules, let him say. He has a right to express his views. Why are you interrupting him?

SHRI BALBIR K. PUNJ: Not at all, Sir. I am not interrupting him. I am just saying that it is his party which is doing this. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You should understand.

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, मैं कह रहा था कि यह देश...**(व्यवधान)**...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: महोदय, अगर कोई मेरा नाम लेगा, तो मुझे राइट ऑफ रिप्लाई मिलना चाहिए।

श्री उपसभापति: आप लिख कर दीजिए, फिर हम देखेंगे।

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, मैं कह रहा था कि यह एक बहुत ही खूबसूरत देश है, यहां हिन्दु, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। क्या पाकिस्तान बनने के बाद सभी मुसलमान पाकिस्तान

चले गए? यह बहुत ही खूबसूरत देश है, जब कभी भी इस देश पर बाहर से हमला हुआ है, यहां पर हिन्दु, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी ने कंधे से कंधा मिला कर हमलावरों का मुकाबला किया है, इसीलिए इस देश को हम धर्म के आधार पर नहीं बांटेंगे, इस देश को जाति और सम्प्रदाय के आधार पर नहीं बाटेंगे। अगर सिखों के साथ इस प्रकार की नाइन्साफी हुई है, पूरे देश के साथ नाइन्साफी हुई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। ये सिख की बात कर रहे हैं, मैं प्रधान मंत्री जी को सिख नहीं मानना चाहता, आज माननीय मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधान मंत्री हैं, लेकिन मैं इनको सिख नहीं मानता, मैं इन्हें हिन्दुस्तानी मानता हूं, ये एक हिन्दुस्तानी हैं, आप सिख की बात करते हैं।...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Punj, I will have to take note of this. The Whip of the party should see to it that the discipline is maintained in the House.*(Interruptions)* The Chair has to take note of your frequent interruptions, Mr. Punj. I request the Whip to take note of his frequent interruptions.

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, जब इस तरह के विषय पर चर्चा हो तो चर्चा का, भाषण का, विषय यह होना चाहिए कि जिन लोगों की हत्या हुई, जिनके परिवार के लोग मारे गए, जिनके जान व माल का भारी नुकसान हुआ, उनके घाव पर मरहम लगाने का काम होना चाहिए, घाव को कुरेदने का काम नही होना चाहिए। हम यहां आए हैं, हमारे उन भाइयों का जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसे बांटने आए हैं, लेकिन यहां पर काम हो रहा है एक पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का। मैं सुन रहा था, श्री राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे कि सोनिया गांधी सुपर प्राइममिनिस्टर हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपको कहां से आदेश मिलता है, नागपुर से मिलता है ना, आपको कहां से आदेश मिलता है? कह रहे थे कि वह रॉयट गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड था। महोदय, गुजरात में क्या हुआ? **(व्यवधान)**... इन्होंने यह कहा है, **(व्यवधान)**... मैंने नोट किया है **(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down, Mr. Punj. You must understand that he is one hon. Member who would never interrupt in anybody's speech. Please maintain that the decorum. I have observed that he would never interrupt.

प्रो॰ राम देव भंडारी: वे कह रहे थे कि ये दंगे गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड थे। गुजरात में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, उसे पढ़ लीजिए। महोदय, वे कह रहे थे कि दंगाइयों को छोड़ दिया गया, जो पकड़े गए थे, नेताओं ने उन्हें छुड़वा दिया। गुजरात में घूम-घूम कर कौन दंगे करवा रहा था। अरे, शीशे में अपना चेहरा भी तो देखिए **(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, please sit down. (*Interruptions*)

प्रो॰ राम देव भंडारी: शीशे में अपना चेहरा भी तो देखिए, तब आपको पता लगेगा कि दूसरे पर पत्थर मारने से पहले शीशे में अपना चेहरा भी देख लेना चाहिए। ...**(समय की घंटी)** महोदय, मैं समाप्त करने जा रहा हूं, अंत में एक ही निवेदन **(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप लोग बैठ जाइए।

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, मैं समाप्त करने जा रहा हूं, लेकिन समाप्त करने से पहले मैं एक बार पुन: प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इतने बरसों के बाद जब उनके हाथ में यह बात आई है तो जो भी एक्शन लेना चाहिए था, उन्होंने बहुत की क्विकली वह ऐक्शन लिया है और आगे के लिए भी उन्होंने इस सदन को, इस देश को आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होगा, उसकी जांच की जाएगी और उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। यही सरकार का दायित्व होता है और सरकार को इसी दायित्व का पालन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

(*MR. CHAIRMAN* in the Chair)

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Mr. Chairman, Sir, I must confess to you, at the very outset, that speaking on this occasion has meant a great emotional strain for me. We are discussing issues which have grave implications not only on the future of a brave community but also on the future of our nation. Four thousand people were killed in this great national tragedy that took place in 1984. This should be an occasion for introspection, to find out how working together as a united nation, we can find new pathways to ensure that such ghastly tragedies never again take place in our country in future. I respectfully submit that this is not achieved by pursuing partisan goals, apportioning blame. And I, as the Prime Minister of this country, have no hesitation in saying that what happened—the death of a great Prime Minister who had served our country with the greatest distinction in peace and war, who brought victory to this country in the eventful days of the Bangladesh War; her death at the hands of her own bodyguards—was a great national tragedy. What happened subsequently was equally shameful. I know for certain, having worked with Indiraji, she would have never approved of any harm coming to a single individual on account of anything that was done to her. We all know the events of 1984, the tragic events in the Golden Temple. There were top-level demands on the Prime Minister to change her Sikh bodyguards and she said, "I would not be worthy of being the daughter of the Indian revolution if I were to start suspecting

people on the basis of their religion or community." Sir, I have no hesitation in saying, and I said it, that what took place after Indraji's death was a great national shame, a great national tragedy. I have seen public statements of the hon. leaders of the opposition saying that I should ask the forgiveness of the country. I accompanied the Congress President to Harmandir Sahib some five or six years ago, when we together prayed, "God give us the strength, show us the way that such things never again take place in our country." I have no hesitation in apologising not only to the Sikh community but the whole Indian nation because what took place in 1984 is the negation of the concept of nationhood and what is enshrined in our Constitution. So, I am not standing on any false prestige. On behalf of our Government, on behalf of the entire people of this country, I bow my head in shame that such a thing took place. But, Sir, there are ebbs, there are tides in the affairs of nations. The past is behind us. We cannot rewrite the past. But as human beings, we have the willpower and we have the ability to write a better future for all of us. This debate serves to focus attention on the quest for that better future, that all our citizens to whichever community they may belong, they should feel they are honoured members of our nation, that they have every right and ability to lead a life of dignity and self-respect as equal citizens of this ancient land of ours with glorious traditions of over 5000 years. If the debate had turned on these events, it would have served its purpose. But reading out extracts sometimes out of context, sometimes in context, does not lead us to those pathways. I started by saying, Sir, that we are discussing the future, the conduct, the aspirations, emotions and fears of a brave community which has played a glowing role in India's history. Ahluwaliaji quoted Guru Nanak but I also know what significant, social economic and societal changes came to this blessed land of Punjab after the advent of our Gurus. No less a person than Dr. Mohammed Iqbal said about Guru Nanak:

"फिर उठी आखिर सुबह तौहीद की पंजाब से,
मर्द-ए-कामिल ने जगाया हिन्द को फिर ख्वाब से।।"

That is the role of the Sikh community at a time when religious bigotry seemed to overwhelm our country. Our Gurus gave us a message of an inclusive society of secularism in practice. Subsequently, Sikh history saw difficult periods and we saw examples of great valour. Guru Gobind

Singh, after he lost all his four sons, his mother and his father did not lose heart and he said and I quote:

"इन पुतरन के सीस पर, वार दिए सिख चार।
चार मुये तो क्या हुआ, जीवत कई हजार।।"

This is our legacy. This, Mr. Chairman, Sir, this is the legacy of this brave community. After a great deal of struggle for the first time, it came to Maharaja Ranjit Singh to expand our frontiers and to show us that our frontiers do not lie in traditional manner. Where defined for India's defence these lie as far as Afghanistan. This is the proud history of this community. During the British times, it was the brave Sikh community which developed the canal colonies of the erstwhile united Punjab, which made Punjab the granary of India. With Partition the Sikhs suffered grievous losses. Our community was divided into two parts. All of them were forced to migrate to this part of the Punjab; and I know hundreds of cases where people came to India bravely with their clothes. They had nothing else to fall back upon. But, they converted that adversity into an opportunity to reconstruct, to rebuild their lives and rebuild the life of our nation. And, we all know how a resource deficit, poor, East Punjab State, once again emerged on the screen of India as the number one State in terms of per-capita income, as the State know for the start of the Green Revolution in our country. I think, attempts have been made by the hon. Opposition Members—and I don't want to quarrel with any one of them on this occasion—to separate the Sikh communit from the great traditions of the Congress Party. I respectfully say to our Opposition Members that the post-partition Punjab would not have been a prosperous State as it is today but for the visionary leadership and support that the people of Punjab received from Shri Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. There are no Akali Members sitting here and I do not want to score any points. But, it is also the fact that when that glorious chapter in the history of Punjab was being written, the Akali Dal was busy dividing the people of Punjab on communal lines. I am not scoring any point. History is there. The first Akali Government came to power in Punjab in 1967 and what result it produced, I am not going to talk about that ... (*Interruptions*)

SHRI BALBIR K. PUNJ: Who gave Bhindranwale?

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा (पंजाब): उसको आप ऐसे बोलें ...**(व्यवधान)**...

श्री टी॰ एस॰ बाजवा: आप बहुत अच्छा बोले, पर अफसोस होता है कि आपके मुंह से ऐसी बात निकलेगी ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप बाद में अपनी बात बोल देना।

DR. MANMOHAN SINGH: Therefore, we are discussing events. We must view them in a proper perspective. Then, came the events of late 70s. There was a nefarious design developed outside our country, as a part of the theory of inflicting on our country a thousands cuts. And out of that, came the sad period in Punjab's history which lasted until the mid-1990s. The events of 1984 are all part of that great tragedy. It took the nation great effort to get Punjab out of that sad chapter. The Sikh community had the vision to fight back the nefarious designs of the enemies of our country to create a situation where there would be a permanent division between the Sikh community and the national mainstream. It took the Sikh community a lot of time to regain its self-confidence after the tragic events of 1984. I have interacted with hundreds and hundreds of Sikh young men who doubted, at that time, whether they had a place in building a prosperous united Indian nation. I went abroad and several young Sikh people—students and teachers—used to come to me with the same questions. And, I think, that would have been a great national tragedy had we allowed the enemies of our nation to bring about a permanent rift between the Sikh community and the national mainstream. I think, it is a tribute to our national leadership of all shades—I am not finding fault with anyone—that defeated the nefarious designs of forces inimical to our country. The Sikh community has regained its self-confidence. I think, today terrorist elements do not sway the minds of our people, the way it was feared in the 1980s. But as someone once said, "Eternal vigilance is the price of liberty". And, I appeal to all the segments of this House, let us not create a situation; let us not use language which will, once again, give a handle to those forces who are inimical to our country's unity and integrity and who play upon the sentiments of innocent Sikh youth. It does no service to the Sikh community. It does no service to our nation. I say so with great respect that some of the things which have been said, they do not promote that objective. I started by saying that we cannot undo the past, but we have an option, today, to build a better future. Let us help the Sikh community get out of that trauma of 1984. Valiant efforts have been made by all our national leadership to achieve that task, and we have

succeeded.Let us not do anything which will reverse that process. You may not like the Congress Party, but who can deny India's history? I mentioned the role of Jawaharlal Nehru. After the tragic events of 1984, the uppermost thing that was in the mind of Rajiv Gandhiji, when he became the Prime Minister, was how to bring the Punjab back into the national mainstream. I recall the first thing that he said to me,when he appointed me the Deputy Chairman of the Planning Commission. He said, "This is my top priority". And, he worked assiduously to end that sad chapter. I know he was asked in a meeting, where I was also present , that in the process, he had harmed the Congress Party; he had handed over the Government of Punjab to the Akali Dal. And , I still recall what Rajivji said on that occassion. He said,"It is immaterial whether the Congress Party wins or loses. What is really of substance is that India should prosper and India should develop." That is the legacy. There were lapses in 1984. Several Commissions have gone into this matter. we all know that we still do not know the truth, and the search must go on. This present Commission is no exception to that.I said in the other House, and I think Nilotpalji also pointed out, that this Commission was not appointed by us .The records of this august House would show how this Commission came to be appointed . A question was put to the then hon. Home Minister about the 1984 riots. A supplementary was, then asked about setting up of a Commission. And , there was some discussion . I was sitting on the other side , at that time, on the Chair where Shri Jaswant Singhji is seated. And, I thought that the Question Hour was not an occasion to discuss such serious issues. So, I did not rise from my seat. After the Question Hour, I walked out. And, what did the then hon. Home Minister state when he went out? He said, "I was to appoint a Commission of Inquiry to go into the 1984 events, but Dr. Manmohan Singh prevented me from doing that". I protested that because that we not true. I speak from my memory, and I hope I am correct. Shri L.K. Advaniji then had to apologise to this House that what he had stated outside was not correct. The Commission was born in circumstances over which we had no control, We had no choice about its terms of reference and we had no choice about who will be heading this Commission. The Report is before us, and one thing it conclusively states is that there is no evidence, whatsoever, against the top leadership of the Congress Party. That lie, which has over the last 21 years been used to poison the minds of the Sikh youth, stands nailed conclusively. There are, of course, individuals mentioned. The Commission

has not come forward with conclusive conclusions. These are in the realm of probabilities. And, I stated yesterday, in the other House, that there is such a thing as perception, there is such a thing as the sentiment of both the Houses of Parliament, and respecting that sentiment, whosoever figures in the Nanavati Report — and the Commission has in its wisdom found it necessary to draw an adverse inference about their conduct or behaviour - —we will reopen those cases. So, that commitment I have given.

One of my colleagues, a valued colleague, has tendered his resignation. That resignation has been accepted.

Questions have been raised about the rehabilitation of the affected families. I recognise that there may have been shortcomings. I have committed our Government to do all that we can to ensure that these widows, children and other relatives who did suffer in the wake of the 1984 riots, whether is Delhi or outside—we have a solemn obligation to help them forget that sad chapter—lead, once again, a life of dignity and self-respect. There are some police officers against whom the ATR has made a mention. There is a normal rule that you can take action against Government officers four years after retirement. Many of them retired many, many years ago. But within the ambit of law, whatever action we can take, we will reopen those cases also if the law of the land permits that.

So, Sir, you have my assurance that our Government stands committed to do all that we can humanly do to go to the root of the problem, that all those individuals about whom the Commission has drawn adverse inferences, suggestions, and recommendations, we will have a relook at them, and that we will provide effective assistance to all the widows, children and the affected families so that they can lead a life of dignity and self-respect. Those police officers, upon whose conduct the Commission has adversely commented, we will see what can be done, we will have a relook at those cases within the ambit of law. In conclusion, Sir, I would, once again, say what I started by saying at the beginning, we are dealing with the past, the present and the future of a very brave community which has bold traditions, which has been a part of our national mainstream, which has contributed far above its proportionate share of our population, in the national freedom struggle, which has contributed, admirably, to the processes of social and economic development in our country, which have, as a result, made Punjab one of the most prosperous States of our country.

Let us do nothing to weaken its spirit of self-confidence and its legacy throughout its history to be the sword arm of Punjab.

I was pained yesterday when one hon. Member in the other House brought up instances where Sikh personnel of the Armed Forces suffered in 1984. Shri Rajnath Singh brought up that sad chapter again. I respectfully submit to you, that was the most painful chapter in the history of our country. By reliving that, by reminding us again and again you do not promote the cause of national integration, of strengthening our nation of sense of security. Please do not play politics with the sentiments of a brave community like the Sikhs.

Sir, with these words, I once again appeal to this House that these events of 1984 should be viewed from a wider perspective. The past cannot be brought back, cannot be undone, but let us, as a united nation, find new pathways to ensure that our nation will never again go through such traumas, whether they are in Delhi or in Gujarat or in any other part of the country. Our minorities, religious, cultural and social, have an honoured place in our Constitution. The founding fathers of our Republic gave us a Constitution of which we can be legitimately proud. And as I said, participating in the debate on my visit to the United States some days ago, wherever I go, people marvel about the polity that India is a country of 100 crores, seeking its destiny, seeking its salvation, in the framework of an open society, an open economy and deep and abiding commitment to the dinity of individuals and respect for all fundamental human freedoms. There have been aberrations. To err is human I can only conclude by saying that all of us should ask forgiveness of those who have suffered in this tragedy. Yesterday, in the other House, I quoted a sentence from *Gurbani,* and my friend, Sardar Balwant Singh, who was the Finance Minister of the Akali Government, a friend of 35 years' standing, who studied with me in college, narrated to me how that period of sadness, of turmoil, ended when Rajiv Gandhi signed the Accord with Sant Harchand Singh Longowal. *Santji* was of two minds. And, then as Sardar Balwant Singh said, he said to me, "Let me seek guidance from *Guru Granth Sahib".* And, both of them went to the upper storey of Sardar Balwant Singh's house and they opened up the page from the *Guru Granth Sahib,* and the first stanza that was on that page was like this.

2.00 P.M.

''होवे इकतर मिल्हु मेरे भाई, दुविधा दूर कराहु लिब लाई''

It means, "Come and join together, oh, my siblings of destiny, dispel your sense of duality, and let yourself be lovingly absorbed in the Lord."

I conclude my speech by appealing to this august House, let the spirit of working steadfastly for national reconciliation, for wiping away tears from the eyes of each and every one of citizens be our guiding principle. It was the firm belief of the Father of our Nation, Mahatma Gandhi, to wipe every tear from every eye. As mortals, human beings, that goal may be not attainable, but that is the inspiration which should inspire us in what we discuss and what we do in this august House. I thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Thank you Mr. Prime Minister. Kumari Nirmala Deshpande ...*(Interruptions)*...

श्री राजनाथ सिंह: सर, कोई समय-सीमा तय करेंगे प्रधान मंत्री जी ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: बाद में आप का उत्तर है, आप जब उत्तर देंगे, उस समय बोल लीजिए। कुमारी निर्मला देशपांडे।

कुमारी निर्मला देशपांडे (नाम निर्देशित): सर, मैं एक विशेष घटना की साक्षी हूं, जिसे आप के द्वारा इस सदन के सामने रखना चाहती हूं। अभी हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने भारत की आत्मा को प्रकट किया और बताया कि हम किस देश के वासी हैं।

मैं आपको उस घटना को बताना चाहती हूं जिसको लेकर यहां चर्चा हो रही है। पहली नवंबर को आदरणीया इंदिरा जी की अर्थी के पास हम लोग बैठे थे, हम प्रार्थना कर रहे थे। उस वक्त जिनके नाम यहां लिये जा रहे हैं, ऐसे चंद कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता वहां थे सबकी आखों में आंसू थे। हमारे युवा प्रधान मंत्री राजीव जी वहां आए और उन सब को डांटते हुए कहा, यहां बैठे क्यों रो रहे हो बाहर जाओ और सिखों को बचाने के लिए कोशिश करो। जान भी देने के लिए तैयार हो जाओ उनको बचाने के लिए। जो सारे नाम यहां कहे जा रहे हैं, उनको एक-एक को राजीव जी ने यह कहा जो मैंने स्वयं सुना। कुछ लोग उसी समय चले गए कुछ बाद में चले गए। फिर दोबारा राजीव जी ने डांटा कि यह रोने का वक्त नहीं है, बाहर जाओ और लोगों को बचाओ। यह घटना मैं आपके सामने निवेदन करने जा रही थी। इसके साथ ही मेरे साथ जो कुछ गुजरा उसको भी बयान करना चाहती हूं। सन 2002 में अहमदाबाद में हमारा टिकट कट चुका था। मैं अपने हर धर्म के साथियों के साथ वहां सहायता के लिए सदभावना के लिए पहुंची थी।

(*MR.DEPUTY CHAIRMAN* in the Chair)

तो हमें जिंदा जलाने की योजना बनी थी। वहां हम कैसे बचे, यह सिर्फ परमात्मा जानते हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं बताना चाहती हूं...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: बैठिए । ...(व्यवधान)... आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

कुमारी निर्मला देशपांडे: जाको राखे साईयां, मार सके न कोय। भगवान जिसको बचाना चाहते हैं, उसको कोई नहीं मार सकता। ...(व्यवधान)...मेरे साथ जो घटना हुई, उसको मैं अपने साथियों को बताना चाहती हूं कि ईश्वर की सत्ता महान है। जिसको वे बचाना चाहते हैं, उसके खिलाफ एक हो या हजारों हों, मार नहीं सकते। जिन लोगों ने हमें ईश्वर की सत्ता का भान कराया, उनके प्रति मैं बहुत अहसानमंद हूं।..(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आपके पास पांच मिनट हैं।

कुमारी निर्मला देशपांडे: मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि कुछ लोग प्रभु ईसा मसीह के पास एक औरत को ले आए और कहा कि इसको पत्थर मार-मार कर मार डालना चाहिए। यह औरत बड़ी गलत है। इस पर प्रभु ईसा मसीह ने कहा-''बहन आओ।'' फिर जो भीड़ इकट्ठी थी, उससे कहा ''आपकी बात बिल्कुल सही है। आप पत्थर मार सकते हैं। लेकिन, पहला पत्थर वही उठाएगा, जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया हो।'' उन्होंने यह कहा और धीरे-धीरे एक-एक आदमी खिसकता चला गया। जब सब लोग चले गए तब ईसा मसीह ने उसे उपदेश देकर अपनी शिष्या बनाया। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहती हूं कि पहला पत्थर उठाने की हिम्मत वही करे, अपने दिल से पूछे कि क्या हम इसके हकदार हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद। श्री राजीव शुक्ल।

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

श्री उपसभापति: आपके पास 3 मिनट हैं।

श्री राजीव शुक्ल: सर, 4 मिनट हैं। ...(व्यवधान)... उपसभापति महोदय, आज एक बेहद संवेदनशील और गहन मुद्दे पर बहस हो रही है। इस बहस में तमाम वक्ताओं ने अपने विचार रखे। माननीय प्रधान मंत्री जी ने दूध का दूध और पानी का पानी करके सरकार की नीति को एकदम स्पष्ट कर दिया। उनके लिहाज से जो भी नाम आए हैं और कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन है, वह लागू की जाएगी। जब सरकार नानावती कमीशन की सारी-की-सारी सिफारिशों को लागू करने को तैयार है तो मुद्दा क्या बचा? क्या रह गया है? यह बताने की बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अब आपत्ति किस चीज पर है? जब सारी-की-सारी चीजें लागू हो रही हैं; दस की दसों रिकमेंडेशन्स मान ली गई हैं; जिन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, वह की जाएगी, तो

मुझे नहीं लगता कि इसमें बहस के लिए विपक्ष के पास कुछ बचा है। सरकार ने जो इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय किया है, निश्चित रूप से वह उसके लिए साधुवाद की पात्र है।...(**व्यवधान**)... मान्यवर, सब जानते हैं और कई वक्ताओं ने भी कहा कि यह कमीशन एन.डी.ए. ने बनाया था। उस सरकार ने बनाया था। अगर तत्कालीन सरकार ने उस कमीशन को कोई सहयोग नहीं दिया, अगर उनको दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, अगर उनको सबूत उपलब्ध नहीं कराए गए, तो उसका रोना आप क्यों रो रहे हैं? आपकी सरकार थी, आपको देना चाहिए था। यह अजीब तमाशा है कि हमारी सरकार, हमने कमीशन बनायी, हमने जज चुना और हम ही रो रहे हैं, हम ही स्यापा कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप क्यों बोल रहे हैं ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... इनको बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... What is this? ...(*Interruptions*)... यह सही नहीं है। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...आप क्या बात कर रहे हैं। ... (**व्यवधान**)... आप बैठिए।

श्री राजीव शुक्ल: इसीलिए तो हम इन लोगों के साथ गुजरात मामले पर राष्ट्रपति भवन गए थे। आपके साथ नहीं गए थे। मान्यवर, जहां तक कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें सबसे बड़ा दोष एक तो यह है कि वह सिर्फ दिल्ली पर आधारित है। अन्य जगहों पर जो घटनाएं हुई थीं उनको कमीशन ने अपने दायरे में नहीं लिया। एक सबसे बड़ा ड्रा-बैक इस कमीशन के इन्वेस्टीगेशन का यह है। दूसरा ज्योतिष में एक टर्म होता है - शुभाशुभ मिश्र फलकारक, शुभ भी है, अशुभ भी है, मगर इसको देखकर समझ में नहीं आता कि क्या सही है या क्या गलत है। हर जगह, जहां भी उन्होंने रिकमंड किया है, कहा है - मोस्ट प्रोबेबली, संभवत:। यह जो शब्द है, इसका मतलब यह है कि उनका इस बारे में कई जगह रुख स्पष्ट नहीं है, मगर फिर भी उनकी जो रिकमेंडेशन्स हैं, सरकार उनको मानने के लिए तैयार है।

महोदय, सिख समुदाय का जो इतिहास है, उस पर पूरा देश नत-मस्तक है। सिखों ने इस देश के लिए जो किया है, उसके लिए हम सब आजीवन ऋणी रहेंगे और इस देश का एक-एक नागरिक उसके लिए ऋणी रहेगा। उनका जो योगदान है, वह बहुत जबरदस्त है। प्रधानमंत्री जी ने इस घटना के लिए कहा है कि पूरे देश का सिर शर्म से झुक जाता है। सचमुच 1984 में जो कुछ हुआ, मिसेज गांधी की हत्या और उसके बाद के दंगे, उन सबके लिए हम अपने को शर्मिंदा महसूस करते हैं, पूरा देश अपने को शर्मसार महसूस करता है। लेकिन, उन घावों को मत कुरेदो। राजनाथ जी, उन घावों को मत कुरेदो, घावों को हरा मत करो वोट के लिए, माहौल को मत बिगाड़ो। सूप तो सूप छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। ...(**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सिंह: भिंडरावाला का क्या था? ...(**व्यवधान**)

श्री राजीव शुक्ल: जो लोग अयोध्या के बाद के दंगों के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने उड़ीसा में ग्राह्म स्टेंस को जीप में जला दिया, जिन्होंने गुजरात में लोगों को मरवाया, वे लोग भाषण दे रहे हैं। ...(**व्यवधान**)

श्री उपसभापति: आप बोलिए, राजीव जी। ...(**व्यवधान**)

श्री राजीव शुक्ल: यह ग्राम पंचायत नहीं है, ग्राम प्रधान की तरह काम मत करो। ... (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति: पाणि जी, आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए। क्या करें, आपकी समझ में आता नहीं। ...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं। यह सही नहीं है। देखिए, आप जरा पार्लियामेंटरी डेकोरम मेंटन करिए। आप रूल्स पढ़िए।

श्री राजीव शुक्ल: मान्यवर, जिस समय यह घटना हुई, उसके बाद का राजीव जी का एक भाषण है। मैं उस भाषण से थोड़ा सा कोट करना चाहता हूं, जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। राजनाथ जी ने मेरा खास निवेदन है कि वे इस भाषण की तरफ जरूर ध्यान दें-" Some people are casting a slur on her memory by indulging in acts of hatred and violence. Disgraceful incidents of arson, loot and murder have taken place. This must stop forthwith. The Government will ensure the safety of life and property of every citizen, irrespective of his caste,creed or religion. This violence is only helping the subversive forces to achieve their ends. Communal madness will destroy us. It will destroy everything India stands for. As Prime Minister of India, I cannot and will not allow this."

यह थी फर्मनेस राजीव जी की यह थी उनकी दृढ़ता।.... (**व्यवधान**)... शायद उन्ही की वजह से यह सब कुछ थमा। घटनाएं ऐसी होती हैं, जो संभवत: इतिहास में दुबारा नहीं लिखी जा सकतीं, अतीत को लौटाया नहीं जा सकता,लेकिन यह भी समझ रहे कि कौन आदमी आगे बढ़ा और किसने उसको रोकने की कोशिश की । जो कुछ हो रहा था, वह सब गलत था। कोई उसको एप्रूव नहीं करता, कोई उसका समर्थन नहीं करता। लेकिन, उस समय यह उनकी हिम्मत थी कि एक तरफ मां का शव रखा था और दूसरी तरफ उन्होंने इतनी हिम्मत से आगे जाकर पूरे देश से कहा कि यह पागलपन बंद करो यह वहशीपन बंद करो। सेना को उन्होंने तैनात किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स लगाकर सबको हटाया और शायद यही वजह थी कि तीन-चार दिन के अंदर सब कुछ कंट्रोल हो गया, वरना जो माहौल था, वह खत्म नहीं होता सबको पश्चाताप है, सबको दुख है, किसी के हाथ में कुछ नहीं था मैं भी उस समय तीन मूर्ति में एक जर्नलिस्ट के बतौर कवर करता था और वहां से निकलकर रात

में आ रहा था तो देखा कि एक सिख की पिटाई हो रही थी। मैंने भागकर उसको अपने स्कूटर पर बैठा लिया। उसके बाद भीड़ मेरी तरफ दौड़ी और मैंने ले जाकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया तो ऐसा नहीं था, उस समय माहौल ही बिगड़ा हुआ था, किसी के हाथ में कुछ नहीं था। इसलिए कमीशन ने कहा है कि नेतृत्व का कोई हाथ नहीं था। वह एक अजीब वहशीपन था, वह अजीब पागलपन का दौर था, उसमें कोई क्या कर सकता था। लेकिन फर्मनैस से राजीव जी ने आकर इसको रोका। हमको इस पर एप्रूवल नहीं है, नहीं तो मैं सरकार से खुद मांग करता कि इस कमीशन की रिपोर्ट को, जैसा कि वादा किया है, पूरी लागू करें, जो लोग दोषी हैं, उनको सजा दें। यही माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, कल भी संसद में इसे दोहराया है और आज भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मान्यवर यही हमारा आग्रह है।

मान्यवर, अहलुवालिया जी की बात पर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वे कमल नाथ जी पर इसे घुमा रहे हैं, उस तरफ उन्होंने मोड़ने की कोशिश की है। कमल नाथ जी को तो क्लीन चिट दी हुई है इसमें उनका तो कोई रोल ही नहीं था। वे और वसंत साठे जी तो भीड़ को यह कह रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि आप यह मत करो, शांत रहो। तमाम नेताओं, को जैसे निर्मला जी ने कहा, भेजा गया था कि आप जाकर शांति करिए। तो ऐसी सब चीजों मे सबको घसीट लेना उचित नहीं है।

मेरा सरकार से आग्रह है, माननीय गृह मंत्री जी से कि आप जो भी सख्त से सख्त कारवाई हो सकती हो, वह करिए और हम सबको सिख कौम और इस देश के सिखों के इतिहास को भूलना नहीं चाहिए और उनके प्रति अपना मस्तक झुकाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री उपसभापति: श्री तारिक अनवर। आपके लिए पांच मिनट का समय है।

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, नानावती आयोग की रिपोर्ट ने एक बार फिर से 84 के दंगों के घाव को कुरेद दिया है, ताजा कर दिया है। यह बात सही है कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसी दुखद घटना शायद पहले कभी नहीं हुई और इस घटना से हमारे देश का जो अपमान हुआ, जो देश के सम्मान में एक ठेस लगी, जो दाग लगा, आज भी हम उसकों याद करके चिंतित होते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में इस बात को साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि कि यह पूरे राष्ट्र के लिए शर्मनाक घटना थी और सारे देशवासी उसकी निंदा करते हैं, सब लोग उसकी निंदा करते हैं।

उपसभापति महोदय, यह बात सही है कि 21 वर्ष पहले जो हुआ, 21 वर्ष गुजरने के बाद आज भी हम उस पर शर्मिंदा हैं और हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि जो लोग उस दंगे से प्रभावित हुए जो पीड़ित परिवार हैं, उनके आंसू किस तरह से पौंछे जाएं। लेकिन, मैं कहना चाहता हूं कि यहां इस सदन में विपक्ष की ओर से राजनाथ सिंह जी ने और फिर बाद में अहलुवालिया जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वह अफसोसनाक है। अगर इसी भाषा का इस्तेमाल वे गुजरात के दंगे के लिए भी करते, उसकी भी इस तरह से निंदा करते तो जरूर हमको लगता कि उनकी बात में कुछ सच्चाई है।

लेकिन यह दोहरी बात ठीक नहीं है-1984 के दंगों की तो वे निंदा कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में हुए दंगों के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनको सिर-आंखों पर बिठाया जा रहा है। इस सदन के अंदर जो चर्चा हो रही है, सारा देश इस बात को देख रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर विषय है, लेकिन इस गंभीर विषय में क्या राजनीति छिपी हुई है, लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हमारा यह कहना है और जैसा अभी हमारे दूसरे साथियों ने भी कहा है कि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि वह दिखना भी चाहिए। पिछले 21 वर्षों में जो भी कारण रहा हो, लेकिन इन दंगों में जो पीड़ित या प्रभावित लोग थे, हम उनको यह विश्वास दिलाने में कामयाब नहीं हो सके कि उनको इंसाफ मिलेगा। इसलिए सबसे जरूरी यह है कि सरकार की ओर से, हालांकि सरकार ने, गृह मंत्री जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो भी नानावती आयोग की रिकमेंडेशंस हैं, हम उनको पूरी तरह से मानते हैं और जो भी इसमें दोषी लोग हैं, उनको सजा मिलेगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी, सरकार की तरफ से किसी तरह का पक्षपात नहीं होगा। यह आश्वासन प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है, गृह मंत्री जी ने भी दिया है। लेकिन हम यही चाहेंगे कि इसमें अब आगे विलम्ब न हो। एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। ATR में आपने कहा है, कि हम ATR में कार्रवाई कर रहे हैं और कानून विभाग से सलाह करके उस पर हम कार्यवाही करेंगे एवं जो भी दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी, लेकिन चूंकि जैसा मैंने कहा कि 21 वर्ष गुजरने के बाद अगर हम इसमें और विलम्ब करेंगे या और समय लेंगे तो मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है, उसके ऊपर से भी लोगों का विश्वास उठ जाएगा। हमारे देश का जो लोकतंत्र है, वह इस बात के लिए सभी देशवासियों को, चाहे वे किसी भी समुदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, इस बात का आश्वासन देता है कि उनके साथ इन्साफ किया जाएगा। आज इस बात पर बहुत चर्चा की गई और यह बात सही है कि सिख समुदाय की, चाहे देश की आजादी में हो या आजादी के बाद देश को बनाने में जो भूमिका रही है, उनका जो योगदान रहा है, उससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता है और अगर इस समुदाय के साथ इस तरह का अन्याय होता है या इस तरह की बातें होती हैं तो यह एक बहुत की चिन्ता का विषय है इसलिए हम माननीय गृह मंत्री जी से यह अवश्य चाहेंगे कि समय का निर्धारण किया जाए। आगे आप जो भी कदम उठाने जा रहे हैं, उसके लिए एक समय निर्धारित होना चाहिए क्योंकि अगर इसी तरह से फिर विलम्ब होगा तो प्रशासन से, सरकार से एवं व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ जाएगा।

SHRIMATI SUKHBUNS KAUR (Punjab): Mr. Deputy Chairman, Sir, this morning, when it was decided that there will be a discussion in the House on this issue, I was sitting here with a very, very heavy heart. My heart was full of grief, my heart was full of sorrow, and what happened 21 years ago, in 1984, it came back to me.

Ahluwaliaji was saying that there were four Sikhs who were going to speak. No, there are five. I am a Sikh, Sir, and I am proud to be a Sikh. I am proud of the history of the Sikhs. The history has shown that whether it was the Independence, whether it was the wars, and, whether economically, the Sikh community has made its contribution and has been a part of this country. I believe that my brothers want to be a part of this country and nobody can take away our patriotism in any way.

Sir, as the Prime Minister also said, we all agree that what happened in 1984 was a national tragedy, and, I, as a Sikh, hang my head in shame. I was here. I went through all of it. I visited some of the areas but I don't want to repeat those things that happened. It is the past, and, as the Sikh community, we have learned to live with tragedies and move on. After hearing the speech of the hon. Prime Minister, there is actually not much that I would like to say. He has said something about the compensation. Hon. Home Minister is sitting here and I would like to say that the compensation that is being promised should be given to all the victims, whether they were in Delhi or any other part of the country, and, it should be given immediately. A time-frame should be fixed and the Parliament should be informed whether this has been done or not. I think that will help a great deal. Secondly, Sir, regarding the Action Taken Report, the Prime Minister has already mentioned that they are going to reopen the cases. In that again, I would say that the Sikh community is still hurt, there is no doubt about it. Maybe, after hearing the Prime Minister, today, they are feeling better, like I am feeling better today. But, I think, for these cases also, there should be special courts and it should be time-bound. Then only, the people, the Sikh community, will feel that the Government is really seriously thinking and wanting to do something about it. Sir, Ahluwaliaji spoke. I was very surprised. He had been with the Congress and now he is with the BJP. I think, it is not time to speak in such a tone. It is the time to heal the wounds. It is the time when all of us should get together. It is not a matter of only the Sikh community. In our democracy, where we have over a hundred crore of people, tomorrow, it can happen to the Muslims, it can happen to any other community. So, our commitment should be, whichever minority is there is this country, it should feel safe and if an incident like this happens, those who are resposible for this, should be brought to book. Sir, I once again appeal to the Home Minister that both compensation and action should be taken immediately. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Tarlochan Singh. You have four minutes.

श्री तरलोचन सिंह (हरियाणा): माननीय उपसभापति जी, आपने पहले ही टाइम मुकर्रर कर दिया है।

श्री उपसभापति: मुकर्रर हुआ है, it is already decided.

श्री तरलोचन सिंह: सर, मैं समझता हूं कि यह दो दिन से बहस हो रही है और जिस मुद्दे पर बहस होनी थी वह मुद्दा तो जमीन में नीचे दब गया और दो दिन राज्य सभा और लोक सभा में हम नए-नए पॉलिटिकल स्लोगन, पॉलिटिकल बैटल्स एक दूसरे को रन डाउन करने की बात में वे बेचारे जो उन दंगों में हजारों मरे और जिसमें आज तक एक आदमी को भी पनिशमेंट नहीं हुई तथा इस मुद्दे को तो हम भूल ही गए। कोई गोधरा कह रहा है, कोई गुजरात कह रहा है, कोई बी॰ जे॰ पी॰ और कोई कांग्रेस की बात कर रहा है। हमें तो सिर्फ इससे वास्ता है कि देश के जो नागरिक मरे, उनके बारे में सरकार ने एक लफज़ नहीं कहा। प्रधान मंत्री जी ने कल कहा कि हम ट्रुथ को ढूंढेंगे। 21 साल लग गए और अभी तक हम ट्रुथ के नजदीक नहीं आए। नौ कमीशन बने। नानावती कमीशन में मुझे यह लगता है कि lurking fear था उसके मन में, ट्रुथ के नजदीक आकर फिर वापिस चले गए। मैं रिपोर्ट नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि अब सब कुछ आ चुका है। दो जगह उन्होंने लिखा है, हाउस के सभी मेंबर्स के पास कॉपी है, वे जरा पढ़ लें। पहली बात यह कि यह सिखों पर आर्गेनाइज्ड हमला था दूसरे, लोगों को यह पता था कि पुलिस इन एक्शन होगा, पुलिस एक्शन नहीं लेगी and who gave this order? इस पर आकर वे भी चुप हो गए और हम इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। तीसरी बात, इतने बड़े स्केल पर without some powerful person above यह कैसे हो गया, यह नानावती कहकर आगे चुप हो जाता है। सर, हमें सबको अफसोस था, इन्दिरा गांधी जी सारे नेशन की लीडर थीं, सभी दुखी थे। लेकिन हमें बड़ी हैरानगी है कि यह कैपिटल में हो। हमने कभी नहीं कहा कि राजीव गांधी जी ने यह कराया, आज तक ऐसा किसी सिख ने नहीं कहा और हमें नहीं समझ आती कि सारी पार्टियों कह रही है कि हाईकमान बच गई, हाइकमान के खिलाफ कुछ भी नहीं आया। हमने तो कभी कहा ही नहीं, किसी सिख ने आज तक नहीं कहा कि प्रधान मंत्री जी का इंवोल्वमेंट है। लेकिन प्रधान मंत्री जी की कोटरी, प्रधान मंत्री जी के साथ जो अमला है जिन्होंने टीच लैसन कहा, वह कहां गई, सब जिन्दा हैं, उपसभापति जी, मैं तो दो-तीन बातें कह कर बैठता हूं। बात बड़ी क्लिअर है। एक मेम्बर बात कह रहे थे बहुत लम्बा अरसा हो गया। मैं सिर्फ यह कहता हूं कि सिख कभी भूलता नहीं है, हम तो कभी नहीं भूलेंगें। हमारी तो अरदास में आज भी अबदाली के और दूसरे जो हमलों में हम शहीद हुए, वह हर रोज हम गुरूद्वारे में पढ़ते हैं। भूलने की कोई बात नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले की अर्जेन्टीना की बात है। अर्जेन्टीना के जो टिनाचे लंदन रहते थे जुल्म करके अर्जेन्टीना से भाग गए। हाउस ऑफ लार्ड्स ने उनको पकड़वाकर सजा दे कर वापिस अर्जेन्टीना भेजा। यह अभी दो महीने पहले की बात है। बोत्सवानिया

में क्या हुआ, बोत्सवानिया में मुसलमानों पर जुल्म हुआ। बोत्सवानिया के राष्ट्रपति को आज वर्ल्ड कोर्ट में बैठाकर पूछा जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? उसके अलावा नाजियों ने Jews को मारा था, उस बात को 60 साल हो गये और आज तक लीडर्स को पकड़-पकड़ कर सजा दी जा रही है। ये बात भूलने की नहीं है, दोषी को कोई छोड़ता नहीं है। आज नहीं, कल नहीं, मेरी तो आपसे और आपके माध्यम से बात बिल्कुल क्लियर है कि सच्चाई को ढूंढने में सरकार तैयार नहीं है, सरकार सिर्फ यह बात कह देती है कि देखेंगे, हम करेंगे, but no one is satisfied. सारी सिख कम्युनिटी, I must go on record here, सारी दुनिया के सिख, चाहे वे कहीं बैठे हैं, पिछले तीन दिन से सड़कों पर आये हैं। यह साबित करता है कि हर सिख, after this Report and Government of India's action, is not happy. हमारी तो इस हाउस से और आपके माध्यम से सरकार से विनती है, आप दो बाते करिये। हमें नहीं पता, क्योंकि सारा रिकॉर्ड पुलिस ने डिस्ट्राय किया है, पुलिस जुल्म वालों के साथ थी, कोई एफआईआर नही है। मुझे पता है कि किसी इन्वेस्टीगेशन पर सजा नहीं मिल सकती। कोई आदमी जेल नहीं जायेगा, न आज तक गया है। इसलिए सरकार दो बातें करे। जैसी कि नेल्सन मंडेला ने कीं। जब साउथ अफ्रीका आजाद हुआ, तो उन्होंने पहली कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम था, "ट्रूथ एंड रिकांसिलिएशन।"

आइये, आप उठिये, हम सिख किसी को सजा नहीं देना चाहते हैं, सिख इस बात में बिलीव करते हैं कि जो माफी मांगे, उसे माफी देते हैं। लेकिन जो दोषी हैं, वे खडे होकर कहें कि हमने जुल्म किया है, हम माफी मांगते हैं। हम उनको माफ कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकार सिंसियर होकर, पार्टी-पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, उन तमाम लोगों के खड़े होकर नाम ले, ये दोषी हैं, माफी मांगते हैं। यही हमारी मांग है। प्रधान मंत्री जी ने अभी माफी मांगी। इस पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेज में हमने जब भोपाल में गैस की ट्रेजडी हुई, तो यहां हमने शोक प्रस्ताव पास किया। अभी लंदन में जो कुछ हुआ, उसके लिए भी क्या इस हाउस को साफतौर पर सिखों से माफी मांगनी चाहिए? दोनों हाउसेज में, पार्लियामेंट में सरकार एक रिजोल्युशन लाये कि हम अपॉलॉजी मांगते हैं, जो उस वक्त की सरकार थी एक कंटीन्युअस प्रोसेस हैं। हमें नहीं पता कि कांग्रेस, बीजेपी कौन है? मैं तो साफ बात करता हूं कि सरकार हाउस में एक रिजोल्युशन लाये कि हम माफी मांगते हैं और दोनों हाउसेस में उसके लिए माफी मांगिये और यह कहिये कि जो कुछ हुआ, यह गलत हुआ। ...(समय की घंटी)... पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेस में प्राइम मिनिस्टर इसको मूव करें, इससे एटलीस्ट सिख सोसायटी को यह फील होगा कि देश हमारे साथ है।

सर, मैं एक बात और कहकर बैठता हूं। सिखों की बड़ी तारीफ की गई है। हम खुश हैं, बढ़िया है। लेकिन एकाध बात मैं आप सबको याद कराना चाहता हूं 1947 में सिखों के पास आप्शन थी हम पाकिस्तान में रहें या यहां आयें। यह रिकॉर्डिड चीज है, यह सारे ब्रिटिश डाक्युमेंट्स में छप चुका है। M.A. Jinnah gave blank cheque to Master Tara Singh आप जो मर्जी लिखो,

पाकिस्तान में रहो। लेकिन सिखों ने डिसाइड किया, वी गो टू इंडिया। हमारा घर वह था, हमारी जन्मभूमि पाकिस्तान है, हमारे गुरू नानक का बर्थ प्लेस ननकाना साहिब है। हम लाखों लोग मरे पिटे हम भारत में आये। Because of Master Tara Singh, who was the leader of the Sikhs, आधा पंजाब डिवाइड होकर इंडिया में आया, वरना पाकिस्तान की हद गुड़गांवा होती, अगर सिख चाहते तो। लेकिन सिखों ने देश का साथ दिया और पंजाब को बांटकर आधा पंजाब आपके पास दिया, हम मरे। हम यह कोई एहसान नहीं जता रहे हैं, because we are with the people of India... (समय की घंटी)... हम कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन हमें बड़ा अफसोस है। जब हमें मारा गया तो उसमें पॉलिटिक्स आ गयी और कोई कुछ बात कहता है, कोई कुछ बात कहता है। आज भी सिख psyche हर्ट हैं आज चाहे जितने लेक्चर कर लो, जो मर्जी कह लो, यह भूलने वाली बात बिल्कुल नहीं है, इसे कोई नहीं भूलेगा, सदियों तक नहीं भूलेगा, बावजूद इसके कि दोषी को सजा नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि भारत सरकार और भारत के लोग इतने बड़े हादसे को जो देश के माथे पर कलंक है, सारी दुनिया में भारत की बदनामी इसी बात पर हुई है कि आपने दिल्ली में क्या किया। इसलिए इसके साथ इफ, बट न लगाओ कि इसके बाद क्या हुआ, इसके पहले क्या हुआ। इश्यु पार्लियामेंट के सामने यह है कि कमीशन ने क्या किया, वैसे मैं कमीशनों के हक में नहीं हूं। कमीशन तो सरकार टाइम जाया करने के लिए बनाती है, to avoid public fury.

श्री उपसभापति: अब आप समाप्त करिये।

श्री तरलोचन सिंह: कमीशन क्या करते हैं, ये आपके सामने आर्काइव्ज में जाते हैं। आज तक हमारे दफ्तर में 40-50 कमीशनों की रिपोर्टें पड़ी हैं मेरे सब भाई माइनॉरिटीज वाले बैठे हैं, जितने भी कमीशन माइनॉरिटीज के लिए बने हैं, आज तक किसी पर ऐक्शन नहीं हुआ इसलिए कमीशनों पर कोई ऐतबार न करो। यह सरकार एक तरीके से टाइम लेना चाहती है, इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपसभापति: श्री दिग्विजय सिंह। आपके चार मिनट हैं।

श्री दिग्विजय सिंह (झारखंड): उपसभापति जी, इंसान अकेला रहता था लेकिन जब वह अकेला नहीं रह पाया तो उसने समाज बनाया और जब समाज से भी उसका काम नहीं चला तो उसने राज्य बनाया और राज्य को यह हक और अधिकार दिया कि अगर हमसे गलती हो जाए तो हम पर गोली चला देना, हमसे गलती हो तो हमें जेल भी भेज देना, लेकिन उसके बदले में राज्य से एक उम्मीद इंसान ने की थी कि राज्य उसके जीवन की बुनियादी हिफाजत करने का काम करेगा। मुझे लगता है कि जो 1984 का दंगा है, उस दंगे में यही बात असफल हो गयी कि राज्य अपनी बुनियादी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पाया। जो हुआ और जिसके बारे में अभी हमारे

माननीय सदस्य श्री तरलोचन सिंह जी अपनी बात कह रहे थे कि यह मामला सिर्फ, किसका नाम था, किसको पकड़ा जाए, किसको मंत्री पद से हटाया जाए, यह सिर्फ वहां समाप्त होने वाली चीज नहीं है यह मामला तो वहां तक पहुंच गया है जहां लोगों का जज़बात, जिसको हम सब लोग दिल से जोड़ते हैं, वहां यह मामला पहुंचा हुआ है और उसको कैसे, सदन के माध्यम से देश के लोगों के इस विश्वास को परिवर्तित किया जाए जहां पर वह घाव भर जाए। अब 21 साल के बाद यह सजा लोगों को सुनाई जा रही है। 21 साल बाद यह बात कही जा रही है कि अमुक दोषी है, अमुक पर यह सजा होनी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आपने कदम उठाया, थोड़ा सा लोगों को विश्वास हुआ कि आप कुछ हद तक उन कामों को कर सकते हैं जिन कामों से इस देश की एकता और अखंडता बरकरार रहे। यह बात सही है कि सिखों का इतिहास इस देश में त्याग का इतिहास रहा है, बलिदान का इतिहास रहा है। हमें फख्र है कि उसी समुदाय में भगत सिंह जैसा वीर पैदा हुआ जिसके जेल में बंद होने पर उनके पिताजी को जब कुछ लोगों ने कह दिया कि जाओ, भगत सिंह से कहो कि वायसराय से माफी मांग ले, उसकी सजा-ए-मौत माफ हो जाएगी। बाप का दिल नहीं माना, जेल चला गया और जेल में जाकर कहता है कि बेटा, वायसराय से माफी मांग ले। तब भगत सिंह का जवाब था कि पिताजी, अगर मैं आपके खून से पैदा नहीं हुआ होता तो मेरे बाजू में आज भी इतनी ताकत थी कि अगर कोई दूसरा आदमी यह बात कहता तो मैं उसकी गर्दन इसी शिकंजे में अपने हाथ से पकड़कर तोड़ देता। यह था साहस का काम और यह था वीरता का काम। यह काम सिख समुदाय के लोगों ने करके दिखाया है, और जैसा तरलोचन सिंह जी कह रहे थे कि अगर उनका दिल टूटता है तो हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि उनका दिल न टूटे और एक कदम से अगर कुछ विश्वास अर्जित हुआ है तो इस सदन ने कई अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं उन सुझावों का जहां एक ओर समर्थन करता हूं वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आप किसी दल के नेता नहीं है। जब एक बार आपने संविधान की कसम खा ली कि भारत के संविधान की इज्जत और गरिमा के आप रखवाले हैं तो आपका यह दायित्व और धर्म बनता है कि आप न सिर्फ दोषियों को सजा दें, न सिर्फ दोषी पकड़कर जहां उनकी उचित जगह है, वहां भेजें बल्कि साथ ही साथ आपको यह भी बताना होगा और नानावती आयोग की रिपोर्ट एक ऐसा हथियार है, प्रधानमंत्री जी, जो आपके हाथ में दिया गया है कि आने वाले दिनों में इसका आधार बनाकर किसी भी दूसरे आदमी, चाहे वह कितने भी बड़े पद पर क्यों न बैठा हो, उस व्यक्ति को भी सजा दिलाई जा सकती है। मुझे लगता है कि नानावती आयोग के इस हथियार का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए और यह सब सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए। केवल मंत्री पद से हटा दिया – राजनाथ सिंह जी ने ठीक कहा–किन्तु आपके वही लोग संसद सदस्य भी बने बैठे हुए हैं, वहीं लोग आपके दल में हैं। जिस दल के आप नेता हैं, उस दल में अगर वही लोग रहें तो आपकी इज्जत बरकरार नहीं रह सकती। इसलिए जहां एक ओर आप प्रधान मंत्री हैं,वहीं दूसरी ओर आप उस दल के नेता हैं। इसलिए आपका व्यवहार नेता और

प्रधान मंत्री दोनों की हैसियत से ऐसा होना चाहिए ताकि नानावती आयोग की रिपोर्ट में जो बात कही गयी है-मैं जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता लेकिन यह बात भी सही है कि जो कुछ 1984 में हुआ, उसके पीछे किन-किन लोगों का हाथ था, अगर उसका जिक्र हम करें तो लोगों के जख्म भरने के बजाय और बढ़ेंगे। इसलिए मैं उन बातों की तरफ न जाकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह मौका है, इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए और फायदा उठाते हुए दल के अंदर से भी लोगों का सफाया होना चाहिए। ऐसे लोगों को भारतीय राजनीति में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए जो लोग दंगे के दोषी लोग हैं और साथ ही साथ जितनी जल्दी हो सके, सजा का इंतजाम प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। अगर विलम्ब हुआ-21 साल एक लम्बा समय है, दो-दो डिकेड्स जिसको आप कहते हैं, यानी दो युग समाप्त हो गए। अब इसको ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए और जितना जल्द हो सके, सजा दिलानी चाहिए और भविष्य में ऐसा काम न हो, इसलिए नानावती आयोग की रिपोर्ट को सख्ती से लागू किया जाए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, धन्यवाद।

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: उपसभापति जी, आपने मुझे नानावती कमीशन की रिपोर्ट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। इंदिरा जी की हत्या 31 अक्टूबर, 1984 को, उसके दो सिक्योरिटी गार्डों ने जज़बात में आकर कर दी। इस घटना के बाद कहीं-कहीं कुछ घटनाएं हुईं फिर, जैसाकि नानावती कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कई जगहों पर कांग्रेस के लोगों ने, जैसे उस रोज टाइटलर साहब, सज्जन कुमार, धर्मदास शास्त्री, एच॰के॰एल॰ भगत जी का नाम लिया है, जब उन्होंने लीड दी, तो ये दंगे बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, तीन लाख से ज्यादा लोगों की हत्या की गई। दंगाई नारे लगा रहे थे - सरदारों को मार डालो, खून का बदला खून। दंगाकारियों ने सिखों के पवित्र गुरुद्वारे को भी नहीं बख्शा। वह गुरुद्वारा कौन-सा था? जहां गुरु तेग बहादुर जी का हिंद की चादर का संस्कार दिया जाता था और उस गुरुद्वारे में जो लोग थो, उनको भी खत्म कर दिया गया। दंगाकारी इतने हौसले में थे, क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। हिंदुस्तान के नामवर नेता राम विलास पर पासवान जी के घर पर हमला हुआ। उनके गैरेज और कार को आग लगा दी गई। उनके घर जो सरदार छिपा हुआ था, उसे भी कत्ल कर दिया गया। वह कौम, जिसके बारे में, देश की राजधानी में, सिखों का इतिहास सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा गया है। 1947, 1965 और 1971 की लड़ाइयां पाकिस्तान के साथ हुईं जिस बहादुरी से सिख रेजिमेंट लड़ी, इतिहास में लिखा हुआ है, लेकिन इन दंगों के बाद लोगों ने सिखों की sincerity पर शक करना शुरू कर दिया। उसके बाद कारगिल की लड़ाई हुई। कारगिल की लड़ाई एक ऐतिहासिक लड़ाई थी, क्योंकि उनकी फौजें ऊपर थी, हमारी नीचे थीं। लड़ाई का तनासुब 6:1 का था। हमारे 6 शहीद होने थे, उनका एक होना था, पर फिर भी जो बहादुरी सिख कौम के नौजवानों ने दिखाई, आज इतिहास उसका गवाह है। नादिरशाह, अब्दाली, इनके हमलों को किसने रोका? सिखों ने।

उपसभापति जी, पाकिस्तान के साथ जब 1965 की लड़ाई हुई, उसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। किसी के दिमाग में नहीं था कि पंजाब के बॉर्डर पर लड़ाई होगी। जब छम्ब सैक्टर में

पाकिस्तान को ऊंची पोजिशन हासिल थी और वे हमारी जम्मू-श्रीनगर की लैंड जो है, वहां रोड काट रहे थे, इस कारण हमला हुआ, रातोंरात हमला हुआ। फौजों के पास चार-पांच दिन का राशन भी नहीं था। हमारी नौजवान बेटियों ने, गांव की नौजवान बेटियों ने राशन पकाकर फौजों को उनके अड्डों पर जाकर दिया। उपसभापति जी, यह हमारी छोटी-सी कहानी है। सर जो सलूक हमारे साथ हुआ है, ऐसा सलूक दुनिया के किसी भी कोने में देखने को नहीं मिलता। सीमा पार से जो लोग आते थे, उनको भी हमने रोका और महाराजा रंजीत सिंह जी ने एक सल्तनत कायम की, जिससे अंग्रेज भी डरते थे और के पार की रियासतें भी डरती थीं। चेयरमैन साहब, डा॰ मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री बने....(**समय की घंटी**)... बस एक मिनट। हर सिख के घर में खुशी हुई। हम लोगों ने दीप जलाए। हमें उनसे आशा थी कि आज जिन दगों पर बहस हो रही है, उसमें अकालियों का नाम नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने अकालियों की सरकार बनाई, क्या सरकार बनाई। संत लौंगोवाल एक भले मानस आदमी थे। उनके साथ एक समझौता किया। उसका क्या असर हुआ, संत लौंगोवाल को तो अगले दिन ही शहीद कर दिया गया। जो मदें उस समझौते में थी, चंडीगढ़ पंजाब को देंगे, पंजाबी इलाके पंजाब को देंगे, आज तक अमल नहीं हुआ है। डिप्टी चेयरमैन साहब, अभी होम मिनिस्टर साहब भी चले गए हैं। प्रधानमंत्री जी का भाषण, सबके भाषण के बाद होना चाहिए था क्योंकि हर भाषण करने वाले का दिल करता है कि प्रधानमंत्री जी को सब बातें बोल दें। इन दगों के बाद जो कुछ हुआ, सारी कौम के दिल पर उसका गहरा असर है। 'फादर ऑफ दि नेशन' महात्मा गांधी जी को नाथूराम गौडसे ने मारा। वह मराठा था। उसके बाद किसी मराठे को कत्ल नहीं किया गया। राजीव गांधी जी को एल॰टी॰टी॰ वालों ने कत्ल किया। उसके बाद एक भी एल॰टी॰टी॰ वाले को किसी ने कत्ल नहीं किया। यहां पर जज्बात में आकर जिसका घर ही खत्म कर दिया जाए, अकाल तख्त, दरबार साहब और हरमिन्दर साहब, ...(**व्यवधान**)... जो नौजवान जज्बात में आ गए....(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप समाप्त कीजिए, क्योंकि मैंने आपको तीन मिनट ज्यादा दे दी हैं।

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: उसकी सजा सारी सिख कौम को दी गई। हमारे दिल में यह सदा रोष रहेगा। डिप्टी चेयरमैन साहब, आखिर में, मैं आपसे फिर दरख्वास्त करता हूं जो भी रेकमेंडेशन्स आई हैं, उससे भी ज्यादा जो लोग इन दंगों में खत्म हो गए हैं, उनको पूरा एवजाना दीजिए। जैसा आपने वायदा किया है कि जिन घरों के लोग दंगों में खत्म हो गए हैं उनके लोगों को नौकरी दीजिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। इसी के साथ में आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा: उपसभापति महोदय, मैं वे बातें नहीं दोहराना चाहता कि देश की खातिर सिखों की कितनी बहादुरी है, कितनी कुर्बानियाँ की, सिख गुरुओं की कितनी बड़ी कुर्बानी है, जिन्होंने इस देश की खातिर अपना सर्वस्व वार दिया। सिख फौजियों की भी बहुत बड़ी कुर्बानी

हैं, जिन्होंने इस देश की कुर्बानी को कायम रखने के लिए बड़ी-बड़ी कुर्बानियां दीं। उसके अलावा पंजाब के लोगों ने, पंजाब के सिखों ने ग्रीन रेवोल्युशन में बहुत बड़ी प्राप्ति की और देश के अनाज के भंडार को भर दिया। केवल पंजाब में ही नहीं, पंजाब से बाहर भी जो सिख हैं, चाहे वह तराई का इलाका है, चाहे मध्य प्रदेश का है या किसी और प्रांत का है, वहां भी जाकर उन्होंने मेहनत की। आप देख सकते हैं कि जहां सिखों के खेत हैं, वहां खुशहाली है, वहां पर उन्होंने कितनी मेहनत की और बाकी लोगों की कितनी खुशहाली है। अगर हम सिखों की मेहनत, उनकी सिनसेरिटी, डेडिकेशन का अंदाज लगाएं, तो मैं समझता हूं कि इस पर सारा दिन बोला जा सकता है। बात यह है कि इसके बावजूद बेइंसाफियां होती रही। एक ही नहीं, 1947 में भी जो इतना जुल्म हुआ था सबसे ज्यादा उसे सिखों ने सहा। उनके जाल-माल का नुकसान हुआ, यहां उनकी प्रॉपर्टी आधे से भी कम मिली, उनका फाइनांसियली भी नुकसान हुआ। उनमें पंजाबी लोग भी हैं ...(व्यवधान)... इतना बड़ा नुकसान उठा कर, फिर उन्होंने पंजाब में आकर इस देश की खातिर मेहनत की, फौज में भी और किसानी तौर पर भी। जो पंजाबी, सिख हैं, हिन्दुस्तान की बेहतरी के लिए, इसके भविष्य के लिए उन्होंने हर क्षेत्र में डट कर काम किया है। पर बड़े अफसोस की बात है कि यह जो 1984 के दंगे की बात हो रही है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम बात करते हैं, जब कमीशन ने भी रिपोर्ट दी है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर इंवाल्व हैं, तो मेरे जितने साथी हैं, वे गुस्से में आ जाते हैं। हमें यह सुनना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या किसी और पार्टी का भी नाम आया है, एक नाम तो बताइए। अगर हिन्दु के मन में कोई गुस्सा होता, तो पंजाब में भी दंगे होते, मैं यह नहीं कहता। पंजाब में सिखों की मेजोरिटी हैं किसी ने अपने वीरों को गाली तक नहीं दी और प्यार से भाई-भाई कह कर रहते रहे। इसके अलावा जहां कांग्रेस की सरकारें थीं, वहीं प्लान करके कत्लेआम किया गया, जीनोसाइड किया गया। जहां नन-कांग्रेस गवर्नमेंट थी, बंगाल की बात कर लीजिए, वहां एक भी सिख को हाथ नहीं लगाया। अफसोस से कहना पड़ता है कि यह क्या प्रोग्राम था, क्या हो रहा था?

प्राइम मिनिस्टर साहब बात करके गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी की हैं। खुशी की बात है। मैं यह समझता हूं कि वे महसूस करते हैं कि वाकई यह सच्चाई है, उन्होंने देखा है, पर कई बातों से वे मजबूर हो जाते हैं। मैंने कल भी उनका भाषण सुना, आज भी सुना। मजीठा साहब ने ठीक कहा कि जब डा॰ मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो सारी दुनिया के सिखों में खुशी की लहर बनी थी और कांग्रेस पार्टी को भी यह क्रेडिट गया था कि एक छोटी-सी माइनोरिटी के इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। यहां तक कि हम अकाली पार्टी वालों ने भी बधाई दी और खुशी महसूस की थी कि सिख सम्प्रदाय का इंसान आज देश का प्राइम मिनिस्टर है। पर बड़ा अफसोस होता है कि वे आज हमारी बात करते हैं, अकाली दल की बात कह रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल (समय की घंटी) हमेशा ही देश की एकता, अखण्डता में विश्वास करता है। हमने अपने प्रधान संत

हरचंद सिंह लोंगोवाल की कुर्बानी दी, तारा साहब को गोली लगाई गई और इसके बाद जत्थेदार जगदेव सिंह तलवंडी, उन्हें गोलियां लगाई गई। हमारे और कई लोग टेररिस्टों की गोलियों का शिकार हुए। हमने टेरोरिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हम सारे सिक्युरिटी लिए फिरते हैं और टेरोरिस्ट चाहते हैं कि शिरोमणि अकाली दल के जो लीडर हैं, इन्हें खत्म करो, ये हमारे बीच एक रुकावट हैं। मैं पूछना चाहता हूं, विदेश मंत्री भी बैठे थे, होम मिनिस्टर भी बैठे हैं, बयान भी दें तो तसल्ली नहीं हुई कि आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनसी गुलजार, जो टोरंटो में है, वहां खालिस्तान की स्टेज पर सरोपे लेते हैं, पीछे बोर्ड लगा है और गवर्नमेंट स्टेप नहीं लेती। (समय की घंटी) बड़े अफसोस की बात है। कौन टेरोरिज्म को बढ़ावा देता है? क्या हम देते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या इसे रोकना नहीं चाहिए था? प्राइम मिनिस्टर को यह कहना नहीं चाहिए कि आप वहां क्यों गए? मैं भी वहां गया था, पर हम उस गुरुद्वारे में नहीं गए। हम वहां जाते हैं, जहां सेक्युलरिज्म की बात होती है, जहां देश की एकता की बात होती है। हम वहां नहीं जाते, जहां टेरोरिज्म की बात होती है या खालिस्तान की बात होती है। कौन इसे करता है? किसने भिंडरावाले वाले को क्रिएट किया? क्या यह छिपी बात है?

श्री उपसभापति: आप का समय समाप्त हो गया। अब conclude कीजिए।

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा: आप ने हमेशा उन को बढ़ावा दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं यही कहना चाहता हूं। हम ने आप का भाषण सुना। हम देश की एकता, अखंडता में विश्वास करते हैं और हमारे शिरोमणि अकाली दल की बहुत बड़ी कुर्बानी है। सर, हम उन से यही आशा करते हैं, हमें उम्मीद भी है कि आप अपने मन को बतौर सिख टटोलिए कि आप क्या फील करते हैं? कल सड़कों पर वे विधवा औरतें रो रही थीं, क्या आप का मन नहीं पसीजता? क्या आप का मन नहीं कहता कि कहीं गलती हुई है? ये दंगे कहीं न हों, अगर आप एक बार इंसाफ कर दो, अगर आप एक बार उन को सजा दो फिर चाहे वे कितने भी बड़े आदमी हों। यहां कांग्रेस के बड़े लीडर्स बैठे हैं, आप का नाम क्यों नहीं आया? आप अपनी पार्टी को बचाइए। आप उन लोगों को क्यों बचा रहे हैं जो कलंकित हैं, जो देश को बदनाम कर रहे हैं, पार्टी का नुकसान कर रहे हैं? उन को सजा दीजिए, तब सारी दुनिया के सिख लोग कहेंगे कि आप ने अच्छा काम किया है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ा इंसान होता है। इस से हिस्ट्री बनती है, आप को मौका मिला है। आप सिखों का दर्द महसूस करते हुए उन कातिलों को सजा दिलवाइए जो कमेटी ने, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, उन को लागू कीजिए। आप इस ए॰टी॰आर॰ को अमेंड कीजिए और उन लोगों को सजा दीजिए। यही मैं आप से कहना चाहता हूं। वह बड़े शरीफ आदमी हैं और उनका काम भी बढ़िया हैं। मैं समझता हूं कि वह काबिल हैं और हमें फख्र होता है और खुशी होती है, मगर शरीफ भी कई बार काम नहीं आते क्योंकि ज्यादा शरीफ होना भी कमजोरी का सबूत है। जब मजबूत हाथों में सरकारें रहती हैं तो तगड़े बनकर काम किया जाता है। आप किसी के

3.00 P.M.

कहने से फैसला न करो, अपनी सोच से तगड़े होकर काम करो, तो सिख कौम फख्र महसूस करेगी कि कोई प्राइम मिनिस्टर आया था जिस ने उन लोगों के साथ न्याय करवाया जिन के साथ ज्यादतियां हुई। उस ने कातिलों को सजा दिलवाई, जो मज़लूम फिर रहे हैं, उन को राहत दी, उन के आंसू पोंछे। इस से ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. P.C. ALEXANDER (Maharashtra): Sir, ever since the Commission's Report was tabled in Parliament, we have been reading about expressions of disappointment not only from political personalities, but also from eminent jurists. Probably the five years' time that it took in bringing out the Report and the fact that Shri Nanavati had a high reputation as a founder of the Supreme Court had created a lot of expectations among the people about this Report. But the Report, when it came, disappointed many people, and disappointed, particularly, the Sikh Community which had been waiting for some redressal of the grievances and injustices they had suffered in the 1984 events. I should say, with due apologies to the Home Minister, that the Action Taken Report aggravated the disappointment. Even though the Government took six months to prepare the ATR, when it came to the notice of the people, they found that it was more disappointing than the Report itself. In fact, if the hon. Prime Minister had not taken the trouble of explaining to the Lok Sabha what he is planning to do, and if he had not taken the trouble of telling us in the Rajya Sabha today that some of the points raised in the Report would be very strongly acted upon, the ATR would have created much disappointment and even trouble for the whole country. To a very large extent, the Prime Minister's intervention, yesterday and today, has neutralised some of the bad effect of the ATR. I only wonder, as an old administrator, why those who prepared the original draft, did not take proper care usually taken before it is submitted to political levels? I leave it at that.

This morning, I listened to a statement by a very senior hon. Member of this House not even the very appointment of this Commission was not necessary, said that it was rushed through, and after the Question Hour, during the period known as the Zero Hour, it had been hastly agreed to. I choose to differ from him. I think, it has served a good purpose. If the feelings of the Sikh community, today, are somewhat assuaged, it is largely because of the fact that this Report has indicated certain action points. And, the Prime Minister has said that he will follow it up promptly. I will just mention three main issues which have been thrown up by this Report.

The first issue is the unequivocal statement in the Report that the carnage, which took place in the first week of November, 1984, was not just the result of a sudden outburst of anger or just the expression of an uncontrolled fury on the part of the people who could not reconcile themselves to the murder of a very highly respected and beloved Prime Minister. The Report says that could have been true in the initial stages, on the 31st of October and, probably, a few hours later, but very soon it had been taken over by those who had other designs. And this finding of the Commission is certainly a very damaging one. It shows that it was an organised effort on the part of some people. I do not have to describe the conclusions of the Report on that part of it. And I would earnestly request the Prime Minister and the Home Minister to give the utmost importance to these observations in the Report, and to show, by very quick action, that they have taken a serious note of this and those responsible for these misdeeds would be brought to book soon. The second issue raised in this Report, which should have deserved much better consideration than it had on the part of those who prepared the ATR, is regarding the police administration in our country. The statements in the administration report, a very brief report, speaks volumes. In fact, it is the greatest indictment that one can think of from a judge, who was heading a commission, about the state of affairs in the police today. I will just read that one sentence, "If the police had taken prompt and effect steps, very probably, so many lives would not have been lost and so many properties wou'd not have been looted, destroyed or burnt". To say that the inaction on the part of the police or negligence on the part of the police, which the Report very clearly brings out, has contributed to the loss of life, forget the loss of property, would ever linger in our mind till appropriate action is taken against these policemen. I can assure the hon. Minister that the mere fact that a person who has retired from service is no excuse for not proceeding against that person, if he was guilty of criminal conduct, disciplinary action may not be possible but if the criminality is proved in a court of law, that would be a compensation for those who are aggrieved. I would request the hon. Home Minister to consider, very seriously, a total revamp of the police administration in our country. We are still managing the police administration on the traditions that had been left behind by the British. Even though we have advanced so much in the prospective of our democracy, we are still continuing the old traditions, and that is why we find indifference, police brutality, police looking the other side when some

criminal acts are taking place in their presence. And much worse, the police is willingly playing to be tools in the hands of even *chhota netas* at the local level. The whole Police Department has to be revamped and this is the right opportunity for it. If I may venture to give a suggestion for consideration of the hon. Home Minister, you should now appoint a Police Commission. The old Dharamvira Commission was appointed about 30 years ago, and its Report has really become out of date. It is time to use this opportunity and come up with a good Police Commission. You are appointing so many commissions and committees and people have already started laughing and commenting about it. But, I would say that this Report provides an ideal opportunity for you to appoint some one of the status of Dharamvira. Find out someone of that status to head a commission and insist on a proper report for revamping the whole system.

The third point I would like to say is, the fall out from the Report and the comments about it and some lingering doubts in the minds of some people that there has been delay in calling the Army to help the police. Unfortunately, this confusion has been created by a senior functionary who was in-charge of administration in Delhi at that time. It is time that proper action is taken to clear this doubt. Unfortunatly, the person who made these observations has contradicted himself by three statements. This Report itself quotes this statement. First, he said that in the morning of November 1st, at 7.30 a.m., he instructed the Police Commissioner to call the Army. Let me make it very clear to everybody, through the courtesy of this House, that the Lieutenant Governor in a State like Delhi is the authority to call the Army. There is no need for him to get the approval from the Prime Minister, from the Home Minister from the Cabinet or anybody. He has the full power. He can choose the time, when he should call the Army and take the decision without informing anybody. He says, "He informed the Police Commissioner to call the Army at 7.30 a.m. If he had done that, he would have taken very early action to get the services of the Army to deal with the situation". But, at another place, in a statement he made to the Nanavati Commission, he said that I convened a meeting in the Prime Minister's Office. I invited the Home Minister, the Chief of the Army Staff, the Cabinet Secretary and the Home Secretary to discuss the issue of calling in the Army services. Sir, anybody who knows the abc of administration will know that a civil servant like me cannot invite a Cabinet Minister, and that too a Home Minister to come to my office to attend a

meeting, which he says, I presided-over [illegible] imagination and have created doubts in the [illegible] the Army at 7.30? Did he call the Army at [illegible] and [illegible] meeting which was to be presided-over by [illegible] the Home Minister of the country?

And the third confusing statement he has made is, he asked the Home Minister's approval for calling the Army. All these things have caused confusion. The plain fact is that he called the Army-probably, he complained, the response was not good-at 1.30 p.m. Unlike the gentlemen who said this, I maintained a very good diary, almost half-an-hour to half-an-hour what I had done while serving in some position in the Government. We went to Rajiv Gandhi, myself and the Cabinet Secretary, and told him "Whatever has happened, we are convinced that the Delhi Administration cannot handle the situation any further". He just asked, "What do you want me to do"? He just authorised us to use our authority to inform the Army that they should take over immediatly. Without wasting even half-a minute, he said, "Please go ahead". That is how the Army was called in. If he had called in the Army at 7.30 a.m. well and good, he has done his job. But if he found that the Army's response was not prompt, I do not believe in it. Then, he should have complained about it to the Home Secretary or to the Cabinet Secretary or to the Home Minister or, if necessary, to the Prime Minister. But, at any rate, by 1.30 p.m. the Prime Minister had authorised us and the Army was in position. By 3 o'clock, the Army had swung into action.

Therefore, the talk of delay in calling in the Army and the arguments which are going on, the motivation which have been behind some people for not doing action, all those things are out of order. I am only saying, Sir, these for the consideration of the Home Minister and, if possible, for his reply on these three issues. There should be some assurance from him and I will be grateful if he responds to these in his reply. Thank you.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, I am sure, you will be kind enough towards me because it is a very serious issue I would express a little confusion of mine to you on the Resolution that has been moved by Shri Rajnath Singhji wherein he has primarily sought modification of the Action Taken Report. Incidentally, from the assertion of the hon. Prime Minister in the Lok Sabha yesterday, and his reiteration of the same

today in this House, it is evident that the ATR has already been modified. I do not know what else are to be modified! It has already been thoroughly modified. And from the very utterances of the hon. Prime Minister, it appears to me that the present Government did not consider this ATR as a sacrosanct document that cannot be amended. Rather, it has been promptly amended and it has also been declared. So, what was holding good yesterday in the morning, that did not hold good today morning in the House. So, I am sure that Shri Rajnath Singh, when he would be concluding the debate, would certainly clarify this as to what other modifications he sought, and why it should be discussed under rule 168, resulting into rule 170 and a consequent voting. I am in a little confusion and, I am sure, my colleague would clear this confusion of mine.

Sir, of course, I need not re-describe the gory or the frenzy of the genocide that took place in 1984, a very unfortunate incident. The re-describing of that in this House, at the moment, would unnecessarily remind the people who could somehow forget, the pain of their lives, what cannot be foregotten as such. Some colleagues of mine told me that for hundreds of years it would be remembered. Yes, I also feel so. But it is no use instigating passion; it has been very clearly enunciated by the hon. Prime Minister that we have to understand that we cannot redo the past, we can re-write the future.Considering the re-writing of the future, while considering to rebuild the future of the nation, I would say-I do not know how it would be intellectually perceived by some of my colleagues or some people; leave aside the question of understanding this-that in this poor country of ours, the democratisation of the mind did not take place. Over a period of 57 years, the attention of the Government could not be drawn to this core issue; Democratisation of the mind must take place. Leave aside the question of bourgeoisation of mind; democratisation did not take place. It is simply the vestiges of feudalism that many are carrying. That is why we have terms for particular sections of the society, that he belongs to this community, he belongs to that community, to judge people on the basis of caste, creed and also religion; thereby we make open the situation where this sort of unfortunate incidents take place.

So, Sir, my appeal to the present Government is that a scientific development of society should be there. The scientific development of society was dreamt by the freedom fighters of the country who laid down their lives, who had given up their lives in the gallows of British imperialism.

They dreamt of a scientific society to be developed. Even Pandit Jawaharlal Nehru also dreamt of a scientific society, that a scientific society must develop Democratisation of mind must be there. People must not hang around the old vestiges, of feudalism. But unfortunately, the plannings of the Government, particularly at the grass-root level, did not take that recourse. Naturally, the situation even as on today is so unfortunate that even in the 21st century we have to experience the carnage of Gujarat, the mass genocide of Gujarat. We have to experience it, Sir. We have to experience the very unfortunate incidents of 1984 in the city of Delhi or else where. Only excepting my ...*(Interruptions)*...

श्री जयन्ती लाल बरोट (गुजरात) : देखिए आज भी आप गुजरात का नाम लेते हैं,(व्यवधान)...

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Please sit down ..*(Interruptions)*... What hurt you? ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: देखिए, आप क्यों उठ गए? (व्यवधान).. आप बैठ जाइए (व्यवधान)... आप उन्हें उनकी बात बोल लेने दीजिए (व्यवधान)...

श्री जयन्ती लाल बरोट: आज भी आप गुजरात का नाम लेते हो, (व्यवधान)... पश्चिमी बंगाल में भी हमेशा ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। (व्यवधान)...

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, unfortunately, the intellectual comprehension of Members I cannot doubt. However, I do doubt it. In this House. I cannot doubt the intellectual capacity of the people; otherwise, I would have doubted it. Some of the Members do not understand what I am speaking. They unnecessarily react. I have not said any bad word about Gujarat. I have not said all Gujaratis are communal like them ...*(Interruptions)*...I have only said that, unfortunate incidents like Gujarat or Delhi may recur unless we perceive this inter relation. That is the problem, Sir. That is the problem what I am pointing out. Somebody has become a leader without the democratisation of mind. ...*(Interruptions)*...What is this?

श्री नारायण सिंह केसरी (मध्य प्रदेश) : महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि पश्चिमी बंगाल ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: क्या है यह? (व्यवधान)...आप बैठ जाइए (व्यवधान)... उनको बोलने का हक है, इसलिए आप बैठ जाइए (व्यवधान)... आप उनको कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते (व्यवधान)...

श्री नारायण सिंह केसरी: महोदय, मेरा प्वॉइंट ऑफ ऑर्डर है (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप रूल को कोट करिए। (व्यवधान)... What is your point of order?

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, I reiterate with all force at my command that this is their psyche. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)...

श्री रुद्रनारायण पाणि.*

श्री उपसभापति: पाणि साहब मैं कह रहा हूं कि आप बैठ जाइए। क्या आपको कछ डिसिप्लिन मालूम है ...(व्यवधान)... क्या आपने रूल्स को पढ़ा है या मैं आपकों रूल्स की एक कॉपी भेजूं?

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, I am sorry, I did not like to instigate them. I have no intention of instigating them. ...(*Interruptions*)...

श्री नारायण सिंह केसरी: महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि पश्चिमी बंगाल ...(व्यवधान)...।

श्री उपसभापति: आप मेहरबानी करके बैठ जाइए ...(व्यवधान)... आप रूल्स को फॉलो कीजिए ...(व्यवधान)... यह सही बात नहीं है ...(व्यवधान)...।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, I am sorry, I did not like to instigate them. I have no intention of instigating them. ...(*Interruptions*)...

श्री नारायण सिंह केसरी: महोदय, गुजरात (व्यवधान)...

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Mishraji, you are a conscious person. I have got very high respect for you. ...(*Interruptions*)... Kindly look at it. Sir, I will say and I will repeat. ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापति: मैं आपसे कह रहा हूं कि यह सही बात नहीं है ...(व्यवधान)...। देखिए आप लिमिट से बाहर जा रहे हैं ...(व्यवधान)...।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Unfortunately, this is their psyche which is responsible for this sort of incidents. I will say, Sir, that whatever has happened in 1984 is very unfortunate and that long after 21 years all the accused could not be brought to book. I do not say that the Nanavati Commission Report has recommended everything in a right way, as it should have. The expectation about the Nanavati Commission is also belied.

*Not recorded.

But, Sir, we must remember that ten Commissions and Committees were there. They have also given so many recommendations. Now it is left to the Government of the day that they must see that all the accused are brought to book. This is number one. Secondly, I am sorry to say that none of the Members has pointed out that some rehabilitation colonies were constructed after 1984 for those who lost their houses or for whose houses were gutted. I have seen mself particularly the west Tilak Vihar colony. (*Time-bell rings*) Kindly allow me time because I was interrupted by my collegues. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude, Mr. Bhattacharya.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, the Tilak Vihar DDA flats, which were allotted to the victims, those flats, are virtually in a dilapidated condition. So, we want that a proper resettlement not only should be planned but it should also be maintained. There should be resettlement of the Sikhs who were on the receiving end in 1984 for three to four days together. I must say that everywhere it took excepting only in Kolkata. I remember very distinctly that we had taken adequate measures so that no such situation can happen or occur in West Bengal. In West bengal, I must once again say that people in West Bengal have developed a different psyche. We are working for that. We do not say that we have achieved everything. We are working in that direction. Sir, the centrifugal force which is exerting today is disintegrating the people.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Kindly conclude.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, I will conclude. Kindly bear with me for some time because I was interrupted. The strong centrifugal force that is exerted by different vested interests is to be combated with. The Government must show its political will without any bias. Without any bias the Government must show its political will, whether they belong to the Congress Party, whether they belong to the BJP, whether they belong to the RSS, whether they belong to my part, even RSP. I must say that national integrity is the first. Humanism is number one. Humanism and national integrity, accordingly is number one. I don't consider the genocide of the Sikhs. It was genocide of the human being. It was an act against human interest. I was gory. it was an act against humanism and I am sure the Government of this day must stand with a serius political will to defend

humanity and to defend humanity what the hon. Prime Minister has said that he has remembered Mahatma Gandhiji, the tears of all the people must be wiped out. The Government, I am sure are in a position to take a political pledge.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: please conclude.

SHRI MANOJ BHATTCHARYA: I am just concluding. I also say, even though the rehabilitation also concerns the employment of the people who have been killed, the kith and kin of the people who have been killed. You should see that Government employment is given to them. Government employment must be planned accordingly so that the people who have suffered, the families who have suffered may lead a dignified life. Unless you bring them to the mainstream of the nation, we shall not be able to continue to dream of a better nation as on today. Thank you, very much, Sir.

श्री देवव्रत बिस्वास (पश्चिमी बंगाल): महोदय हमको सदन में ज्यादा समय नहीं मिल पाता है और चूंकि हमारी पार्टी का एक ही सदस्य है इसलिए दिल तो तड़पता है बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन सदन में हमको कभी ज्यादा समय नहीं मिलता है। फिर भी जिस विषय पर आज चर्चा हो रही है, इसके ऊपर दिल की बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो आज इस सदन के हर, एक सदस्य का, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो और हिन्दुस्तान के सभी लोगों के दिल का बात है, वे सभी लोग सुन रहे हैं। नानावती कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद 1984 के उस काला समय को, काला दिन को वे लोग याद करते है। क्योंकि दोबारा यादगार उनके सामने आ गई। उस समय के हमारी माताओं और बहनों की आंखों के आंसू और उनका रोना और उस समय दिल्ली और हिन्दुस्तान की अन्य कुछ जगहों पर जो आग जल रही थी, वह आज भी हम लोगों के सामने है। हम उसके लिए सब लोग दुखी है।, लज्जित हैं तथा हमारे देश के लिए यह शर्म की बात है। इसके साथ हम अपने को भी शामिल करना चाहते हैं।

[उपसभाध्यक्ष (श्री दता मेघे) पीठासीन हुए]

हम यह जरूर कहेंगे कि कभी-कभी ऐसा समय आता है जिस समय पार्टी को और पार्टी के जो शीर्ष नेता होते हैं और राष्ट्र के जो प्रधान होते हैं, उन लोगों को इतिहास में अगर कोई गलती हुई है, तो उस गलती से सबक लेकर के उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए तथा उस कोशिश को करना, उस गलती को याद करना, उस गलती को मान लेना कोई गुनाह नहीं है, यह बड़प्पन है। उपसभाध्यक्ष जी, यह समय कभी-कभी आता है। इतिहास उसी का याद रखता है जो पार्टी की गलती को सुधारने के लिए कदम उठाते हैं। महोदय, हम नानावटी कमीशन की जो रिपोर्ट है, उसके

जो कानूनी पहलू हैं और सरकार की जो कार्यवाही रिपोर्ट आई है, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हम यह जरूर बोलेंगे कि कल दूसरे सदन में और आज इस सदन में प्रधान मंत्री जी ने नानावटी कमीशन की रिपोर्ट नहीं, कार्यवाही रिपोर्ट नहीं, उन्होंने 1984 की घटना की गहराई में जाकर के, उसका जो असली इतिहास है, तो सिख भाइयों का दर्द है, जिसकी वजह से हमारे देश की एकता के ऊपर, हिन्दु-मुस्लिम-सिख-ईसाई की एकता के ऊपर धक्का लगा है, उसकी गहराई में गये। उन्होंने नानावटी कमीशन और उसकी एटीआर के संबंध में जो वायदे दूसरे सदन में और यहां पर किये हैं, इसकी हम सराहना करते हैं। He is praiseworthy for this. हम यह उम्मीद करेंगे कि प्रधान मंत्री जी अपने सिद्धान्तों के ऊपर खड़े रहेंगे। यह कोई मामूली बात नहीं हैं। हिन्दुस्तान में यह एक इतिहास हो गया, एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और जिन लोगों के नाम हैं, उनके ऊपर दोबारा कार्यवाही होगी, यह मुझे उम्मीद है। इसके लिए जो उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वह भी मिलनी चाहिए।

इसी संदर्भ में हम कुछ और बातें सदन के समाने चाहते हैं। किसी जगह पर कोई घटना घटी, चाहे वह 1984 की घटना हो, चाहे वह गुजरात की घटना हो, चाहे वह भागलपुर की घटना हो, चाहे वह कानपुर की घटना हो, जहां कहीं भी हो, अगर इसको देखा जाये तो Police administration and the system of the Government not in favour of victims, rather they instigated and extended their support to those who are creating this trouble. जो लोग लोगों के घर जला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, उनके पीछे पुलिस खड़ी हो जाती है, पुलिस उनकी मदद करती है, लेकिन अपराध करने वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसी कारण जो लोग ऐसे कृत्य करते हैं, चाहे जो भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी की नीति यह नहीं हो सकती है कि लोगों का कत्ले-आम हो, लोगों के घर जला दिये जायें। लेकिन कभी, किसी किसी समय एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में जो व्यवस्था करनी चाहिए, जो कदम उठाने चाहिये, वे कदम नहीं उठाये जाते हैं। इसके लिए हमको बीस साल इंतजार करना पड़ेगा। जब कमीशन की रिपोर्ट आयेगी तब पता करेंगे कि कौन पुलिस ऑफीसर, कौन अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार थे, उनके विरुद्ध हम कार्यवाही करेंगे। क्यों हमें कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता है? जो लोग उस समय थे, सरकार में प्रशासन में जो लोग थे, उन्होंने क्यों इसके बारे में कार्यवाही नहीं की और कब तक हमें कार्यवाही करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा? इसके लिए हम जरूर प्रधान मंत्री जी से निवेदन करेंगे। प्रधानमंत्री जी आज आप सरकार चला रहे हैं। नानावटी कमीशन की रिपोर्ट आई है, जो 1984 की दुखद घटना के संबंध में है, जो मानवता की हत्या हुई है, इसको समाने रखते हुए, आपने एक मिसाल रखी है। हिन्दुस्तान के किसी कोने में लोगों की इस तरह से हत्या नहीं होनी चाहिए इसके लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए।

मेरी दूसरी बात है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो मोशन लाये हैं, हम जरूर उनसे एक प्रश्न पूछेंगे। नानावटी कमीशन का गठन हुआ और इसकी रिपोर्ट आने से पहले, इस सरकार के आने से पहले, पिछले पांच साल में आपकी सरकार थी, इस दौरान कौन-सी रुकावट आपके सामने थी? जिसके कारण पांच साल 84 के दंगों के लिए जो कार्यवाही करनी चाहिए थी, वह कार्यवाही नहीं हो पायी, क्यों नहीं हुई?

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्ता मेघे): आपका समय हो गया है।

श्री देवव्रत बिस्वास: इसके लिए क्या रुकावट थी, क्या प्रतिबंध था, क्या आपके सामने रुकावट थी? क्या आपको यह जानकारी नहीं थी कि 84 के दंगे में किन लोगों का घर जला है, कौन लोग बेघर हुए है, किस मां या बहन की मांग का सिंदूर मिट गया? उनकी प्रॉपर रीहैब्लीटेशन की व्यवस्था पांच साल में क्यों नहीं हुई? क्या उसके लिए आपको नानावटी कमीशन की जरूरत है? क्या आप नहीं जानते हैं कि दिल्ली में किसका घर चला गया, कौन बेघर हो गए, किसकी मांग का सिंदूर मिट गया? क्या उनके रीहैब्लीटेशन के लिए हमें कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा? यह जवाब हम जरूर चाहेंगे क्योंकि अकाली दल के दोस्त लोग हैं, आप जानते हैं कि हम जिस पार्टी से आते हैं-नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की स्थापित पार्टी-उसके साथ हमारे देश के सिखों का एक अलग ताल्लुक है। हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में सिखों की कुर्बानी हम लोग नहीं भूल सकते हैं और सिखों के साथ जो घटना घटी, वह शर्मनाक है, लेकिन सिर्फ वहीं हिन्दुस्तान का इतिहास नहीं हैं उसका एक दूसरा पहलू भी आपको समझना पड़ेगा। जिस समय यहां समाज जल रहा था ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्ता मेघे): आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री देवव्रत बिस्वास: उसी समय कोलकाता में लाखों लोग रास्ते में निकले ...(व्यवधान)... लाखों लोगों ने रास्ते में निकलकर जलूस निकाला। हिन्दुस्तान में हर जगह यह परिस्थिति नहीं थी, हिन्दुस्तान में हर जगह लोग सिखों के साथ खड़े रहकर उनकी जान-मान की रक्षा के लिए खड़े हुए थे। यह भी एक इतिहास है। यह छवि दुनिया में नहीं जानी चाहिए, इतिहास में नानावटी कमीशन के माध्यम से यही रिकॉर्ड में नहीं आना चाहिए कि यही एक पहलू है-सिर्फ आग, सिर्फ कत्ल लोगों की, मानवता की हत्या हुई है-ऐसा नहीं है। मानवता भी है। हमारे देश में सिखों के साथ खड़े होकर उनकी जान-माल की रक्षा करने करने के लिए भी लोग खड़े हुए थे। हम वह इंसान हैं, उस समय हमारे ये बाल नहीं पके थे, उस समय कोलकाता के रास्ते पर हम लोग ज्योति बाबू के नेतृत्व में लाखों को लेकर निकले थे, पश्चिमी बंगाल में किसी जगह पर ऐसी घटना नहीं घटी थी। ऐसा बहुत सी जगह हुआ था। इसलिए यह भी एक पहलु है। इसको भी हम लोगों को जरूर नजर में रखना चाहिए। इतिहास में नानावती कमीशन के माध्यम से जो काली तस्वीर रखी गयी है, जो शर्मनाक

तस्वीर रखी गयी है, केवल वही एक तस्वीर नहीं है, दूसरा भी हिस्सा है। वह दूसरा पहलू है, इसीलिए हिन्दुस्तान है और इसीलिए हिन्दुस्तान में कौम के नाम पर, जाति के नाम पर जितना भी भड़काने की कोशिश की जाए, फिर भी हिन्दुस्तान एक है और हम लोग एक साथ रहेंगे। इसके लिए आज प्रधानमंत्री जी को हम फिर से कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी, आपको इतिहास की कसौटी में खड़ा होना पड़ेगा। इतिहास के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा जिससे लोगो के सामने एक मिसाल कायम हो सके और भविष्य में ऐसी कोई घटना न घट सके। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए हम दुबारा यह कहना चाहते हैं कि यहां गृह मंत्री जी बैठे हैं, एटीआर बनाने में जो आप लोगों ने कमजोरी दिखायी है, उस कमजोरी को भूल करके जो खड़े हुए हैं, वही आपकी ताकत है, उससे आपकी ताकत घटेगी नहीं। आप ताकत लेकर खड़े होकर उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM (Tamil Tadu): Sir, whenever a Commission's Report, like this, is discussed, questions are posed about the credibility of both the Commission and its report. Public feels that such commissions are politically appointed, therefore, they make a political target, and it is for political mudslinging that such commissions are appointed. This is also proved by the behaviour of the Commission and, sometimes, by the conduct of the presiding officers. Some of the judges, after retirement, live merely on such commissions. They take, at times, one or two commissions simultaneously and handle those commissions. Sir, the former Chief Justice of India, sometime back, said, "Twenty per cent of the judicial officers in the higher judiciary are corrupt." And this speaks volums. Many out of the remaining 80 per cent are also not above board. A section of the Judiciary is self-centred, publicity-oriented, and the treatment given to members of subordinate judiciary is really pitiable. Only such people occupy these commissions. They head commissions and give such reports. Sir, the present Commission ...(*Interruptions*)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I am sorry...(*Interruptions*)... Sweeping allegations against the Judiciary should not be allowed. ...(*Interruptions*)...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: This is my view. (*Interruptions*)...

SHRI ARUN SHOURIE (Uttar Pradesh): What about the Commission set up now?. (*Interruptions*)...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, the present Commission has

also given a bouquet to those who have appointed it. I say this because of the conduct of these people who have appointed it. Sir, I name this Party, specificaly, the Bharatiya Janata Party ...(*Interruptions*)... whose past conduct ...(*Interruptions*)... Sir, how were they behving when such incidents took place? What were they doing when their own enactment, like the POTA was being misused? What were they doing when religious places were destroyed? Sir, there are a number of incidents. That is why, I say, there is a motive behind such appointments; and we have to take the Report with a pinch of salt.

But, I sympathise with the victims. Sir, we, the DMK, condemn the attack on a particular community, namely, the Sikh community. This is not the only occasion when such a community is particularly targeted and attacked. Sir, those persons, who have instigated this attack, and those culprits who are involved must be brought to book. We have no doubt about it. There are no two opinions about it. Sir, similar incidents had happened earlier. When a judgement, in a particular case, was not in favour of a leader of a political party, some students were burnt and a bus was burnt. ...(*Interruptions*)... This happened in Tamil Nadu. ...(*Interruptions*)... I only expect the BJP ...(*Interruptions*)...

SHRI THANGA TAMIL SELVAN (Tamil Nadu): Sir, this is a pending case. ...(*Interruptions*)... This is not relevant to the topic. ...(*Interruptions*)... This is a pending case. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DATTA MEGHE): Please speak on the Navavati Commission Report. ...(*Interruptions*)...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, a similar situation arose... ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DATTA MEGHE): Please speak on the Nanavati Commission. ...(*Interruptions*)...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Certain people were burnt alive. ...(*Interruptions*)... These incidents happened in Tamil Nadu and we must condemn them. ...(*Interruptions*)...

SHRI N. JOTHI: Sir, this should be expunged. ...(*Interruptions*)...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Not only that, the cases of ...(*Interruptions*)... were interfered with, and, therefore, the High Court transferred the prosecution. ...(*Interruptions*)... This is the background.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DATA MEGHE): Please speak on the Nanavati Commission Report ...(*Interruptions*)...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Therefore, I expect the BJP to condemn the attack. ...(*Interruptions*)... With these words I conclude. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI S.G. INDIRA (Tamil Nadu): Sir, this is their habit. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DATTA MEGHE): Mr. Shunmugasundaram, have you finished your speech?

SHRI N. JOTHI: He has already finished his speech. ...(*Interruptions*)... I appeal, Sir, his speech may be expunged. ...(*Interruptions*)... Except his name, other things may be expunged. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DATTA MEGHE): Okay, Shri Abu Asim Azmi. ...(*Interruptions*)...

श्री अबू आसिम आजमी (उत्तर प्रदेश): महोदय, जिस तरह से 30 जनवरी, 1948 का गांधी जी की हत्या की गई और हमारे 30 जनवरी का मनहूस दिन, हिस्ट्री में हमेशा लिखा रहेगा, इसी तरह से 31 अक्तूबर, 1984 को इस देश की महान प्रधानमंत्री जी की हत्या की गई, इसकी जितनी निंदा की जाए, कम है। परन्तु जिस तरह से इस देश के अंदर लोगों को जाति के नाम पर बांट दिया गया है, अगर उनका सिक्युरिटी वाला सरदार है, सिख है तो पूरे सिख है तो पूरे सिख समुदाय के ऊपर जिस तरह हमला हुआ, बहुत ही निंदनीय है। इस देश में अलग-अलग जाति के लोग रहते हैं। जिस तरह से तमाम लोगों ने सिखों की इम्पोर्टेन्स को बयान किया है कि इस देश के लिए उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं है, मैं इस बात से इंकार नहीं करता हूं, इस देश में सिख समुदाय की बहुत बड़ी कुर्बानी रही हैं हम उनके पूरे समुदाय का आदर करते हैं। परन्तु दिल्ली के अंदर, जो कि देश की कैपिटल है, सारे आफिसेज के हैड आफिस यहां है, यह रिपोर्ट पढ़ने से मालूम होता है कि पुलिस का बहुत ही ढीलापन रहा है। मैंने यह भी पढ़ा है कि बड़े-बड़े आईपीएस आफिसर, बड़े-बड़े लीडर और इस देश के चाहने वाले बड़े-बड़े लोगों ने कई जगह लिखा है कि अगर सरकार चाहे या पुलिस चाहे तो 24 घंटे से ज्यादा कोई भी बड़े से बड़ा फसाद नहीं चल सकता है। 24 घंटे के अंदर सारे फसाद रोके जा सकते हैं, यदि सरकार चाहे तो। यदि इसमें कोई पॉलिटिक्स न हो, कोई वोट बैंक की राजनीति न हो, किसी को सपोर्ट न करना हो, ईमानदारी से चलना हो तो 24 घंटे में किसी भी फसाद को रोका जा सकता है। मुझे अच्छी तरह से याद है जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। मैं मुम्बई से बाय रोड कार लेकर यू॰पी॰ जा रहा था। मेरे साथ तीन-चार और गाड़ियां निकली थीं। मुम्बई से लेकर यू॰पी॰ तक 1700 किलोमीटर तक देखा कि सरदार लोगों को

चुन-चुन कर मारा गया। यह भी सुना गया कि सरदार लोगों ने अपनी दाढ़िया कटवी दीं और बाल कटवा दिए कि हम किसी के पहचान में न आएं। यह बहुत निंदनीय और बहुत ही अफसोस की बात है। हां, श्रीमती इंदिरा गांधी का रिएक्शन होना चाहिए था, क्योंकि हमारा देश जागृत है कि, परंतु इसका मतलब नहीं है कि किसी भी सरदार को आप मारें। आप गुस्से का इजहार कीजिए, लेकिन उसका यह तरीका नहीं है कि जहां जो सरदार मिले उसको मारा जाएं। इसकी जितनी निंदा की जाए, कम है। यहां पर होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वायदा किया है प्राइम मिनिस्टर ने कि एक्शन टेकन रिपोर्ट पर जो भी रेकमेंडेशन है, नानावती कमीशन पर पूरा अमल किया जाएगा, लेकिन मुझे शंका है। कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। बाबरी मस्जिद की शाहदत के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था और पूरे देश व दुनिया ने सुना था कि बाबरी मस्जिद का शाहदत के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था और पूरे देश व दुनिया ने सुना था कि बाबरी मस्जिद वहीं बना दी जाएगी, लेकिन आज तक नहीं बनाई गई है। मुम्बई में 1992-93 फसाद हुए और उसके बाद श्रीकृष्ण कमीशन बैठा गया। जो भी सरकार आई है और उसने बार-बार, कांग्रेस सरकार ने तो अपने मैनिफैस्टों में दिया कि हम श्रीकृष्ण कमीशन लागू करेंगे। मगर आज तक श्रीकृष्ण कमीशन लागू नहीं किया गया। अगर कुछ पार्ट लागू किया गया तो सिर्फ इसलिए लागू किया गया कि कुछ लोगों ने कोर्ट में पैटिशन दायर की और वहां से वे आर्डर लेकर आए। उसको थोड़ा इसलिए लागू किया कि कुछ पुलिस वालों पर पार्टली कुछ एक्शन लिया गया, लेकिन आज तक उन नेताओं पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुम्बई में बैठा हुआ एक नेता खुले आम कहता है कि मैंने फसाद करवाया है, लेकिन उसको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है। वह नेता कहता है कि अगर श्रीकृष्ण कमीशन की रेकमेंडेशन पर यदि मेरे ऊपर हाथ लगाया गया, मुझे गिरफ्तार किया गया तो पूरा मुम्बई तो क्या पूरा हिन्दुस्तान जल जाएगा। मगर आज तक उस पर हाथ नहीं लगाया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)...

श्री तारिक अनवर: इसमें सच्चई नहीं है। ...(व्यवधान)... उसे गिरफतार किया गया था और वह जमानत पद है। He is on bail. ...(व्यवधान)...

श्री अबू आसिम आजमी: आप बिल्कुल मत घबराइए, इसमें सच्चाई है। ...(व्यवधान)... आपने श्री कृष्णा कमीशन में उसे गिरफ्तार नहीं किया था। आपने दूसरे केस में गिरफ्तार किया था। मैंने जब एक बयान दिया तो मेरे खिलाफ मुम्बई में प्रोपेगंडा शुरु हुआ तब मैंने दादर पुलिस स्टेशन से एक एफ०आई०आर० ले जाकर, होम मिनिस्टर में मुंह पर मार दी कि अगर तुम्हारे रेकमेंडेशंस आ गई है और उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट बन गई है, अब फिर यह कहा जा रहा है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट और रेकमेंडशंस पर फिर एक टीम बनाई जाएगी और उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगी। मुझे शक है कि सिर्फ बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है, लोगों की

आंखों में धूल तो नहीं झोंकी जा रही है। आज 21 साल तो हो चुके हैं, आपको इसके लिए कितना समय लेना है? आपको हाउस के अन्दर आकर बिल्कुल यह बताना चाहिए और कम-से-कम इस हाउस में कुछ ऐसी बात न हो, जो सिर्फ टालने वाली बात हो।

1971 में एक मदन कमीशन बैठाया गया था। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 80 परसेंट मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है, 80 परसेंट मुसलमानों का कत्ल किया गया, 80 परसेंट मुसलमानों की जायदाद जला दी गई और 80 परसेंट मुसलमान ही जेल भी भेज दिए गए। आज तक उस कमीशन की रिपोर्ट पर अमल नहीं किया गया, बल्कि रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब है? लोगों के गुस्से को कम करने के लिए कमीशन बिठा दिया जाए और टाइम पास करते-करते उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए। इसका कोई मतलब नहीं। इस देश में करोड़ों रुपया बर्बाद किया जा रहा है।

मैं एक और मालेगॉव की कमीशन के बारे में बताऊँ। मालेगॉव में रायट हुआ, तो वहां भी एक कमीशन बैठाया गया, एन०के० पाटिल कमीशन। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्ता मेघे): आजमी जी, आपका टाइम हो गया।

श्री अबू आसिम आजमी: अभी टाइम कहाँ हुआ है? वाइस-चेयरमैन सर, आप तो महाराष्ट्र से हैं, आप तो ज़रा-सा सच्चाई सुन लीजिए। मालेगांव में एन०के० पाटिल कमीशन बिठाया गया। एक साल पहले उसकी रिपोर्ट आ गई, मगर आज तक महाराष्ट्र की सरकार ने उस रिपोर्ट को कैबिनेट में पेश नहीं किया। इस पर एक्शन लेने की क्या बात है, इसे जनता के सामने लाने की क्या बात है? उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसे जनता के सामने नहीं लाया जा रहा हैं। यह क्या हो रहा है? मैं तो चाहता हूं कि लॉ के अंदर यह अमल में लाया जाए कि जो भी कमीशन बिठाया जाए? सरकार के लिए उस कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना कंपलसरी हो। किसी की मेहरबानी पर नहीं, बल्कि कानून में ऐसा प्रावधान लाया जाए कि जो भी कमीशन बिठाया जाए, उसकी रिकमेंडेशन को लागू कराया जाए। ...(व्यवधान)... बिल्कुल शुरु करें ...(व्यवधान)... यह सारी सरकारों के लिए हो, सारी सरकारों के लिए होना चाहिए ...(व्यवधान)... प्रधानमंत्री जी ने तो बड़ी अच्छी-अच्छी बातें की हैं, लेकिन मुझे ...(व्यवधान)...

श्री विजय जे० दर्डा (महाराष्ट्र): उन्होनें कहा कि आप महाराष्ट्र की धरती से हैं, तो असली बात सुन लीजिए, तो बाकी लोग क्या सुन रहे हैं?

श्री अबू आसिम आजमी: वे चेयर पर बैठे हुए हैं ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्ता मेघे): दर्डा जी, सभी सुन रहे हैं।

श्री अबू आसिम आजमी: वाइस-चेयरमैन सर, मुझे यह शक है कि जो पास्ट में हुआ है, वही फ्यूचर में उम्मीद की जाती है। इतने फसादात हुए, इतने रायट हुए, हजारों-हजार लोग मारे गए, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि इस पर इतनी बड़ी डिबेट हुई है, सारा हिन्दुस्तान देख रहा है, प्रधान मंत्री जी ने जो कहा है, पिछले प्रधान मंत्री जी की तरह से इनकी बात भी कहीं सिर्फ बहलाने वाली, टाइम पास करने वाली नहीं होनी चाहिए। इस पर तुरंत अमल होना चाहिए। 21 साल हो गए, बच्चे जवान हो गए, बूढ़े बेचारे मर गए। आज 21 साल के बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि उनकी मदद करनी चाहिए। यह हमारे लिए शर्म की बात है। यह हमारे लिए बिल्कुल शर्म की बात है। याद रखिए कि हमारे पुरखों ने इस देश को आजाद करवा कर, सड़क पर भीख मांगने वाला हो या हिन्दुस्तान की ऊंचाई पर बैठा हुआ कोई इंसान हो, दोनों को कानून में एक तरह का हक दिया है। जब तक इस देश की जमीन से जुल्म और नाइंसाफी खत्म नहीं होगी, उस वक्त तक इस देश मे नफ़रत और आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्ता मेघे): आपका टाइम हो गया।

श्री अबू आसिम आजमी: बस हो गया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)... इधर वाले भी चिल्ला रहे हैं, क्योंकि इनका टाइम भी आने वाला है। इन्हें भी आने वाली गुजरात की रिपोर्ट पर बताना पड़ेगा कि गुजरात में क्या हुआ है? क्या ये बात वे भूल गए? ये मेरे राज्य सभा के दोस्त हैं, 1984 में यह इधर बैठते थे, इनके साथ बैठते थे, ये दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में इन्होंने सब कुछ देखा है, लेकिन उसी पार्टी का जिन्दाबाद करते रहे ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्ता मेघे): आजमी जी, आपका टाइम हो गया है।

श्री अबू आसिम आजमी: वे आपके दोस्त होंगे। ...(व्यवधान)... आप ही लोग हैं, जो ऐसे लोगों को पैदा करते हैं ...(व्यवधान)... आप ही लोग हैं, जो नाइंसाफी करके इस देश में ऐसे लोगों को आतंकवाद करने का चांस देते हैं। इसलिए खत्म कीजिए ...(व्यवधान)... इसी तरह से किसी ने कहा था कि ...(व्यवधान)... मैंने कोर्ट में केस दायर किया है और मैं बताऊंगा, जिसने मेरे खिलाफ साजिश रची है ...(व्यवधान)... ज्यादा बात मत कीजिए ...(व्यवधान)... इस देश में नफरत फैलाने वाले आप लोग ही हैं ...(व्यवधान)... आप ही लोग हैं, जो इस देश में समाज को बांटते हैं ...(व्यवधान)... आप इस देश के रक्षक नहीं, बल्कि भक्षक लोग हैं ...(व्यवधान)... इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं, दरख्वास्त करना चाहता हूं।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी (मध्य प्रदेश): सर, उन का नाम * के साथ जोड़ने की जो बात कही जा रही है, उस को निकाल दिया जाए।

---

*Expunged as ordered by the Chair.

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्ता मेघे): वह निकाल देंगे। ...(व्यवधान)... निकाल देंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अबू आसिम आजमी: ये सब से बड़े आतंकवादी हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्ता मेघे): आप चैयर को कहिए।

श्री अबू आसिम आजमी: कहां-कहां से चले आते हैं, लोग मेंबर बन जाते हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्ता मेघे): निकाल दिया। अब बैठिए, आप की बात हो गयी।

श्री अबू आसिम आजमी: अगर सड़क छाप लोग आरोप करेंगे तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। चेयर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आखिर में, मैं होम मिनिस्टर से कहूंगा ...(व्यवधान)...

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी: इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्ता मेघे): निकाल दिया। आजमी जी, आप की बात हो गयी?

श्री अबू आसिम आजमी: सिर्फ आखिरी बात मैं होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि नानावती कमीशन की रिकमंडेशन को लागू करते हुए, महाराष्ट्र के श्रीकृष्णा कमीशन को भी लागू करवाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

†[شری ابوعاصم اعظمی ''اتر پردیش'' : مہودے، جس طرح سے ۳۰ جنوری ۱۹۴۸ء کو گاندھی جی کی ہتیہ کی گئی اور ہمارے لئے ۳۰ جنوری کا منحوس دن، ہسٹری میں ہمیشہ لکھا رہے گا۔ اسی طرح سے ۳۱/۱۱ اکتوبر، ۱۹۸۴ء کو اس دیش کی مہان پردھان منتری جی کی ہتیا کی گئی، اس کی جتنی نندا کی جائے، کم ہے۔ لیکن جس طرح سے اس دیش کے اندر لوگوں کو جاتی کے نام پر بانٹ دیا گیا ہے، اگر ان کا سیکورٹی والا سردار ہے، سکھ ہے تو پورے سکھ سموداے کے اوپر جس طرح حملہ ہوا، بہت ہی نندنیے ہے۔ اس دیش میں الگ الگ جاتی کے لوگ رہتے ہیں۔ جس طرح سے تمام لوگوں نے سکھوں کی امپورٹینس کو بیان کیا ہے اور اس دیش کے لئے ان کی بہت بڑی قربانی ہو رہی ہے۔ ہم ان کے پورے سموداے کا آدر کرتے ہیں۔ لیکن دہلی کے اندر، جو کہ دیش کی کیپٹل ہے، سارے آفیسرز کے ہیڈ آفس یہاں ہیں، یہ رپورٹ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پولیس کا بہت ہی ڈھیلا پن رہا ہے۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ بڑے بڑے آئی. پی. ایس. افسر، بڑے بڑے لیڈر اور اس دیش کے چاہنے والے بڑے بڑے لوگوں نے کئی جگہ لکھا ہے کہ اگر سرکار چاہے یا پولیس چاہے تو ۲۴ گھنٹے سے زیادہ کوئی بھی بڑے سے بڑا فساد نہیں چل سکتا ہے۔ ۲۴ گھنٹے کے اندر سارے فساد روکے جا سکتے ہیں اگر سرکار چاہے تو۔ اگر اس میں کوئی پالیٹکس نہ ہو، کوئی ووٹ بینک کی راجنیتی نہ ہو، کسی کو سپورٹ نہ کرنا ہو، ایمانداری سے چلنا ہو تو ۲۴ گھنٹے میں کوئی بھی فساد روکا جا سکتا ہے۔ مجھے

†[]Transiteration in Urdu Script.

اچھی طرح سے یاد ہے جس دن شریمتی اندرا گاندھی جی کی ہتیہ ہوئی تھی۔ میں ممبئی سے بائی روڈ کار لیکر یو. پی. جارہا تھا۔ میرے ساتھ تین چار اور گاڑیاں نکلی تھیں۔ ممبئی سے لیکر یو. پی تک ۱۰۰۰ کلومیٹر تک دیکھا کہ سردار لوگوں کو چن چن کر مارا گیا۔ یہ بھی سنا گیا کہ سردار لوگوں نے اپنی ڈاڑھیاں کٹوالیں اور بال کٹوادیے کہ ہم کسی کی پہچان میں نہ آئیں۔ یہ بہت نندنیے اور افسوس کی بات ہے۔ ہاں، شریمتی اندرا گاندھی کا ری ایکشن ہونا چاہیئے تھا۔ کیوں کہ ہمارا دیش جاگرت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی سردار کو آپ ماریں۔ آپ غصہ کا اظہار کیجئے لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جہاں جو سردار ملے اس کو مارا جائے اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہاں پر ہوم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر صاحب چلے گئے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وعدہ کیا ہے پرائم منسٹر نے کہ ایکشن ٹیکن رپورٹ پر جو بھی ریکمنڈیشن ہے، نانا وتی کمیشن پر پورا عمل کیا جائے گا، لیکن مجھے خدشہ ہے۔ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد پردھان منتری نے کہا تھا اور پورے دیش و دنیا نے سنا تھا کہ بابری مسجد وہیں پر بنادی جائے گی لیکن آج تک نہیں بنائی گئی ہے۔ ممبئی میں ۹۳-۱۹۹۲ میں فساد ہوئے اور اس کے بعد شری کرشنا کمیشن بیٹھا گیا۔ جو بھی سرکار آئی ہے اور اس نے بار بار کانگریس سرکار نے تو اپنے مینی فیسٹو میں دیا کہ ہم شری کرشنا کمیشن لاگو کریں گے۔ مگر آج تک شری کرشنا کمیشن لاگو نہیں کیا گیا۔ اگر اس کا کچھ پارٹ لاگو کیا گیا تو صرف اس لئے لاگو کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے کورٹ میں پٹیشن دائر کی اور وہاں سے وہ آرڈر لے کر آئے۔ اس کو تھوڑا اس لئے لاگو کیا کہ کچھ پولیس والوں پر پارٹلی کچھ ایکشن لیا گیا، لیکن آج تک ان نیتاؤں پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ ممبئی میں بیٹھا ہوا ایک نیتا کھلے عام کہتا ہے کہ میں نے فساد کروایا ہے، لیکن اس کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ نیتا کہتا ہے کہ اگر شری کرشنا کمیشن کی ریکمنڈیشن پر اگر میرے اوپر ہاتھ لگایا گیا، مجھے گرفتار کیا گیا تو پورا ممبئی تو کیا پورا ہندوستان جل جائے گا۔ مگر آج تک اس پر ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں.....مداخلت.....

شری طارق انور: اس میں سچائی نہیں ہے.....مداخلت...اسے گرفتار کیا گیا تھا اور ضمانت پر ہے۔ He is on bail .....مداخلت.....

شری ابو عاصم اعظمی: آپ بالکل مت گھبرایئے، اس میں سچائی ہے.....مداخلت.....آپ نے شری کرشنا کمیشن میں اسے گرفتار نہیں کیا تھا۔ آپ نے دوسرے کیس میں گرفتار کیا تھا۔ میں نے جب ایک بیان دیا تو میرے خلاف ممبئی میں

پروپیگنڈہ شروع ہوا تو میں دادر پولیس اسٹیشن سے ایک ایف.آئی.آر. لے جا کر ہوم منسٹر کے منھ پر ماردی کہ اگر تمہارے پاس انصاف ہے، مجھے گرفتار کرنے کی بات کرتے ہو، .....مداخلت.....ممبئی میں بم بلاسٹ میں جن کی جان گئی ہے تو اس ایف.آئی.آر. پر آپ نے کیا کاروائی کی ہے؟ تب ہوم منسٹر نے کہا کہ اچھا ہوا عاصم اعظمی جی، آپ نے مجھے یہ دکھادیا...مداخلت......

شری اُپ سبھا ادھیکش (شری دیہ میگھے) : آپ ناناوتی کمیشن پر بولئے۔

شری ابوعاصم اعظمی: تو یہ سب استیہ باتیں ہیں، آج تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی.....مداخلت......اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مائنارٹی کمیشن کی رپورٹ آگئی، ان کے ریکمنڈیشن آگئے ہیں اور اس کی ایکشن ٹیکن رپورٹ بن گئی ہے، اب پھر یہ کہا جارہا ہے کہ ایکشن ٹیکن رپورٹ اور ریکمنڈیشن پر پھر ایک ٹیم بنائی جائے گی اور اس کے اوپر کیا ایکشن لینا ہے، اس کے بارے میں انویسٹی گیشن کرے گی۔

مجھے شک ہے کہ صرف بے وقوف تو نہیں بنایا جارہا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول تو نہیں جھونکا جارہا ہے۔ آج ۱۲ سال تو ہو چکے ہیں، آپ کا اس کے لئے اور کتنا وقت لینا ہے۔ آپ کو ہاؤس کے اندر آ کر بالکل یہ بتانا چاہئے اور کم سے کم اس ہاؤس میں کچھ ایسی بات نہ ہو کہ یہ صرف ٹالنے والی بات ہو۔ ۱۹۷۱ میں ایک مدن کمیشن بٹھایا گیا تھا۔ اس کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ۸۰ فیصد مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ۸۰ فیصد مسلمانوں کا قتل کیا گیا، ۸۰ فیصد مسلمانوں کی جائیداد جلادی گئی اور ۸۰ فیصد مسلمان ہی جیل بھی بھیج دیے گئے۔ آج تک اس کمیشن کی رپورٹ پر عمل نہیں کیا گیا، بلکہ ردّی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔ میں اس ہاؤس میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کے غصّے کو کم کرنے کے لئے کمیشن بٹھادیا جائے اور ٹائم پاس کرتے کرتے اسے ردّی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔ اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اس دیش میں کروڑوں روپے برباد کیا جارہا ہے۔ میں ایک اور مالیگاؤں کمیشن کے بارے میں بتاؤں۔ مالیگاؤں میں رائٹ ہوا تو وہاں بھی ایک کمیشن بٹھایا گیا، این کے پاٹل کمیشن

.........مداخلت.......

اُپ سبھا ادھیکش : اعظمی جی، آپ کا ٹائم ہو گیا۔

شری ابوعاصم اعظمی : ابھی ٹائم کہاں ہوا ہے؟ وائس چیئرمین سر، آپ تو مہاراشٹر سے ہیں، آپ تو ذرا سا سچائی سن لیجئے۔ مالیگاؤں میں این کے پاٹل کمیشن بٹھایا گیا۔ ایک سال پہلے اس کی رپورٹ آگئی، مگر آج تک مہاراشٹر کی سرکار نے اس رپورٹ کو کیبنیٹ میں پیش نہیں کیا۔ اس پر ایکشن لینے کی کیا بات ہے، اسے جنتا کے سامنے لانے

کی کیا بات ہے؟ اس پر آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اسے جنتا کے سامنے نہیں لایا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ لاء کے اندر یہ عمل میں لایا جائے کہ جو بھی کمیشن بٹھایا جائے، سرکار کے لئے اس کمیشن کی رپورٹ کو امپلیمنٹ کرنا کمپلسری ہو۔ کسی کی مہربانی پر نہیں، بلکہ قانون میں یہ پراودھان لایا جائے کہ جو بھی کمیشن بٹھایا جائے، اس کے رکمنڈیشن کو لاگو کرایا جائے۔ ......مداخلت.....بلکل شروکریں.....مداخلت....... یہ ساری سرکاروں کے لئے ہو، ساری سرکاروں کے لئے ہونا چاہئے.....مداخلت....... پردھان منتری جی نے تو بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن مجھے.....مداخلت........

شری وجے جے درڈا : انہوں نے کہا کہ آپ مہاراشٹر کی دھرتی سے ہیں تو اصلی بات سن لیجئے، تو باقی لوگ کیا سن رہے ہیں؟

اُپ سبھا ادھیکش: درڈا جی، سبھی سن رہے ہیں۔

شری ابوعاصم اعظمی : وائس چیرمین سر، مجھے یہ شک ہے کہ جو پاسٹ میں ہوا ہے، وہی فیوچر میں امید کی جاتی ہے۔ اتنے فسادات ہوئے، اتنے رائٹ ہوئے، ہزاروں ہزار لوگ مارے گئے، لیکن کمیشن کی رپورٹ پر کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر اتنی بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے، سارا ہندستان دیکھ رہا ہے، پردھان منتری جی نے جو کہا ہے، پچھلے پردھان منتری جی کی طرح سے ان کی بات بھی کہیں صرف بہلانے والی، ٹائم پاس کرنے والی نہیں ہونی چاہئے۔ اس پر فوراً عمل ہونا چاہئے۔ ۲۱ سال ہو گئے، بچے جوان ہو گئے، بوڑھے بیچارے مر گئے، آج ۲۱ سال کے بعد ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ ان کی مدد کرنی چاہئے۔ یہ ہمارے لئے شرم کی بات ہے۔ یہ ہمارے لئے بلکل شرم کی بات ہے۔ یاد رکھئے کہ اس دیش میں ہمارے پرکھوں نے اس دیش کو آزاد کروا کر سڑک پر بھیک مانگنے والا ہو یا ہندستان کی اونچائی پر بیٹھا ہوا کوئی انسان ہو، دونوں کو قانون میں ایک طرح کا حق دیا ہے، جب تک اس دیش کی اس زمین سے ظلم اور ناانصافی ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک اس دیش میں نفرت اور آتنکواد ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ .....مداخلت.......

اُپ سبھا ادھیکش : آپ کا ٹائم ہو گیا۔

شری ابوعاصم اعظمی : بس ہو گیا، اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ.....مداخلت........ادھر والے بھی چلا رہے ہیں، کیوں کہ ان کا ٹائم بھی آنے والا ہے۔ انہیں بھی آنے والی گجرات کی رپورٹ پر بتانا پڑیگا کہ گجرات میں کیا ہوا ہے؟ کیا یہ بات وہ بھول گئے؟ یہ میرے راجیہ سبھا کے دوست ہیں، ۱۹۸۴ میں یہ ادھر بیٹھتے تھے، اس نے ساتھ

بیٹھتے تھے، یہ دہلی میں رہتے تھے، دہلی میں انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے، لیکن اسی پارٹی کا زندہ باد کرتے رہے.....مداخلت.....

اُپ سبھاادھیکش : اعظمی جی، آپ کا ٹائم ہوگیا ہے۔

شری ابوعاصم اعظمی : وہ آپ کے دوست ہونگے.....مداخلت.....آپ ہی لوگ ہیں، جو ایسے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں.....مداخلت.....آپ ہی لوگ ہیں، جو ناانصافی کر کے اس دیش میں ایسے لوگوں کو آتنک واد کرنے کا چانس دیتے ہیں۔ اس لئے ختم کیجئے۔ .....مداخلت.....اسی طرح سے کسی نے کہا تھا کہ.....مداخلت.....میں نے کورٹ میں کیس دائر کیا ہے اور میں بتاؤں گا، جس نے میرے خلاف سازش رچی ہے.....مداخلت.....زیادہ بات مت کیجئے.....مداخلت.....اس دیش میں نفرت پھیلانے والے آپ لوگ ہی ہیں.....مداخلت.....آپ ہی لوگ ہیں جو اس دیش میں سماج کو بانٹتے ہیں .....مداخلت.....آپ اس دیش کے رکشک نہیں، بلکہ بھکشک لوگ ہیں .....مداخلت..... اس لئے میں آپ کے مادھیم سے پردھان منتری جی سے کہنا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں۔

مولانا عبیداللہ خان اعظمی: سر، ان کا نام (*) کے ساتھ جوڑنے کی جو بات کہی جارہی ہے، اس کو نکال دیا جائے۔

شری اُپ سبھاادھیکش : وہ نکال دیں گے.....مداخلت.....نکال دیں گے.....مداخلت.....

شری ابوعاصم اعظمی: یہ سب سے بڑے آتنک وادی ہیں.....مداخلت.....

شری اُپ سبھاادھیکش : آپ چیئر کو کہئے۔

شری ابوعاصم اعظمی: کہاں کہاں سے چلے آتے ہیں، لوگ ممبر بن جاتے ہیں.....مداخلت.....

نکال دیا۔ آپ بیٹھیے، آپ کی بات ہوگئی۔

شری ابوعاصم اعظمی: اگر سڑک چھاپ لوگ آروپ کریں گے تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ چیئر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہئے۔ آخر میں، میں ہوم منسٹر سے کہوں گا.....مداخلت.....

مولانا عبیداللہ خان اعظمی: اسے کاروائی سے نکال دیا جائے۔

شری اُپ سبھاادھیکش : نکال دیا۔ اعظمی جی، آپ کی بات ہوگئی؟

شری ابوعاصم اعظمی: صرف آخری بات، میں ہوم منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ناناوتی کمیشن کی ریکمنڈیشن کو لاگو کرتے ہوئے، مہاراشٹر کے شری کرشنا کمیشن کو بھی لاگو کروایا جائے۔ بہت بہت دھنیواد۔ ''ختم شد''

(*) Expunged as ordered by the Chair.

SHRI R.K. ANAND (Jharkhand): Thank you, Vice-Chairman, Sir. After hearing the debate of the hon. Prime Minister, I thought that there was no need to add my any further points. But after hearing our worthy Member, Shri Alexender, I realize that I do have certain points to make.

First, I would like to comment on what Shri Rajnath Singh said in the morning. He did make a comment upon a statement made by Shri Rajiv Gandhi. I would like to remind him what Shri Vajpayee said in his speech after th Gujarat riots. He said on 12th April, 2002. आज भारत की सौ करोड़ जनता, अपनी संस्कृति के आधार पर अपने भविष्य का निर्माण करने में जुटी है। गुजरात में क्या हुआ? अगर साबरमती रेलगाड़ी के निर्दोष यात्रियों को जिंदा जलाने का षडयंत्र न रचा जाता तो गुजरात की त्रासदी को टाला जा सकता था। What does it mean?..*(Interruptions)* ... They said, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग जिंदा जला दिए गए। कौन लोग थे, सरकार पता लगा रही है, गुप्तचर विभाग सारी जानकारी एकत्र कर रहा है, लेकिन गुजरात की त्रासदी के बारे में यह कैसे हुआ, हमें भूलना नहीं चाहिए। बाद की घटनाएं निंदनीय हैं, लेकिन आग लगायी किस ने? ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र लाठ (उड़ीसा): आप क्या बोलना चाहते हैं?

SHRI R. K. ANAND: Apply this ...*(Interruptions)*... Apply your statement... I am saying, apply your statement ...*(Interruptions)*...

श्री सुरेन्द्र लाठ: आप क्यों इससे जस्टीफाई करना चाहते हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्ता मेघे): आप बैठिए, प्लीज।

SHRI R.K. ANAND: Sir, it is very easy to throw stone on somebody, but by saying what he said, Shri Vajpayee justified Gujarat riots.....

श्री कृपाल परमार: आप 1984 की बात कीजिए।

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश): 1984 में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ...(व्यवधान)... बड़े वृक्ष गिरते हैं जब धरती हिलती है।...(व्यवधान)...

SHRI R.K. ANAND: You are trying to justify ...*(Interruptions)*...

श्री कृपाल परमार: आप 84 की बात कीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DATTA MEGHE): Please, don't disturb ...*(Interruptions)*...

SHRI R.K. ANAND: Sir, I am surprised to find ...*(interruptions)*... I am surprised to find that by saying what he said, Shri Vajpayee tried to justify what happened in Gujarat ...*(interruptions)*...

श्री कृपाल परमार: क्या आप यह कहकर 1984 के दंगों को जस्टीफाई कर रहे हैं?

SHRI R.K. ANAND: I am not saying that ...*(interruptions)*... I am saying that you have thrown the stone at Shri Rajiv Gandhi ...*(interruptions)*... And what did the Commission say about him? Kindly look at what the Commission said about him. What the Commission said about him could be seen at page 181.

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्ता मेघे): बैठिए, बैठिए। Please, do not disturb.

SHRI R.K. ANAND: At page 181 of the report, it is said, "It was suggested that Shri Rajiv Gandhi had told one of his officials that the Sikhs should be taught a lesson. The Commission finds no substance in the allegation. The evidence in this behalf is very vague. It is also not believable that Shri Rajiv Gandhi would have stated so to an offical assumping that some converation took place between him and that official." It does not become clear that in respect of which subject the conversation had taken place and in which context Shir Rajiv Gandhi is stated to have said. The evidence, on the other hand, suggest that Shri Rajiv Gandhi had showed much concern about what was happening in Delhi. He had issued an appeal for remaining calm and maintaining communal harmony. In view of the complaints received by him that people were not able to contact the police, he had immediately called some police officers and told them to take immediate action so that anyone who wanted to contact the police could do so. He had even visited the affected areas on the night of 1.11.84. Mind it that the body of Mrs. Indira Gandhi was lying in the house and Shri Rajiv Gandhi, being a son, had two rounds in that area. "There is absolutely no evidence suggeting that Shri Rajiv Gandhi or any other high-ranking Congress (I) leader had suggested or organised attacks on Sikhs." This is what I am saying about the allegation which you made against Shri Rajiv Gandhi. Although Shri Alexender made some remarks that the appointment of the second commission was very much necessary. It is very strange that initially the Congress Government never wanted to appoint a commission. The stand to the Government was that they ahve taken action in a proper manner. In 1985, a petition was filed inthe Delhi High Court in which the relief claimed was that the Government should appoint an Inquiry

Commission. That petition was resisted. More than 430 FIRs were filed to show to the Court that the action has been taken by the Government. That petition was dismissed. It is only under your pressure, and it is only because of you that a sitting Judge of the Supreme Court was chosen who headed the Inquiry and gave his report. It is very strange that a sitting Judge of the Supreme Court was being replaced with the change of the Government by a retired Judge of the Supreme Court to give comment upon the same. It is very strange that when the Government changes, one more commission comes up. Do you expect that after this commission some more commission should be appointed on this? It is very strange that commissions after commissions are being appointed. What for? I can compare both the Commission Reports; I have got the comparison with me. But I do not wish to waste the of the House. I have read both the Reports very well. Kindly see that both the Commission Reports have come to the same findings. The first Commission, Justice Ranganath Commission, on page 31 and page 51, and Justice Nanavati on page 179 and page 181 clearly and categorically said about the role of Congress party and the Government headed by Shri Rajiv Gandhi and came to the conclusion that none of the functionaries, including the Prime Minister, was involved in riots. Both the Reports are identical. Now, I come to the role of the Home Minister. I would like to read four lines of page 178 regarding what Nanavati Commission has said about the Home Minister. Although the Report starts at page 175, the relevant portion is only on page 178. I quote, "On consideration of their explanations, the Commission is of the view that there was no delay or indifference at the level of the Home Minister. Though some prominent members who had met him during those days carried an impression that the Home Minister was not that much responsive and sensitive as demanded by the situation, it appears that they carried that impression because of the style of functioning of the Home Minister. He appears to have kept himself informed about the developments in Delhi and had taken appropriate decisions and given necessary instructions in time." This is what is stated in the present Report *vis-a-vis* the Home Minister is concerned. Now, see what was contained in Justice Ranganath Commission's Report. At page 12, "The Government late on Wednesday night—iti s on 31st night—alerted the Army and called out the Border Security Force and the Central Reserve Police Force as the local police failed to control the wide-spread rioting and arson in different parts of the capital following the assassination of Indira Gandhi."

4.00 P.M.

Kindly see page 25:- "Shri Rajiv Gandhi requested the Chief Ministers to return to their respective States and ensure that all possible steps for the maintenance of law and order be taken. An assessment of the situation was then made. The Lt. Governor was attending that meeting. Shri Gavai had told the Commission; ".....after I had met the Prime Minister in the meeting of MPs at his residence, I had asked for a personal interview with him. He told me: 'Gavaiji, you should have acted more swiftly in calling the Army.'—That was what he said about Rajiv Gandhi. — I did not enter into any argument with him on that score but I said: 'Sir, your mother was a great person and that her assassination was a major calamity which had befallen the nation. Her assassination was bound to cause repercussions." This is what Gavai had said.

Then, Sir, regarding alerting Army, at page 12, Alaxenderji made a statement that this new Report has many new points.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

I am saying that about deputing the Army, it is specifically contained at pages 12, 14, 41, 42 that if this Army had been called earlier, action had been taken earlier, the lives of many people could have been saved. *(Time-bell)* I would like to take two or three minutes. Sir, I would like to make an appeal to the hon. Home Minister that the judgement which has been given by a Delhi High Court in 2005 in which it has been ruled that a certain amount of compensation should be paid to each individual family. I would request the Home Minister to please examine this genuine demand in respect of all the people who had died in Delhi. That is number one.

Secondly, Sir, 21 years have passed. We are in 2005 now and the riots took place in 1984. The young boys, who were only two or four years of age at that time, some of them have reached the age of 25-30 years now. There are five to seven thousand yound boys whose fathers had been killed. They are out of job. They are in their 20s and 30s. I appeal to the hon. Prime Minister, who is sitting here, and to the Home Minister that please give them jobs. Because we don't wish that these people should take up the guns in their hands and become militants.

Thirdly, Sir, I would like to say that the DDA very recently have issued notices to many widows to whom houses were allotted. They were allotted

in the year 1987 under the directions of Shri Rajiv Gandhi. Sir, the DDA had issued notices calling upon them to pay more than Rs. 60-70 thousand per individual. I would request the Government to see to it, if it is possible, that no money is taken from widows to whom houses have been allotted.

Sir, finally, I would like to say that there are many cases where convictions have been made and appeals were filled. I would request the Home Minister to appoint a special prosecutor so that those appeals could be disposed. lastly, I would like to make the point.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have taken a lot of time. Your party needs a lot of time.

SHRI R.K. ANAND: Justice Nanavati was the Judge who decided one of the cases in which a death sentence was given and it was converted to life imprisonment, by saying that these are not one of the rare of rarest cases where a death sentence has to be given. This is the judgement given by Justice Nanavati while sitting at the Supreme Court. He said that these are not one of the rare of rarest cases where a death sentence has to be given. It is the same Judge who has given the Report of the Commission. My submission is that these five points, that I have made, may be accepted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri N. Jothi. The time allotted to your party is over. I am just permitting you as the concluding speaker.

SHRI N. JOTHI: Sir, I will respect the decision of the chair. Sir, I have read indian history. While reading indian history, I have read that General Dyer who was involved in the Jalianwala Bagh massacre, was court martialled by the British when he returned to London. I have read in Modern History that war ctiminals of the Second World War were court martialled in the Nuremburg Trial. But, people who had perpetuated, people who had planned, designed and carried out the murders of Sikhs have not been taken care of by the law so far. I don't know why. The reason is they are Congressmen. They are Congressmen. Successive Congress Governments have taken care that law does not cover them. Now, after this Report by Justice Nanavati, a day has come when something must be done.

SHRI B.S. GNANADESIKAN (Tamil Nadu): For five years, Congress Government was not there...(*Interruptions*)...

SHRI N. JOTHI :Before that, who believed in you...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down...(*Interruptions*)...

SHRI N. JOTHI: Sir, there is no heart. Sir, it is not that there was no time. there is no heart to do this. Let us see how the heart continues. The ATR says, in para 7, "The Government has accepted these recommendations and necessary follow up action will be taken to implement these recommendations". This is what is mentioned in the Government's statement on ATR. Let us see the same ATR as to whatit says later. If you turn to item no. 6, you will find that the recommendation by the Commission is to reopen those six FIRs against one Member, who is there in Lok Sabha, whose name I don't want to say, his name is Sajjan Kumar; to take action and reopen the matter. What does the ATR say? The ATR says that we accept the recommendations and follow up action will be taken. Having said so in para 7, they say in item 6, "Not necessary; it will not be just to reopen this case." This is the level of honestly of this Government. Thisis the level, Sir. Please think about yourself. You need not say anything against us. Please think yourself...(*Interruptions*)...Sir, I hope the ATR has got the clearance of the Home Minister and he might have looked into it...(*Interruptions*)...

SHRI SHIVRAJ V. TATIL: Sir, will I be given the time to explain all this?...(*Interruptions*)...

SHRI N. JOTHI: Sir, Mahatma Gandhi, the Father of the Nation...(*Interruptions*)... Sir, the Home Minister...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, don't interrupt...(*Interruptions*)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I only said, " Will I be given the time to explain all this?"...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, in item No. 6, which my hon. friend is referring to, it is stated that two FIRs are not relating to...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, please take your seat...(*Interruptions*)...

SHRI N. JOTHI: Sir, my friend is a lawyer. He was a lawyer. He is known as a lawyer...(*Interruptions*)...Sir, let him see...(*Interruptions*)...

Sir, the recommendation of the Commission is to reopen those six cases. Sir, Mahatma Gandhi has said, *"Ahinsa"*. The party says, "genocide". What a transformation, Sir! What a transformation! Mahatma Gandhi has said...(*Interruptions*)...

SHRI T. SHUNMUGASUNDARAM: What about the Dharmapuri bus burning case?...(*Interruptions*)...

SHRI S.S. CHANDRAN (Tamil Nadu): Sir, the LTTE supported...(*Interruptions*)...

DR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Shunmugasundaram, please take your seat.

SHRI N. JOTHI: Sir, any*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't say this. Remove it from record.

SHRI N. JOTHI: Sir, any pleasure without conscience is not a pleasure. This is what Mahatma Gandhi has said. Is the pleasure of the seat, which the Party has got, based on conscience? I am asking the Treasury Benches. Are you acting through conscience? You have adorned. The only thing you have not done is you have not adorned these persons who have perpetuated this crime against the Sikh community with Padma Shree, Padma Bhushan, or Padma Vibhushan...(*Time-bell rings*) Rest you have given everything. You have given them seats, made them Ministers, made them MPs, and, you have given them adorations further with Cabinet rank and all that. Still, I am told, they are still enjoying facilities of the Government other than what they should be given as a Member of Parliament. This is the level of your appreciation of their genocide. Sir, touch your heart. When you talk about Mahatma Gandhi, kindly justify your activities. Please touch your heart. Now what action is the Government prepared to take? What action do you want to take now? Please tell us that. Now, Sir, six months past after the report, they have no heart to come out. They only say, "We want to modify this." What type of modifications are you going to make? You are not even good enough to tell that. Sir, why should not we suspend this debate now and let them find a thrust area and then resume our debate so that we know their stand? We are not mere mute spectators. (*Time-bell rings*) We are a part of the democracy.

*Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jothi, please conclude now.

SHRI N. JOTHI: Sir, I only appeal to my Congress friends, please, have some patience and tolerance. Please, have some tolerance. What you have exhibited now is not good for you or the nation. You are a national party. You should act in such a manner that the nation should respect you. We have been allies to you once upon a time. With that respect, I appeal to you to please correct yourself. Please don't shield criminals. Don't rub shoulders with the criminals. Send them out. Send them out from the party. Take action against them. File cases against them. Whether you get success or not, that is a different issue. Show your heart that you are for taking action. Thank you, Sir.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, many hon. Members have made many valuable points. This debate has given an opportunity to the Government to explain as to how the Government would like to act on the recommendations which are given by the Nanavati Commission. That is why we are thankful to the hon. Members who have expressed their views on this point in this House. Why are we discussing the Nanavati Commission's Report and the Action Taken Report? I am sure that many hon. Members are sorry for what had happened in 1984, and that sorrow still continues in their memory,in their mind and in their heart. That is why, they have thought it appropriate to express their feeling on the floor of the House on this occasion. Sir, in 1984, we lost a Prime Minister. In 1984, we lost thousands of citizens who were not responsible for the assassination of the Prime Minister Mrs. Gandhi. We cannot condone the assassination of Mrs. Gandhi and definitely we cannot condone the assassination of thousands of people who lost their lives. Sir, when Jesus Christ was crucified, he said, "Oh God, forgive them. They don't know what they are doing". Sir, when Mahatma Gandhi was assassinated, he just said, "Hey Ram". He did not criticise anybody. When Mrs. Gandhi was assassinated, her son became the Prime Minister and the dead body was lying in Teen Murti. I was sitting there, with many of the close friends who were sitting there. But he was not there. So, where was he? He was going to different places to control the situation. He was talking to officers, some of the persons who were there with him, and he was going from place to place. We have heard one of the Members saying, "This is not an occasion when you can come and express your sorrow. Go out, and control the situation."

In my opinion, this is not different from what Jesus Christ had said on the Cross, and was not different from what Mahatma Gandhi had said when bullets were fired at him.

Mahatma Gandhi had taught us that we shall have to respect the principles of *ahinsa,* and this was in line with that principle. But what happened afterwards cannot also be excused. And what happened afterwards? Thousands of people lost their lives; their properties were destroyed; and that wound is still continuing. And that wound, sometimes, is seen bleeding also. That also cannot be condoned. Who did all these things? Who is responsible for all those things?

Now, here, the hon. Mover of the motion made two very strident posits. One point was that it was a Government-organised activity.

I am sorry to say that this kind of statement should not have been made. If we are depending on the Report given by Justice Nanavati, this should not have been said. Now, what has the Report said? Many hon. Memebrs have quoted from it. I think, if I read it, I would be repeating it. The Report says, "There is absolutely no evidence suggesting that Shri Rajiv Gandhi or any other high ranking Congress (I) leader had suggested or organised attacks on Sikhs."

Now, this is the Report given by Justice Nanavati. This Commission was not constituted by the Congress Party's Government. This Commission was constituted by the NDA Government. Justice Nanavati was appointed, to go into these matters, by the NDA Government, and this is the report given by him. Should we depend on his judgement and his decision or not? That is a question before us.

In the face of this, if any hon. Member gets up and says that the activity was organised by the Congress Party, I do not think, it is a correct judgement. This should have been avoided, to say the least.

What has it again said, Sir? It is very interesting. Now, who were responsible for this? Many hon. Members here made statements that the Congress Party was responsible for this. Congress Party is responsible ... (*Interruptions*)...

SHRI N. JOTHI: Sir, will you yield for a while? ... (*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. Mr. Jothi, you had your say. ... (*Interruptions*)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I am going to read the same thing which he would have read. And I am not going to hide anything. "whatever acts were done by the local Congress (I) leaders and workers, and they appear to have done so for their personal political reasons."

Again, the same Report says, "The exploitation of the situation was by the anti-social elements. The poorer sections of society, who are deprived of enjoyment, of better things in life, saw an opportunity of looting such things without the fear of being punished for the same. The criminals got an opportunity to show their might and increase their hold. The exploitation of the situation was also by the local political leaders for their political and personal gains like increasing the clout by showing their importance, popularity and hold over the masses." So, who were responsible? I am not saying that there were no local Congress leaders involved and all that. I will come to that point later. But the report is speaking about criminals' involvement also; not only the criminals, but others also. Politicians may be there; criminals may be there, there may be conspirators also, there may be people who wanted to take the political advantage of the situation-one doesnt' know. And this Commission was appointed to find out whether there were such persons. Now, a statement was made by one of the hon. Members alleging something against a political party. I am not mentioning that organisation and that political party. I am not saying that, that may be the correct thing, but there are First Information Reports and affidavits filed and they were lying with the Ranganath Commission and this Commission also, against that organisation. Because the Report has not said anything against that organisation, we are not taking that point, but the point is that where affidavits and First Information Reports filed against them, we cannot forget this thing also.

Sir, my request is that having made these points, I have no doubt, in my mind, that none of the Members in the House can be happy for what happened against an individual and certainly against thousands of people there. We cannot be happy. Members sitting on tht side, Members sitting here and Members sitting on this side cannot be happy. That's not their intention. Now, supposing a Member belonging to a party, particular stand they had to take and they have taken that stand, I am not attaching any importance to that. I would rather like to forget it and not comment on it any more.

Sir, what is important is that this should not have happened and if it has happened, what should be done? The first most important thing is justice should be done. That means if any person is found to have done that thing, he should be punished and justice should be done. That's the most important thing. And the second thing is that if the lives are lost, it is beyond human capacity to bring back the lives. We cannot do anything. We can be sorry, but it's not possible for us to bring back the lives. That is not possible and we are not going to do it. It is not possible; it can't be done. But certainly, some relief, some help and some compensation also can be given to them in a manner that surviving members of the victims are looked after properly. These are the two most important things and I am going to speak on the first thing, that is, how justice has to be done and on the second thing, how the compensation has to be given. Now, these are the two points on which I will be concentrating my response.

Now, Sir, I would like to refer to the recommendations and refer to the Action Taken Report. Sir, this Report can be divided broadly in two parts- one part relating to observations and the second part, which is the most important part, relating to the recommendations. Now, it will not be necessary for me to speak about the observations. Observations are there. Probably,they can guide the Government; they can guide the Parliament; they can guide the individuals also as to how they should conduct themselves in certain circumstances. We can take advantage of the observations in this fashion. But the recommendations are binding and the recommendations should be taken care of and we should act on the recommendations. What are the kinds of recommendations which have been made? I am sorry to say that they second statement made by the Mover is, "throw this in the dustbin". Well, this is not in the nature of the hon. Mover of the Resolution to make such a staggering statement, "throw it in the dustbin". Why should we throw it in the dustbin in Action Taken Report says that all the recommendations made by the Judge are acceptable by the Government and we are bound to act on it? You want it to be thrown into the dustbin because of this. This means either you have not read it or if you have read it, probably, you did not want to say anything good about it or probably, you have not understood it. I cannot say that you have not understood it. But probably, you wanted to play politics while commenting on it. Why do you want to throw this report into the dustbin? Why should it be thrown into the dustbin? What are the recommendations?

In the other House, I did not speak about the recommendations. There, I have just briefly spoken about all the recommendations which have been made there. If we try to understand the number of recommendations made in the report, we can come to the conclusion that there are 10 recommendations. What are those recommendations? Sir, I may be given time to explain these things because, the hon. Members have spoken about it, and probably, what they read out was rather misleading, and we do not want that wrong impression should be left in our minds with respect to the recommendations, and with respect to the action taken.

Now, the first recommendations is about Mr. Hoshiar Singh and his men. Now, the hon. Judge has said: "They did not act diligently", and the recommendation is: "The Commission recommends that the Government should initiate appropriate action against him and those policemen who were with him. And having said that, what have we said? We have said that the Government would examine this matter further in consultation with the Ministry of Law for appropriate action. Is it not accepting the recommendation? The difficulty in this recommendation is that these officers have retired nearly 10 years ago, and as per the service rules, those officers who have retired, are not subject to the departmental inquiries and department action. The rules say, if an officer has retired, you cannot reduce his pension also after four years of his retirement. These are the two constraints, and that is why, we have said that though this has happened in this case, yet we have not said that we cannot take action. We have said that we will take appropriate action on finding out from the Law Ministry and the legal experts as to how we can do it. We have said that. Will you take objection to that? Now, if you are asking us to take action against them, please do not forget that there are many other Commissions' reports going to come to this House, which will be discussed by you. and there may be recommendations about men, politicians and other people. If you lay down a rule in one case, it will be applicable to other cases also. What have we said? We have said that we will take action against the officers and men after consulting the legal experts in this country. Have we committed any wrong? Would you like to throw these recommendations into the dustbin also?

The second recommendation is about Mr. Dharam Dass Shastri. In simple terms, the recommendation is, "The Commission recommends to the Government that it should examine the relevant material and direct

investigation or further investigation, as may be found necessary with respect to the aforesaid case." It is a very, very clear recommendation. It is asking that investigation should be started, it is asking that, if necessary, re-investigate. Investigation is different from inquiry, investigation is different from departmental proceedings, and all those things. In the first case, it does not say, investigate for the negligence of the officers. The question is, whether he can be punished departmentally or he can be punished for criminal negligence. Now, one of the hon. Members got up and said, if you cannot move against him in a civil court, you can move against him in a criminal court for criminal negligence. If it can be done, we will do it. You shall have to advise us, and we will go by your advice, and we will abide by your advice as to how we can go about it. In this case, there is a specific recommendation that investigation should be done, and if necessary, re-investigation should be done. What have we said? We have said in clear terms that the Government will examine the factual position for appropriate action. We have accepted this recommendation also, we are going to act on this, and the hon. Prime Minister has left no doubt in the minds of the Members inside the House and outside also that we are going to act in these cases. Now, will you throw this recommendation also in the dustbin.

Now, the third recommendation is about Mr. Jagdish Tytler. The recommendation is like this. This is a very, very carefully written recommendation. You shall have to advise us as to how we should act on a recommendation of this nature. The recommendation says—

> "The Commission considers it safe to record a finding that there is credible evidence against Shri Jagdish Tytler to the effect that very probably he had a hand in organising attack on Sikhs. the Commission, therefore, recommends to the Government to look this aspect and take further action as may be found necessary."

There are three elements in this which cause a little doubt in our minds. The first element is "it is safe". Why is it necessary for a Judge to say whether it is safe or not? I am not finding fault with the decisions given by the Judge. I am not finding fault with the Report. The Report is acceptable to us *in toto*, 100 per cent. I am not finding fault with it. But then, probably, he had some doubt in his mind whether it would be safe or not and he said, "it is safe to record". Secondly, he said, "there is credible evidence". This is again safe to record the credible evidence. Thirdly, he says, "very

probably he had a hand". This is also a little uncertain statement. What did we do? We examined all these cases. We were not only asked to examine all these cases, but we were also asked to look into the First Information Reports; we were asked to look into the statements made by the witnesses; we were asked to look into the judgements given by the court with respect to the areas and the incidents where these things had happened relating to which some allegations were made by some individuals. We examined all these things. We found that there was no evidence. Yet, before Mr. Nanavati, one witness came and gave an affidavit.In that affidavit he stated that he had seen it. Then a second affidavit was filed and in that second affidavit it was stated that the first affidavit was not reliable and he was withdrawing it. Now this is the situation. I am not saying that he was wrong or right and all those things. Probably, the hon. Judge was right in saying "look into it". That was his perception. It is binding on us. It is not for me standing in the House, when he is not there, to say, "no, we are wrong" or "he is wrong" and all that. We are going to accept it. Here we had a little doubt and that is why we said, "If evidence is not there, what should we do?". Very rightly the hon. Prime Minister has said, and I have also fully agreed with it, that if there is a perception in the society, in the minds of the Members of this House, in the mind of the Judge also that he is involved in it, let it again be looked into properly for investigation. This is the only recommendation which we had not accepted. When this reasoning was advanced, we accepted the reasoning advanced and we have said that action shall be taken against him. Very rightly, the hon Minister resigned from the Cabinet and said, "I am doing it and I would like to wait and see what the investigation has said, what the judgement that is given. I am not unhappy about it. This is an opportunity for me to do it". Now, he has acted rightly, the Judge has acted rightly. Probably, we have some doubt in our minds and if anybody wants to say, "you have committed a mistake here", we will accept this mistake. But then we decided ultimately that we would accept this recommendation also and we would take necessary steps to see that he is there. This is the only recommendation on which there was a difference opinion expressed by the Government.

The fourth recommendation is about Mr. Mange Ram. He was also a Sub-Inspector and the same thing applies to him. He is retired from service and all those things. With respect to Mr. Mange Ram also we have said that we will examine it for proper action and we will take action. We accepted

this recommendation. The fifth recommendation is against some police officers and others. The same thing applies to the police officers also. The recommendations which are made against the police officers and others are not recommendations for prosecution. They are the recommendations for departmental inquiry, rather than prosecution. Departmental inquiries are possible if they are in service. Even if they are not in service, we can reduce their pension. Here also the recommendations, have been made against a few officers, *i.e.*, Dr. Chander Prakash, Shri O.P. Yadav, Shri Rohtash Singh, Sri Ram Phal, Shri Ved Pradash, Shri Ishwar Singh, Shri Shakti Singh, Shri Mahinder Singh, etc. All the recommendations against these officers have been accepted for proper action. Can you find fault with us if we accept the recommendations made against these officers also?

So far as Shri Sajjan Kumar is concerned, he is one of the Members of Parliament. The recommendation against Shri Sajjan Kumar is this: The Commission, therefore, recommends to the Government to examine only those cases where the witnesses have accused Shri Sajjan Kumar specifically and yet no charge sheets were filed against him and the cases were terminated as untraced and if there is a justification for the same, take further action as is permitted by law. Those cases which are closed as untraced and which still deserve to be examined are those which would arise from FIR Nos. 250/84, 307/84. They have given these FIR Nos. and cases. We took time in order to examine these cases. Now we have been asked, "Why did you take six months?" They have said that you examine the FIRs and these cases and other things and also the cases against Shri Sajjan Kumar, Shri Jagdish Tytler and others. We had to go through the record which is not with us but which is in the courts of law because they are judicial cases. We had to go through all those things. Now they have said, "We are not taking action against Shri Sajjan Kumar". I do not know whether this Action Taken Report was really read carefully by them or not. On page 11 of the Action Taken Report, we have said that Shri Sajjan Kumar has not been accused by any of the persons who filed affidavits before Justice Nanavati Commission in connection with this incident, except Shri Surender Singh. There is only one person. The Government would look into the factual position in regard to the affidavit of Shri Surender Singh for appropriate action. We have accepted to take action on the evidence given by Shri Surender Singh in some other case in which his name was mentioned. We have accepted to move against Shri

Sajjan Kumar also. If somebody says that we are not taking action against him, it is very wrong to say so. So far as Shri Shastri, Shri Jagdish Tytler, Shri Sajjan Kumar and Shri Bhagat are concerned, the Judge himself has said in the report that Shri Bhagat's mental and physical condition not good. He has not recommended anything against him. We have not said anything against that. These are the politicians against whom the recommendations have been made in the report and we have agreed to proceed against them without any doubt in our mind because the judge has said it; because the hon. Members have said it and because many of the people outside, probably, think that let this case be taken to the final conclusion to be established whether they are guilty or not. That is our case. Are we wrong in doing this? Would you like to throw these things also in the dustbin? I hope you would not do that because we have accepted it.

So far as the then Lt. Governor, Shri Gavai, is concerned, the recommendation made against him is of very peculiar kind. He was the person responsible for the maintenance of law and order in Delhi and therefore, he cannot escape the responsibility for his failure. It is a very specific observation. It is not a recommendation, it is an observation. He was the Lt. Governor and this kind of an observation has been made against him. There is no recommendation for any action against him, but because he was the Lt. Governor, at that time, this observation has been made. And, what we said is, "There is not recommendation for action, action of any kind, against him. So, we have said that the Government had taken immediate administrative action. Shri Gavai was replaced by Shri M.N.K. Wali as Lt. Governor of Delhi on 4th November, 1984. That is what we had said. That means that we have not differed from the recommendations made by the Judge; we have accepted them. Now, so much of controversies have arisen about these thing. Many people also asked: "Why did you remove him?" If it was found that the Lt. Governor was not rising up to the occasion by the leaders who had the responsibility to maintain law and order at that time, and, in their judgement, they thought that an alternative arrangement could help better, and if they thought they took the judgement, we cannot sit in judgement on what they did at that time. And, probably, they did it correctly, and we will accept fully what they did at that time. And, Some unnecessary controversies could have been avoided. But then, the controversy was faced. Now the controversy was that we were asking for help from the Government for military assistance, for Army assistance.

Everybody knows that to obtain the help of the Army of the military, to cope up with that particular kind of a situation, authority is given even to the Collectors, the District Collectors. They do not have to go to the Ministers or the Prime Minister asking for any assistance, and it was, certainly, available with the Lt. Governor. He could have called for it. But it was not done. I am not going to find fault with him because he is not here and we should not sit in judgement. I am just trying to explain the position, and nothing more than that. It was not necessary to mention so many things about so many persons, and I do think it was possible for a Collector to get the assistance, and it could have been given. The situation has to be considered by us. The situation was very, very peculiar, and it was controlled immediately. The body was there; the people were there, and then, we had to take into account the situation prevailing everywhere in the country. We should not sit in judgement without getting all facts before us. But I do think that if this controversy had been avoided, it would have been better. Now, here also, we have accepted the recommendations. Shri S.C. Tandon was the Police Commissioner, and we have accepted that the Government would examine this matter further in consultation with the Minister of Law for appropriate action. Whatever has been suggested against him also, because of these things we have accepted this recommendation as well.

Now, as far as police reforms are concerned, this is a comprehensive recommendation. It does not go against an individual as such, or it does not relate to only one incident as such. But here is a recommendation given by the learned, erudite judge, about the working of the police not only in Delhi but everywhere. And, we have said that whatever you have explained, we are going to accept that kind of recommendation. And, what is the recommendation? Now, here, the hon. Member, Shri Alexander spoke about it in greater details. I would like to say that the recommendation made by Justice Nanavati on this point is acceptable to the Government. We have not only accepted this recommendation, but we have started acting on this recommendation even before this Report came. Now, we are having the Rapid Deployment Force; we are going to provide speedy means of communication and transport. We are going to give them the speedy means of contacting with each other, and things like that. The training also will be different. Then, the number of persons who will be working also will be different. We are likely to create a situation in which it becomes easier for them to cooperate and coordinate with each other,

with the Police Forces coming from different States, and to cope up with the situation. But, Sir, this is something which is really very important and this recommendation, I think, is very important, and we shall have to take this recommendation very carefully and act on that. We have already started acting on it and we will further go into it.

As far as the matter of appointing Commissions is concerned, it was raised by the hon. Members here. We have Commissions appointed, and they have given their Reports. On some of the recommendations made by commissions, we have acted; some recommendations remain unimplemented. Now, the hon. Prime Minister, in one of the meetings which was organised a few months back to discuss these issues with the DGs and Home Secretaries from different States, said, "Why don't you look into those recommendations and cull out these recommendations and act on them?" That was a very, very wise suggestion. We have accepted it. We have appointed a committee. That committee has culled out the recommendation and we are acting on those recommendations also. But there are certain recommendations, which relate to amendment of laws. There are certain recommendations, which may not be easily acceptable to all of us in Parliament and the Government also. And there are recommendations which have to be implemented by the Government of India and by the State Governments also. We have accepted the recommendations. Over and above this, Sir, if it is necessary again to go into the requirements of the police forces in our country in view of the fact that new technologies are developing, in view of the fact that new methods of training are being adopted, in view of the fact that new demands are being made on the police forces, in view of that fact that the job of police is becoming more and more crucial because of what is happening inside the country and outside the country in the face of terrorism that has become visible everywhere, we would do it. But I would not promise anything. We are following this route and we would like to go along that route.

Sir, we have accepted the 10th recommendation. The 10th recommendation , in my opinion, is the most important recommendation made by the hon. judge. That is a very humane recommendation. That is a very practical recommendation. This is a recommendation which can really help the victims and their families. This is most important recommendation. This is the recommendation with respect to the compensation and the help which has to be given to the victims and

members of the families of victims. And I am happy that many hon. Members spoke about this issue extensively. But I am sorry only to say that the hon. Members who spoke about it did not read the Action Taken Report which I am going to read out to you for your information so that when an occasion arises to speak about it at a later date, you know it. The Government has accepted the recommendation. We have accepted this recommendation *in toto.* "In so far as the NCT of Delhi is concerned, the following financial assistance and compensations have already been given to the widows and families of the riot victims. Rs.72,69,27,000 have been paid as 'Death Compensation' in 227 cases. Rs.54,62,000 have been paid as compensation for injuries in 2603 cases. Rs.5,08,68,000 have been paid as compensation for damage to residential property. Rs.4,77,42,000 have been paid as compensation for un-insured commercial premises or assets including industrial property and machinery in 3415 cases. Rs.20,60,000 have been paid as 'Marriage Assistance' for daughters and widows in 14 cases. Two thousand twenty MCD slum flats, 58 teashops and kiosks and 717 house sites have been allotted to the families of the riot victims. Six hundred and eighty four widows and wards have been provided employment by the Government of Delhi and monthly pension of one thousand rupees has been granted to old-aged persons and widows affected by the riots, even if they have employed children or earning adult members". This has been done in Delhi. Now, what has been done in Delhi is not exactly what has been done in the other States. Fortunately, for Punjab, I think there were no incidents and, yet, some help was given. Now, when we are discussing the devilish aspect of human nature, the saintly aspect should also have been considered by us. One or two Members did get up here and said that there were many Sikhs who had been saved by the Hindus; and there were many others who were also saved by the Hindus. I know that there are some police officers, who at the cost of their lives, staking their own lives, controlled the situation so much so that those things were recognised and they were rewarded also. Now, what generally happens in our lives is, all the good we do is frittered away with our bones and all the mistakes we commit sometimes remain. Now, in our society also, fortunately, for us, the majority of the people are peace-loving; the majority of people want unity; majority of people do not want division between the Hindus and the Sikhs and the Muslims and the Christians. There are some people who do not subscribe to this philosophy; who want to fish in the troubled water and want to take advantage of it. Sir,

having said this, I would like to say that the hon. Prime Minister told me, "Look, it is beyond us to bring back the lives of the people who have lost their lives. But, it is certainly possible for us to give them all the help which we can. Please do look into these matters and help them properly". Now, the Home Ministry and the Home Minister has got this instruction at the initial stage itself, and we are going to implement this instruction of the Head of the Government of India in word and spirit, *in toto.* I promise you and I assure you about it. This is an assurance and promise given to you. This is what we have done in Delhi. If there are some people to whom compensation is not given, and if it is brought to our notice, we will, certainly, see that the compensation is given to them. I am not saying that those who deserved compensation have received it. If there are any others, we will, certainly, do it. And, anything which you think in your judgment, we should do in order to help them, please let us know. We will carefully...*(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Wait, wait; let him complete. (*Interruptions*) Mr. Tarlochan Singh, let the Home Minister complete it. Please sit down. (*Interruptions*)

SHRI TARLOCHAN SINGH (Haryana): Sir, I have got a very important point. (*Interruptions*) Sir, the Home Minister has agreed. (*Interruptions*) Sir, those who were killed in Railways, the Commission says, "The Railway authorities refused to send any names." So, the Commissions has asked the Government that many people were killed during their railway safar, they should be included in this.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: We will look into this. I assure you that we will look into it.

SHRI S.S. AHLUWALIA: What about the soldiers?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Well, you are raising a very important point, and I cannot say 'no' to it. The Defence Ministry will, certainly, look into it. But, if there is something at the back of your mind in raising these points, we will entreat you, we will request you not to disturb the society.

Sir, I have said that this is what we have done. I also agree that this is not sufficient. If anything more has to be done, we will not grudge in doing that. I know that in States, the kind of compensation which is given in Delhi is not being given. Now, we are definitely going to talk to them and

see as to what they can do to pay compensation on a par with the compensation which is given in Delhi. If, for any reason, it is difficult for them, we will go to their succour and we would like to see that the compensation which has to be given on a par will be given. Now, this is a judgment given by a Supreme Court judge who has looked into the totality of the incidents over here. This is the judgment given by the judiciary, the High Courts and the Supreme Court in some other cases also. This is an assurance I am giving on the floor of the House. Again, I repeat, money cannot compensate the loss they have suffered. It cannot. It cannot really give them the real relief, and yet, this is the minimum we can do. In doing this, we will commit no mistake. We will err on the side of helping them rather than saying that if we help, some money will go and all those things. I assure you on the floor of the House that we will do this. Having said this thing, Sir, again, I cannot do better than what the hon. Prime Minister has done. Our heart is full of agony. You cannot understand it. All of us cannot understand each other's agony. My heart is boubly troubled as I lost my mother-like leader; and I lost so many brothes and sisters. This is not two times; this is a hundred times more than the agony one suffers if a member of a family is lost. You cannot just imagine it. We are not in a position to do anything better than what has been promised. If there is any person responsible for this, and if any action can be taken against him as per the law, it shall be the duty of the Government to take action against him as well. If anything has to be done to give compensation, though it is not going to really compensate the loss one has suffered, we will not grudge it and we will not take any objection in completing it. This is humanly possible for us.

Believe me, we have belief in the philosophy propounded by Mahatma Gandhi; we believe in the philosophy of unity and not division. We believe in the divinity of the human being and we believe in the goodness of all and we will not commit any mistake in keeping these things in our minds to come to the succour and help of those who could be helped in this matter.

Sir, I appreciate the intention with which this is raised. It gave us an opportunity to explain also. The only thing I have to pray at the end is, "You and I belong to this earth and we have to come back to this earth. Let us not leave back an idea or philosophy which will divide us, which will divide one brother from the other, which will create divisive tendencies in the conuntry." Thank you.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, I would like to have one clarification, महोदय, मंत्री जी सिर्फ गृह मंत्री ही नहीं हैं, एक विद्वान अधिवक्ता भी हैं।

श्री उपसभापति: नहीं, आप क्या स्पीच करने लगे?

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सर, सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है। मंत्री जी ने सारी दलीलें दी। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था कि रंगनाथ जी मिश्र की रिपोर्ट के पेज 33, 34, 35 में जो अंकित है, वह सिर्फ उनका अपना बयान, अपना ओब्जरवेशन नहीं है, बल्कि पुलिस कमिश्नर का ओब्जरवेशन, द देन पुलिस कमिश्नर का ओब्जरवेशन और द देन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ओब्जरवेशन है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब पुलिस ने कोई रिपोर्ट फाइल ही नहीं की और आप साक्ष्य मांग रहे हैं, तो एफ॰आई॰आर॰ कहां से आएंगी? क्या आप जनता को एक मौका देंगे, पीड़ित परिवार को एक मौका देंगे कि वे एफिडेविट फाइल करें? और, उस एफिडेविट को क्या आप एफ॰आई॰आर॰ में कन्वर्ट करके ट्राइ करेंगे? आप यह मौका देंगे? क्योंकि यह रिपोर्ट कहती है। ...(व्यवधान)

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, यह जो बात उठा रहे हैं, मैं तो नानावती की रिपोर्ट पढ़कर आया हूं, रंगनाथ मिश्र जी की रिपोर्ट में क्या लिखा है वह मैंने देखा नहीं है।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सर, नानावती रिपोर्ट में भी लिखा है। नानावती रिपोर्ट में कहा गया है कि हम और बाकी चीजें रंगनाथ मिश्र कमेटी ने जो लिखी हैं, उनसे सहमत हैं। यह लिखा है। पढ़िए..... (व्यवधान)

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं। बैठिए।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, इसका मैं सिर्फ जवाब देकर बैठ जाता हूं। आपने जो मुद्दा उठाया है, उसको मैं गलत नहीं मानता हूं। यदि किसी के मन में यह शंका है, तो उसे कैसे डील करना चाहिए, देखना चाहिए, मगर आप रंगनाथ मिश्र जी की रिपोर्ट का हवाला देकर बोल रहे हैं, उसको पूरी तरह से देखे बगैर मेरा बोलना मुश्किल होगा। मगर, मैंने कह दिया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया है कि जहां पर पुराने मिल सकते हैं और जहां पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है एज पर द ला, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए।

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, allow me for a minute. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. If I allow you, then I have to oblige a number of people who would ask.

श्री राजनाथ सिंह: उपसभापति महोदय, इस सदन में मेरे द्वारा मूव किए गए मोशन पर जहां कई सम्मानित सदस्यों ने बहुत ही बहुमुल्य विचार व्यक्त किए हैं, वहीं पर सम्मानित प्रधानमंत्री,

5.00 P.M.

सम्मानित गृह मंत्री जी ने भी अपने विचार ही व्यक्त नहीं किए हैं, बल्कि उनके द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं, नानावती कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर, उनकी भी यहां पर चर्चा की है। मैं समझता हूं कि 1984 में यह हादसा इस देश में हुआ था और 1984 के बाद दो, तीन या चार वर्ष के अंदर ही यदि ये सारे कदम उठा लिए गए होते, तो शायद आप जो चर्चा संसद के दोनों सदनों में हो रही है, उस चर्चा की आवश्यकता न रहती और सड़कों पर भी जो शोर-शराबा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर जिस प्रकार विधवाएं रो रही हैं, बच्चे सिसक रहे हैं, शायद यह सब हमको देखने को न मिलता। लेकिन जो कुछ भी कदम उठाने का आश्वासन प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। देर से ही सही, लेकिन कुछ न कुछ तो आश्वासन दिया है। हम यह मानकर चलते हैं कि इस दिशा में जल्दी से जल्दी, एक समय-सीमा के अंदर, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।

हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि उनके दिल में दो प्रकार की वेदनाएं हैं-एक तो मां तुल्य श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या का होना और साथ ही साथ सिख समुदाय के निर्दोष लोगों की हत्याओं का होना। यह स्वाभाविक है। वेदना केवल आपके दिल में ही नहीं है, वेदना मैं समझता हूं कि जो भी सच्चा भारतवासी होगा, उस भारतवासी के दिल में इस प्रकार की वेदना होगी, इसमें कोई दो मत नहीं हैं। वह वेदना हम लोगों में भी है।

श्री शाहिद सिद्दिकी (उत्तर प्रदेश): हर समुदाय की है।

†[श्री شاہد صدیقی: ہر سمودائے کی ہے۔]

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या पर कोई व्यक्ति जश्न नहीं मना सकता, यदि कोई व्यक्ति जश्न मनाने की सोचता हो अथवा वेदना की गंभीरता जिस सीमा तक उसके कलेजे में होनी चाहिए, वह नहीं होगी, तो मैं समझता हूं कि वह सच्चा भारतीय नहीं है। लेकिन, मैं इतना ही कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी, हत्यारों को तो फांसी मिल गई, कम से कम किसी न किसी सीमा तक सुकून मिला है हमारे कलेजे को, आप सबके कलेजे को। जिसको हमने खो दिया है, उसको फिर से हम वापिस नहीं ला सकते हैं। लेकिन, जो हजारों की संख्या में निर्दोष सिखों की हत्या हुई है, जो नरसंहार हुआ है, उन हत्यारों को भी, चाहे वे हत्यारे 25 हों, 50 हों, 20 हों, चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों न बैठे हुए हों, उनको फांसी की सजा मिल जाएगी तो मैं समझता हूं कि हर सच्चे हिन्दुस्तानी के दिल को भी सुकून मिलेगा। यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।

†[ ] Transliteration in Urdu Script.

गृह मंत्री जी, आपने कहा कि इस मोशन के मूवर ने यह कहा कि यह गवर्नमेंट स्पौंसर्ड नरसंहार था। क्या कहें गृह मंत्री जी। जब एस॰एच॰ओ॰, स्टेशन आफिसर लीड कर रहा हो किसी मॉब को, ए॰सी॰पी॰ लीड कर रहा हो किसी मॉब को, गुरुद्वारे पर हमला बोल रहा हो, लाश जलाई जा रही हो सरेआम सड़क पर, पुलिस की गाड़ियां गुजर रही हों, आफिसर्स उसकी तरफ नज़र उठाकर देखने की कोशिश न करते हों, तो मैं क्यों न कहूं कि यह गवर्नमेंट स्पौंसर्ड एनॉरकी पैदा हुई थी दिल्ली के अंदर। मैं भी एक प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सी॰एम॰ रह चुका हूं, मैं जानता हूं इस बात को कि यदि मुख्य मंत्री सोच लें तो चाहे कितना भी बड़े से बड़ा दंगा क्यों न हो, चार घंटे में, छः घंटे में, आठ घंटे में उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: गुजरात में क्या हुआ। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: सोज साहब, बैठिए। ...(व्यवधान)... बैठिए, बैठिए। ...(व्यवधान)... आप लोग बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री अबू आसिम आजमी: गुजरात में आपने ...(व्यवधान)...

شری ابوعاصم اعظمی: گجرات میں آپ نے.....مداخلت.....

श्री उपसभापति: बैठिए, बैठिए। आप लोग बैठिए। ...(व्यवधान)... राजनाथ सिंह जी को बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री अबू आसिम आजमी: गुजरात में क्या हुआ था? ...(व्यवधान)...

شری ابوعاصم اعظمی: گجرات میں کیا ہوا تھا؟ .....مداخلت.....

श्री उपसभापति: आप बैठिए। Nothing will go on record. ...(व्यवधान)...

श्री अबू आसिम आजमी: *

شری ابوعاصم اعظمی: ⊛

श्री रूद्रनारायण पाणि: *

श्री उपसभापति: पाणि साहब, आप बैठिए। बैठिए, बैठिए। बोलिए राजनाथ सिंह जी।

श्री राजनाथ सिंह: उपसभापति जी, गुजरात के संबंध में जब नानावती की रिपोर्ट आएगी, उस पर हम चर्चा करेंगे और चिंता मत करिएगा, रिपोर्ट आने के बाद आपकी तरह हम शोर-शराबा नहीं करेंगे। ...(व्यवधान)..

-†[ ] Transliteration in Urdu Script.
*Not recorded.

श्री राजू परमारः पूरी दुनिया ने देखा। ...(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सिंहः माननीय गृह मंत्री जी जिस समय नानावटी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे अपराधी थे, जिन्होंने किसी भीड़ में प्रवेश पा लिया था और उनके द्वारा भी इस प्रकार के हंगामे किए गए। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि केवल दिल्ली ही नहीं, हिन्दुस्तान के ऐसे कई राज्य हैं, जहां पर ऐसे अपराधियों को बड़े से बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। यदि ऐसे अपराधियों को नेताओं का संरक्षण प्राप्त न हो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि नेता कहीं पर मौजूद हो और अपराधी ऐसे नेता के पास पहुंचने की हिम्मत कर सके, साहस कर सके। वहां पर सांसद थे, आपके बड़े नेता मौजूद थे ...(व्यवधान)... पुलिस ऑफिसर्स थे ...(व्यवधान)... फिर भी ...(व्यवधान)...

श्री शाहिद सिद्दिकीः आपका दोहरा पैमाना है ...(व्यवधान)...

†[شری شاہد صدیقی: آپ کا دوہرا پیمانہ ہے......مداخلت......]

श्री उपसभापतिः आप बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए ...(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सिंहः प्रधानमंत्री जी ने, इस मोशन के मूवर ने कहा कि इस ए॰टी॰आर॰ को उठा कर डस्टबिन में फैंक दीजिए।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालियाः गृहमंत्री जी ने कहा था।

श्री राजनाथ सिंहः जी हां, मैंने भी सम्माननीय गृह मंत्री जी ही कहा। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि कभी-कभी जब मनुष्य की भावनाएं आहत होती हैं, तो निश्चत रूप से कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी हो सकता है जिससे कि लोगों को लगे कि कुछ अतिश्योक्ति हो गई, लेकिन मैंने ऐसा क्या कहा? मैं इस ए॰टी॰आर॰ से संतुष्ट नहीं था, इसीलिए मैंने यह बात कही। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मैं इस ए॰टी॰आर॰ को पढ़ रहा था, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ा है, आपने जो दसवें नम्बर पर आरोप में यह बात कही है कि समस्त प्रभावित लोगों को एक समान पर्याप्त मुआवज़ा दिया जाए, आपने इसे मान लिया है। यह तो मैं मान कर चल रहा था कि यह तो मिलना ही मिलना है, फिर चाहे कोई भी सरकार बने, कोई भी कमीशन बने। यह तो इंसाफ का तकाज़ा है और मिलना ही मिलना है तो फिर वे डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते थे, यह तो देना ही देना है, यह कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई है, लेकिन आपने मान लिया है कि यह हुई है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री शाहिद सिद्दिकीः *

---

†[ ] Transliteration in Urdu Script.

†[شری شاہد صدیقی: ⊙]

श्री मुख्तार अब्बास नकवी (उत्तर प्रदेश): *

†[مولانا عبیداللہ خان اعظمی: ⊙]

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing will go on record. (*Interruptions*) शाहिद सिद्दिकी साहब आप बैठ जाइए, देखिए, यह सही नहीं है।

श्री राजनाथ सिंह: गुजरात का जो ऊपर चढ़ा हुआ है, उसे क्या बोलते हैं ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: देखिए आज़मी साहब आप बैठिए।

†[شری شاہد صدیقی: ⊙]

श्री शाहिद सिद्दिकी: *

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: *

†[مولانا عبیداللہ خان اعظمی: ⊙]

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing will go on record. (*Interruptions*) मौलाना जी आप बैठ जाइए।

श्री राजनाथ सिंह: उपसभापति महोदय, ए॰टी॰आर॰ की रिकमेन्डेशन्स के आधार पर तो आपने यह कह दिया कि सबको समान रूप से मुआवज़ा दिया जाएगा, लेकिन मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यह केवल दिल्ली की सीमा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, हिन्दुस्तान के जिस भी स्थान में इस प्रकार के हादसे हुए हैं, सभी को समान रूप से मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, हमारी सरकार ने यह तय किया है कि जो पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए हम दो कमेटियां बनाएंगे और उन्हें बना कर किन-किन लोगों को मुआवज़ा देना रह गया है, इसे भी तय करेंगे। और किस स्टेट में कम मुआवजा दिया गया है, जैसा कि समान रूप से देना चाहिए, उसका भी तय करेंगे और इस हादसे में फंसे हुए कितने लोगों के बच्चों को, बेटियों को मदद करना चाहिए, उसका भी तय करेंगे, इसके लिए दूसरी कमेटी करेंगे और जल्दी से जल्दी एक-दो महीने के अंदर हम काम करेंगे।

श्री शाहिद सिद्दिकी: सर, कुछ जगह मुआवजा कम क्यों मिलता है ..(व्यवधान)..

---

*Not recorded.

†[ ] Transliteration in Urdu Script.

†شری شاہد صدیقی: سر، کچھ جگہ معاوضہ کم کیوں ملتا ہے.....مداخلت.....

श्री उपसभापति: इसका इससे सम्बन्ध नहीं है। Nothing will go on record ...(*Interruptions*)...

श्री राजनाथ सिंह: गृह मंत्री जी, मेरे जजबात को भी आप समझने की कोशिश करें। जब मैं कमीशन की रिपोर्ट पढ़ रहा था, मेरे सामने यह बात आई–

"3,083 affidavits were submitted to the Commission to show that some Sikhs had distributed sweets on coming to know about the assassination of Smt. Indira Gandhi and some Sikhs had committed some other acts which had provoked the attacks on Sikhs and that Congress leaders, Shri HKL Bhagat, Shri Jagdish Tytler, Shri Sajjan Kumar, Shri Dharam Dass Shastry and the Congress Party workers were not responsible for those acts. On the other hand, 669 affidavits were filed before that Commission to decribe how the Sikhs were attacked in an organised manner."

यानी जितने एफिडेविट फाइल किए गए उनमें से 25, 30, 40 एफिडेव्टि को छोड़कर शेष सारे एफिडेविट इसलिए फाइल किए गए थे कि कहीं पर भी इन सब सारे नेताओं का उसमें नाम नहीं है। मैं एन्टी०आर० को डस्टबिन में फैंकने की बात कभी नहीं कहता, ऐसी मैं गुस्ताखी अपने जीवन में नहीं कर सकता, क्योंकि मैं राजनीतिक जीवन में भी मर्यादाओं को तोड़ने का आदि नहीं हूं। लेकिन जब मैंने देखा कि जगदीश टाइटलर आज भी मंत्री बने हुए हैं....(व्यवधान) मतलब आज वे हट गए। लेकिन सज्जन कुमार आज भी आपके सांसद हैं और दिल्ली सरकार के एक कमीशन के चेयरमैन बने हुए हैं...(व्यवधान)

कुछ सम्मानित सदस्य: उनको भी हटा दिया है। ...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह: यदि ये सारी बातें यहां पर आ गई होतीं, तब तो मैं पोइंटवाइज यहां पर चर्चा करता।

श्री उपसभापति: राजनाथ जी, अब आप कंक्लूड कीजिए।

श्री राजनाथ सिंह: मैं एक और निवेदन कर दूं आपसे। अब आप देखिए हमारे जजबात का कारण। एन्टी०आर० में पोइंट-6 है। यह मामला 4/2 सुलतानपुरी निवासी श्री वकील सिंह की पत्नी श्रीमती अनेक कौर द्वारा 9-9-85 को दायर एक शपथ पत्र के आधार पर दर्ज किया गया था, तथापि 31-7-1994 के अपने बयान में उन्होंने श्री सज्जन कुमार के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को

†[ ] Transliteration in Urdu Script.

अस्वीकार कर दिया। कैसे अस्वीकार कर दिया? या तो कोई दबाव था या फिर कोई प्रलोभन था। अब जो अपने पूरे परिवार को लुटा चुका है, उसके दिल में कैसी दहशत होगी, कैसा भय होगा, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। इन सारी चीजों को देखने और समझने के बाद सचमुच मैं यह कहने पर मजबूर हुआ कि हमको ऐसी ए०टी०आर० को किनारे कर देना चाहिए।

यहां पर एक बात और कही गई, हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी कहा, जो कुछ फौजियों को जलाए जाने की बात है और कुछ अन्य बिन्दुओं का जो मैंने यहां पर उल्लेख किया था, उस पर टिप्पणी करते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी कहा था और गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि घाव को कुरेदने की जरूरत नहीं है, अब उस पर मरहम लगाने की जरूरत है। मैं भी इसे स्वीकार करता हूं कि घाव को कुरेदने की जरूरत नहीं है, उस पर मरहम लगाने की जरूरत है। लेकिन जो घटनाएं होती हैं, जब कभी चर्चा होती है, बहस होती है, यह स्वाभाविक है, उन सारी घटनाओं की चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए जिन फौजियों की हत्या हुई थी, उन फौजियों की चर्चा मैंने यहां पर की है। मैं तो आपसे यही मांग करता हूं। जाति और मजहब की बात कही गई, तो कुछ सम्मानित सदस्यों ने खड़े होकर सीधे आरोप लगाया। जहां तक मुझे याद है एक सदस्य ने सीधे हम लोगों की ओर उंगली उठाते हुए कहा कि आप लोग तो जाति, धर्म और मजहब की राजनीति करने वाले लोग हो। श्रीमन, इसके बारे में तो मैं ...(व्यवधान)... श्रीमान, इसके बारे में तो मैं नहीं कहूंगा कि जाति, धर्म और मजहब की राजनीति करने वाले कौन है। इस सच्चाई को कभी नकारा नहीं जा सकता है। ...(व्यवधान)... मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्शन कांस्टीट्युअंसी की यदि किसी ने बात को स्वीकार किया था, सबसे पहले, तो कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ में होने वाले अधिवेशन में स्वीकार किया था और भारत का विभाजन मजहब के आधार पर स्वीकार किया है, तो कांग्रेस ने स्वीकार किया ...(व्यवधान)... कौन साम्प्रदायिक है, इसका फैसला तो आप नहीं कर सकते हैं। ...(व्यवधान)... जहां तक हम लोगों का प्रश्न है, जाति और मजहब की राजनीति हम नहीं करते। हम लोग तो इन्साफ और इन्सानियत की राजनीति करते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: उनको कन्क्लूड करने दीजिए। ..(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सिंह: उपसभापति महोदय, जाति और मजहब के आधार पर लोग कैसे सोचते हैं। ...(व्यवधान).. अभी कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि हमें गर्व है इस बात का कि हमने सिख को प्रधान मंत्री बनाया। हमने थल सेना अध्यक्ष सिख को बनाया है। ...(व्यवधान)...

श्री शाहिद सिद्दिकी: नहीं नहीं। ऐसा नहीं है। यह बात सही नहीं है। ...(व्यवधान)...

شری شاہد صدیقی: نہیں نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے.....مداخلت.....

†[]Transiteration in Urdu Script.

श्री राजनाथ सिंह: आप पहले सुन लीजिए। ...(व्यवधान)... कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन ने कहा है ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: श्री राजनाथ सिंह जी, आप कन्क्लूड कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सिंह: उपसभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, he has pointed towards me. He has specifically referred to me. (*Interruptions*) He has specifically referred to me and I have a right to respond. Please allow me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: After he concludes, I will allow you. (*Interruptions*)

SHRI ANAND SHARMA: No, Sir. Right now. (*Interruptions*)

श्री उपसभापति: क्योंकि आपने रेज किया है और वह पार्टी के स्पोक्समैन हैं, इसलिए ...(व्यवधान)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, it was in the context of mischievous communal and politically motivated charge which was made by the party to which Shri Rajnath Singh belongs. And the charge, officially made, at their Press briefing was that the Congress, as a political party, is ante Sikh community. And, in that context, I had said that India should feel proud that in Dr. Manmohan Singh we have a Prime Minister of integrity and impeccable credentials. He is thereon merit. I had gone further to say that, for the first time, India was pround that we had a Sikh as the Chief of the Army, in General J.J. Singh, and a Sikh as the Deputy Chairman of the Planning Commission, in Shri Montek Singh Ahluwalia. What is wrong in that? (*Interruptions*) What wrong in that? (*Interruptions*). On the one hand, you...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, okay. (*Interruptions*) You have replied. (*Interruptions*)

श्री राजनाथ सिंह: क्या जरूरत थी इस बात को कहने की कि डा॰ मनमोहन सिंह जी एक सिख होने के कारण प्रधान मंत्री बने हैं। ...(व्यवधान)... वे अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर प्रधान मंत्री बने हैं। ...(व्यवधान)... क्या थल सेनाध्यक्ष एक सिख होने के कारण थल सेनाध्यक्ष बने हैं? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः श्री राजनाथ सिंह जी, आपने उनका नाम लिया था, वे स्पोक्समैन हैं। ...(व्यवधान)... आपने उनको मेंशन किया। ...(व्यवधान)... He has a right to ...(*Interruptions*) Let's listen...(*Interruption*) Mr. Anand Sharma, please...(*Interruptions*) आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... श्री रवि शंकर प्रसाद जी, आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सिंहः उपसभापति महोदय, मैं केवल इसलिए उल्लेख कर रहा था कि इसका उल्लेख किसी के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए कि डा० मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं, सिख हैं, इसलिए हमको गर्व है। ...(व्यवधान)... जे०जे० सिंह जी थल सेनाध्यक्ष हैं, सिख हैं, इसलिए हमको गर्व है। हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष सिख हैं, इसलिए भारत को गर्व है। यह कहने की क्या जरूरत है? वे जो कुछ भी हैं, अपनी योग्यता से हैं, अपनी क्षमता से हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः आप कन्क्लूड कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सिंहः इसीलिए मैंने कहा कि जाति और मजहब के आधार पर ये लोग सोचते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री शाहिद सिद्दिकीः उपसभापति महोदय, ...(व्यवधान)...

†[شری شاہد صدیقی: آپ سبھاپتی مہودے......مداخلت......]

MR. DEPUTY CHAIRMAN: शाहिद सिद्दिकी साहब आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... The debate can't go on in this way. *(Interruptions)*

श्री राजनाथ सिंहः उपसभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हम लोगों की अपेक्षा है कि सबको समान रूप से कंपनसेशन दिया जाना चाहिए-जितने भी विक्टिम्स हैं उनके परिवार के सदस्यों को, और हर परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो दोषी हैं, उनको दंडित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त एटीआर को मॉडीफाई किया जाना चाहिए। अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों पर इस कमीशन की रिपोर्ट में संदेह व्यक्त किया गया है, चाहे वे कितने भी बड़े कदआवर नेता क्यों न हों, जब तक वे निर्दोष साबित नहीं होते हैं, तब तक उन्हें ...(व्यवधान)... उन्हें सजा तो दिलानी ही चाहिए क्योंकि वे निर्दोष कभी साबित नहीं होंगे, लेकिन पार्टी में भी, सरकार की बात तो छोड़ दीजिए, यदि अंश मात्र भी नैतिकता होगी तो पार्टी में भी उन्हें कोई ओहदा नहीं दिया जाएगा। ...(व्यवधान)...

---

†[ ] Transliteration in Urdu Script.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion moved by ...(*Interruptions*)...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, one minute. ...(*Interruptions*)... Just before you put the motion. ...(*Interruptions*)... One minute, Sir. It is a procedural question, Sir. ...(*Interruptions*)... Before you put the motion to vote. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no. ...(*Interruptions*)... Mr. Nilotpal Basu, please cooperate. ...(*Interruptions*)... I shall now put the motion moved by Shri Raj Nath Singh to vote. The question is:

"That this Hosue urges upon the Government to modify the Action Taken Report and calls upon the Prime Minister to take immediate action against persons indicated by the Commission."

The motion was negatived.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Reports and Accounts (2003-2004) of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SURESH PACHOURI): Sir, on behalf of Shri Kapil Sibal, I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers:

(a) Annual Report and Accounts of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram, for the year 2003-2004, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the dealy in laying the papers mentioned at (a) above. [Placed in Library. See No. L.T. 2492/05]